राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या ४

गुरुवार, १३ फरवरी, १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

तरुण अपराधी सुधारक जेल विद्यालय

७५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान मे कोई तरुण अपराधी सुधारक जेल विद्यालय हैं ? अगर हाँ, तो कहां कहां और ये किस आधार पर खोले गये हैं ?

(२) प्रत्येक में किस किस अवस्था के कितने-कितने अपराधी हैं और उन्हें क्या क्या शिक्षा दी जाती है ?

(३) उपरोक्त विद्यालयों का व्यय क्या है तथा इन पर किस किस डिपार्टमेन्ट का कन्ट्रोल है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां । टौंक में एक जुविनाइल रिफोमैंटरी है ।

(२) इसमें १२ से २० वर्ष की आयु के ५१ बन्दी हैं ।

(३) खर्चे का कुल बजट ४२,६३० रुपयों का है । जुविनाइल रिफोमैंटरी का बजट और जुडिशियल हवालात दोनों का बजट शामिल है ।

(४) इस रिफोमैंटरी पर आई० जी० प्रिज़न्स का कन्ट्रोल है ।

(५) छठी श्रेणी तक हिन्दी में प्राथमिक शिक्षा तथा निम्नलिखित धन्धों की ट्रेनिंग दी जाती है :

लुहारगिरी, खिलौने बनाना, बुनाई, बागवानी और साइकिल मरम्मत ।

श्री चन्दनमल वैद : (४), (५) व (६) कहां से पढ़ रहे हैं ? इसमें तो केवल ३ भाग ही हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे पास प्रश्न आया था उसमें था । आप चाहें तो न पढ़ूं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि टौंक में ही है । मैंने तो सारे राजस्थान का पूछा था । टौंक में ही तरुण अपराधी जेल होने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सारे राजस्थान की है, एक ही जगह है टौंक में ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह किस आधार पर है ? क्या वहां ही तरुण अपराध ज्यादा होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सारे राजस्थान के तरुण अपराधियों को वहां भेज दिया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह किन आधारों पर जगह सिलेक्ट की गई ?

श्री अध्यक्ष : टौंक का खास तौर पर ख्याल रखा है।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : एक तो आपका भी ख्याल रहता है।

श्री चन्दनमल वैद : टौंक के बूढ़े आदमियों का भी ख्याल रखा गया है या नहीं ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तस्कर व्यापार

७६. **डा० चन्द्रकला** (किशन पोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर निरन्तर बढ़ते हुए तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : तस्कर व्यापार को रोकना व पता लगाना केन्द्रीय विषय है फिर भी राजस्थान पुलिस द्वारा स्पेशल एन्टी स्मगलिंग सक्वैड (Special Anti-Smugglnig Squads) बना दिये गये हैं। सी० आई० डी० का एन्टी स्मगलिंग स्टाफ भी तस्कर व्यापार को रोकने के लिये बोर्डर पर काम कर रहा है। सरकार को इस दिशा में काफी सफलता मिली है।

डा० चन्द्रकला : क्या तस्कर व्यापार को रोकने के लिए कोई कानून बनाने की बात सोचते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : लैंड कस्टम्स एक्ट पहले से ही बना हुआ है।

श्री तनसिंह : क्या राजस्थान पुलिस के आदमी भी तस्कर व्यापार कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर ऐसी कोई बात नोटिस में लायी जावेगी तो उस पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि केन्द्रीय विषय है, तो क्या इसमें राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लैंड कस्टम्स एक्ट है; उसके अन्तर्गत एक्शन लिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने क्या किया या क्या नहीं किया, मैं यह नहीं पूछता; लेकिन आपने जवाब दिया तो क्या आपकी उसमें कोई कोस्टिट्युशनल रेस्पोन्सिबिलिटी है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : रेस्पोन्सिबिलिटी इस सेन्स में तो है; क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.3

पंचायत भवन निर्माण

७७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम बनैठा, तहसील उनियारा में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है ?

(ख) अगर हां, तो कितनी लागत का और क्या उसकी स्वीकृति पंचायत विभाग से ली गई थी ?

(ग) पंचायत विभाग से किस कदर रकम मिली और स्थानीय पंचायत ने इसमें किस प्रकार रकम सर्फा की ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता).: (क) जी हां ।

(ख) २३००) की स्वीकृति पंचायत विभाग से ली गई ।

(ग) सारा रुपया पंचायत कोष का है, पंचायत से कोई रकम नहीं दी गई ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : निर्माण हुआ है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी हो रहा है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : निर्माण क्या हो रहा है, अभी कोई उसकी बुनियाद ही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नींव खोदना, सामान मंगाना आदि भी तो काम हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : हथोड़े के बजाय कलम से निर्माण हो रहा है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां तो निर्माण का कोई निशान ही नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : "हो रहा है" मैंने कहा है । यह थोड़े ही कहा है कि हो चुका ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

यातायात-नियन्त्रण-योजना

७८. **डा० चन्द्रकला** (किशन पोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जयपुर शहर के बढ़ते हुए आवागमन को ध्यान में रखते हुए सरकार यातायात नियन्त्रण सम्बन्धी कोई योजना लागू करने का विचार कर रही है ?

(२) बड़े बड़े चौराहों पर और दूसरे खास २ स्थानों पर ओटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम लागू करने में क्या कठिनाई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) जी हां ।

(२) जयपुर में अभी इतना ज्यादा ट्रेफिक नहीं है कि जिसकी वजह से ओटोमेटिक ट्रेफिक कन्ट्रोल सिस्टम जारी किया जाय ।

एक माननीय सदस्य : पूरा सुनाई नहीं दिया ।

श्री रामकिशोर व्यास : दुबारा अर्ज कर दूं ।

(१) जी हां ।

(२) जयपुर में अभी इतना अधिक ट्रेफिक नहीं है जिसकी वजह से ओटोमेटिक कन्ट्रोल सिस्टम जारी किया जाय ।

डा० चन्द्रकला : पहले प्रश्न के उत्तर में आपने फरमाया कि योजना लागू करने का विचार है, तो वह क्या योजना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ बाजारों में वन वे ट्रेफिक किया है, कुछ बाजारों में हेवी ट्रेफिक का बेन किया गया है।पुलिस वालों को लिखा है कि ठेले वालों और दूसरों के लिए अलग से इन्तजाम करें।

डा० चन्द्रकला : क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि जयपुर में आये दिन दुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, मालूम है।

डा० चन्द्रकला : किस कारण से आपने बताया कि कन्ट्रोल की आवश्यकता नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बगैर उसके भी उसको मेनेज कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत द्वारा किये गये ग्रामोत्थान कार्य

७६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क) ग्राम पंचायत बनैठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक ने गत तीन सालों में ग्रामोत्थान के लिए क्या क्या कार्य किये ?

(ख) क्या तीन साल के समय में चीफ पंचायत अधिकारी, डिवीजन पंचायत अधिकारी या इन्स्पेक्टर ने पंचायत बनैठा का निरीक्षण किया ?

(ग) क्या सरकार पंचायतों के निरीक्षण की रिपोर्ट छपवाती है ? अगर हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पंचायत की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या पंचायतों के आय-व्यय की जांच की जाती है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम) : (क) ग्राम सफाई, रोशनी की व्यवस्था, औषधि-वितरण, जलाशय–सुधार एवं जलमार्गों को सुधारने की व्यवस्था की है। तथा स्कूल तथा पंचायत भवन के निर्माण की कार्यवाही चल रही है।

(ख) दो समय निरीक्षण हुए। प्रथम निरीक्षण डिवीजनल पंचायत अधिकारी का दिनांक १४. १०. ५५ को। दूसरा निरीक्षण निरीक्षक पंचायत द्वारा दिनांक २८. १. ५७ को।

(ग) रिपोर्ट छपवाई नहीं जाती। फिर भी रिपोर्ट की एक कॉपी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) इन रिपोर्टों को छपवाने से कोई लाभ प्रतीत नहीं होता। पंचायतों की आय-व्यय की जांच लोकल ऑडिट फंड विभाग द्वारा कराई जाती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी मंत्रीजी ने फरमाया कि रिपोर्ट के छापने से कोई फायदा नहीं होता लेकिन, पब्लिक का मनी खर्च किया जाता है उसका तो ऑडिट करवा कर जनता को बताया जाय इसमें आपको क्या आपत्ति होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिपार्टमेन्ट के ऑफिसर्स की रिपोर्ट डिपार्टमेन्टल ऑडिट के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लिए होती है। अगर आप किसी बात की जानकारी चाहते हैं तो वह दी जा सकती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी आपने फरमाया कि जलाशय खोले गये, तो मेरा सवाल यह है कि कौन से स्थान पर जलाशय बनाये गये ?

श्री दौलतराम : क्या क्या कार्य किये गये, यह मैंने अपने जवाब में बता दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जलाशय कहां कहां बनाये गए और कितने बनाए गए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायतों में ही बनाये होंगे, पंचायत के बाहर तो नहीं होंगे।

बांध निर्माण

८०. **श्री हजारीलाल** (केकड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) केकड़ी व ब्यावर सब–डिवजनों में सिंचाई विभाग द्वारा कितने व कौन कौन से बड़े व छोटे बांध बनाये जाने वाले हैं ? कृपया उन बांधों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या केकड़ी सब–डिवीजन में पारा व लसाड़िया के बांध तथा ब्यावर सब-डिवीजन का गांधी सरोवर बांध बनाये जाने वाले हैं ? यदि हां, तो इनका कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(क) केकड़ी सब-डिवीजन में बनाये जाने वाले बान्धों के नाम निम्न हैं :

(१) पारा नम्बर १. पारा ग्राम के समीप (२) पारा नम्बर २. गोपालपुरा ग्राम के समीप। (३) लसाड़िया, लसाड़िया ग्राम के समीप।

ब्यावर सब–डिवीजन में बनाये जाने वाले बांध का नाम निम्न है :

गांधी सरोवर।

(ख) केकड़ी सब–डिवीजन में लसाड़िया, व पारा योजनाओं का काम आगामी वर्ष, १९५८–५९ में शुरू करने की तजबीज है। ब्यावर सब-डिवीजन में गांधी सरोवर योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति का प्रश्न विचाराधीन है।

सड़क-निर्माण

८१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिस्ट्रिक्ट टोंक में सड़कों का निर्माण कहां कहां हो रहा है और कहां कहां बन्द पड़ा है ?

(ख) क्या टोंक–लाखेरी व टोंक–सवाई माधोपुर की सड़कों का काम बन्द है ? अगर हां, तो कब से ?

(ग) क्या सरकार इस विषय में शीघ्र ही कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

(घ) अगर हां, तो कब तक ?

Page No.6

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) (१) टोंक से लाखेरी उनियारा तक ।

(२) सवाई माधोपुर से टोंक उनियारा तक ।

(३) टोंक से मालपुरा तक ।

(४) टोंक–देवली सड़क पर डामर कराई ।

(ख) टोंक-लाखेरी व टोंक–सवाई माधोपुर की सड़कों का कार्य चालू है ।

(ग) आवश्यकतानुसार ठेकेदारों के खिलाफ इस विषय में कार्यवाही की जा चुकी है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी मन्त्रीजी ने फरमाया, टोंक से ले कर लाखेरी–उनियारा तक और सवाई माधोपुर से टोंक उनियारा तक; तो मेरा यह निवेदन है कि क्या टोंक–उनियारा, लाखेरी–टोंक और उनियारा का काम जारी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सडक को चार टुकड़ों में विभाजित किया गया है। इसमें पार्ट (१) Up to milestone 13 has already been completed. The progress on part two, milestone 13 to 14 has not been satisfactory and compensation at the rate of 10 percent was withheld on the tendered cost and we are getting the remaining work completed through other agencies. Work on part three and work on part four, milestone 19-23 is in progress. The progress is not satisfactory and therefore suitable action against the contractor for part four is being taken. Construction of the metalled road from Tonk to Malpura is a separate question.

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया कि काम सेटिसफेक्टरी नहीं था। इसलिये एक्शन लिया जा रहा है। कब से लिया जा रहा है, वहां तो तीन वर्ष से बन्द है टोंक से उनियारा तक की सडक तीन वर्ष से बन्द है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स को पार करने में समय लग सकता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस सड़क का ठेका चिम्मन ठेकेदार का है वह तो बन्द हो गया, लेकिन उसके बाद पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा बनाने का हुक्म हुआ पर अभी तक नहीं बन पाई है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : डिपार्टमेन्टस में कई काम और भी करने पड़ते हैं इसलिये इतना जल्दी नहीं कर पाते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां जहां पर भी तहसील के स्थान हैं उनकी सडकों को प्रायोरिटी देनी चाहिये । मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय एक बार उधर पधारें तो सही ।

मोरेल बांध

८२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मोरेल बन्ध के निर्माण में कुल

Page No.7

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

कितनी धन राशि व्यय हुई है और आगे कितनी व्यय की जाने वाली है ?

(ख) नहरें कितनी खोदी गई हैं ? खुदाई पूर्ण हुई है या नहीं ?

(ग) मोरेल बन्ध से सरकार को अब तक कितनी आमदनी हुई है ?

(घ) क्या प्रधान मन्त्री की अपील पर राज्य सरकार ने सिंचाई की दरों में कमी की है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं की तो क्यों ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) मोरेल बन्ध के निर्माण में अभी तक उन्तालीस लाख चौरानवे हजार छः सौ चवालीस रुपए खर्च हो चुके हैं और आगे एक लाख रु० खर्च होने का अन्दाजा है।

(ख) मोरेल बन्ध से १८ मील लम्बी नहरें निकाली गई हैं और उनकी खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया है।

(ग) मोरेल बन्ध से सन् १९५२ से १९५७ तक सिंचाई का लगान एक लाख तेईस हजार पांच सौ तीन रुपये १२ आने बना है जिसकी वसूली तहसीलों द्वारा की जा रही है।

(घ) प्रधान मन्त्री, श्री नेहरू, द्वारा सिंचाई की दरों में कमी करने की कोई अपील नहीं की गई।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह आमदनी कम क्यों हुई साहब ?

श्री भीखाभाई : आमदनी तो बढ़ रही है, कम होने का तो सवाल ही नहीं।

शिकार योग्य स्थानों की व्यवस्था

८३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या वन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में शिकार के स्थान किस किस डिवीज़न और तहसील में हैं ?

(ख) उन स्थानों में किस किस किस्म के जानवर हैं जो अक्सर मौजूद रहते हैं ? क्या सरकार के पास उनकी कोई गणना है ?

(ग) उन स्थानों को सुरक्षित रखने का क्या क्या प्रबन्ध है और उन स्थानों से शिकार की मद में कितना खर्च और आमद होती है ?

(घ) सन् १९५४, ५५, ५६, ५७ में कितने पोचिंग केसेज़ पकड़े गये ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) राजस्थान में शिकार के स्थान जिन जिन स्थानों पर हैं उनकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शिकार ब्लॉक्स तहसीलवार नहीं होते।

(ख) जी नहीं; पर जो जानवर शिकार ब्लॉक्स में अवेलेबल हैं उनमें चकोरी, चितला सांभर Panther, leopard, tiger, black tiger, etc. etc.

Birds, patridges, jungle fowls, ducks, goose, storks, etc. etc.

(ग) शिकार के रूल्स प्रकाशित हो चुके हैं जिनकी पाबन्दी करने का अधिकार प्रत्येक फोरेस्ट ऑफिसर को है। अलग कोई खर्चा नहीं होता है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

शूटिंग पर्मिट की फीस की आमदनी निम्न प्रकार है :

१९५३–५४	१७३२) रु०
१९५४–५५	४४७४) रु०
१९५५–५६	१९७१) रु०
१९५६–५७	१४८०) रु०

(घ) सूचना निम्न प्रकार है

१९५४.	६
१९५५	६
१९५६	६.
१९५७	१७.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मदनसिंह : लियोपोर्ड क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिसे हिन्दी में बाघ कहते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूचना जो आपने दी है वह तहसील वाइज़ नहीं है रेन्ज वाइज़ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शिकार के लिये ब्लॉक्स अलग हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा का जो ब्लॉक बताया गया, उनमें कौन से किस्म का शिकार होता है जब कि मीलों तक पहाड़ ही नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री मदनसिंह : लियोपार्ड का आपके यहां प्रिज़र्वेशन है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कहीं कहीं राजस्थान में है ।

श्री मदनसिंह : लियोपर्ड नहीं लापड़ होंगे ।

डकेतों को मारनेवाले अधिकारियों की पदवृद्धि

८४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालौर में कोनिया बेलिया नाम के डाकुओं को मारने वाले पुलिस अधिकारी कौन थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि इन डाकुओं को मारने के लिए सरकार ने इनाम की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कितने रुपये का और वह इनाम किन किन को कितना कितना दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सत्य है कि इन डाकुओं को मारने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को अभी तक कोई तरक्की नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) इनको मारने वाले कोई पुलिस कर्मचारी नहीं थे ।

(२) व (३) जी हां । सरकार ने एक हजार रुपयों की तथा आई० जी० पी० ने पांच सौ रुपयों के इनाम की घोषणा की थी । यह इनाम किसी पुलिस कर्मचारी को नहीं दिया गया क्योंकि इन डाकुओं को पुलिस ने नहीं मारा था ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इनका एनकाउन्टर हुआ था ? यह जो इनाम था वह क्या पुलिस कर्मचारियों के लिये ही था या कोई भी मारे उसके लिये भी था ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब के लिये था।

श्री तनसिंह : तो फिर जिस किसी ने मारा है उसको इनाम क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ।

श्री तनसिंह : क्या अभी तक यह पता नहीं है कि किन लोगों ने मारा ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेफीनेट नहीं है।

अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड

८५. **डा० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड नाम का कोई विभाग है ? यदि हां, तो उसका कार्यालय कहां पर है व उसके अधिकारी कौन हैं ?

(२) बोर्ड पर वार्षिक कितना व्यय होता है तथा बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं ?

(३) बोर्ड ने अब तक क्या क्या कार्य किये और उनमें उसे कहां तक सफलता मिली ?

जल योजना मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां है।

(२) बोर्ड का कार्यालय जोधपुर में है।

(३) इसकी सूची संलग्न है। इसका वार्षिक बजट १ लाख २३ हजार रुपये का है जिसके द्वारा मशीनों से कुए गहरे करना, चट्टानें आदि तोड़ना आदि कार्य होते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डा० चन्द्रकला : सूची संलग्न है, लेकिन मुझे तो मिली नहीं, पूरक प्रश्न कैसे किये जा सकते हैं ?

श्री दौलतराम : आपको दे दी गई होगी।

डा० चन्द्रकला : मुझे कोई सूची नहीं मिली है।

अस्पताल की स्थापना

८६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् १९५६ में जैतारण तहसील के ग्राम नीमाज में एक अस्पताल खोलने हेतु स्वीकृति दी थी ?

(ख) यदि हां, तो वहां पर अब तक क्या क्या स्टाफ कब कब भेजा गया है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि वहां की जनता ने एक भवन भी इस कार्य हेतु खरीद लिया है और उसकी सूचना सरकार को दी है ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) सन् ५६ में कोई स्वीकृति नहीं दी, अब २५। १। ५८ को दी है।

(ख) स्टाफ भेजने का प्रबन्ध शीघ्र किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

श्री बेनाराम गहलोत : स्टाफ कब तक भेज दिया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत जल्दी ।

श्री बेनाराम गहलोत : इसका मतलब महीना दो महीना या साल ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी से जल्दी।

श्री मदनसिंह : आपकी 'जल्दी' का तो मैं कल विवरण दे चुका हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके मेरे मामले दूसरे हैं ।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपके साथ ज्यादा महरबानी है क्या !

गौसंवर्धन

८७. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार प्रान्त की उन्नति के के लिए गौसंवर्धन को आवश्यक मानती है ? यदि हां, तो गौधन के ह्रास के कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया और उसका क्या परिणाम रहा ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वनस्पति घी और सूखे दूध से भी हमारे गौधन को बहुत नुकसान पहुंचा है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण): (क) हां । इस प्रान्त में गौधन के ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं:—

(१) चरागाहों की कमी, (२) पशुपालकों द्वारा अनुचित देखभाल, (३) खाद्य की अव्यवस्था, (४) अच्छी नस्ल के सांडों की कमी, (५) बुरी नस्ल के सांडों को बधिया न कराना ।

सरकार ने इस ह्रास को रोकने के लिए निम्न लिखित कार्य किये ।

(१) नये पशु चिकित्सालय की स्थापना, (२) गौशालाओं की स्थापना, (३) पशु सुधारक केन्द्रों की पुनर्स्थापना (४) बीमारी को रोकने के लिये टीके लगाने वाले चलते फिरते केन्द्रों की स्थापना, (५) चलते फिरते पशु चिकित्सालयों की स्थापना, (६) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना, (७) बुरी नस्ल के सांडों को बधिया करना तथा उसका नियम बनाना, (८) अच्छी नस्ल के सांड खरीद कर विभिन्न पंचायतों में वितरित करना, (९) अच्छी नस्ल के जानवर रखने वालों को प्रोत्साहन देना, (१० निःशुल्क पशु सुधारक विषयों पर राय देना ।

डॉ० चन्द्रकला : अभी दूसरा भाग और बाकी है ।

श्री अध्यक्ष : (क) और (ख) ही है, बाकी अलाऊ नहीं हुआ है ।

डॉ. चन्द्रकला : पर (ख) का भी जवाब नहीं आया; प्रश्न ८७ के (ख) भाग का भी पूरा जवाब नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : वह अलाऊ नहीं है ।

डॉ. चन्द्रकला : इसमें छपा है वह तो अलाऊ है साहब ?

श्री तनसिंह : छप तो गया है साहब, फिर अलाऊ कैसे नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : इसमें छपा है वह तो अलाउड है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरा यह है कि यह केन्द्रीय सरकार की नीति से सम्बन्धित है।

श्री तनसिंह : यह तो तीसरे प्रश्न की बात है, वह इसमें नहीं है। आप तो इसका जवाब दीजिये, "कि क्या यह सच है कि वनस्पति घी और सूखे दूध से भी हमारे गोधन को बहुत नुकसान पहुंचा है? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?"

श्री नाथूराम मिर्धा : यही तो मैंने जवाब में कहा है।

श्री चन्दनमल वैद : Is it true, Sir?

श्री नाथूराम मिर्धा : It is a matter of opinion. we can give facts only.

श्री अध्यक्ष : It is a question of opinion.

श्री तनसिंह : आपने क्या इस प्रकार का अनुसन्धान किया है? इसमें ओपीनियन का क्या सवाल आया? इसमें तो एक्सपेरीमेंट का प्रश्न है। It is not a question of opinion, it is a question of experiment also.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ओपीनियन का सवाल है। नुकसान पहुंचा या नहीं, तो हम इसमें आप से डिफर कर सकते हैं।

श्री तनसिंह : आपकी क्या ओपीनियन है इस बारे में?

श्री नाथूराम मिर्धा : वनस्पति घी में भी विटामिन हैं और सूखे दूध को भी ठीक समझ सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बुरे और भले सांड की क्या परीक्षा है आपको?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे बुरे-भले सांड की बहुत अच्छी परीक्षा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आपने कभी आजमाइश की है।

श्री अध्यक्ष : (श्री तनसिंह को खड़े देख कर) श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह : क्या इस प्रकार का एक्सपेरीमेन्ट किया गया है, इस प्रकार की कोई जांच की गई है कि इस वनस्पति घी और सूखे दूध से गौधन को नुकसान पहुंचा है।

श्री नाथूराम मिर्धा: इसके लिये मेरे खयाल से नुकसान नहीं पहुंचा है बढ़ती हुई पोपुलेशन के लिये यह जरूरी, इस घी का भी अनेलिसिस हुआ है, इसमें भी पौष्टिक तत्व हैं। अब फिर बढ़ती हुई पोपुलेशन को कोरा गौधन कवर नहीं कर पा रहा है।

डॉ. चन्द्रकला : सूखे दूध के प्रचार के कारण गौ के प्रति वह श्रद्धा लोगों की नहीं रह गई है, और न उसके पालन की पहले जैसी रुचि ही रह गई है, क्या इसको सरकार महसूस करती है और मानती है?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको बिल्कुल जिस वे में मानते हैं उससे सरकार एग्री नहीं नहीं करती।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, First part of the question is not being answered completely. The question was, इसका परिणाम क्या रहा? जो जो मन्त्री महोदय ने उपाय किये उनका परिणाम क्या रहा, यह बतलाया नहीं मन्त्री महोदय ने।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका परिणाम कुछ हल्कों में बहुत अच्छा हुआ है और नस्ल-सुधार की तरफ लोगों ने अच्छा ध्यान दिया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कौन-कौन से इलाके में नस्ल सुधार हो चुका है और किन में बाकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सीकर में नस्ल सुधार हो चुका है।

(हंसी)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (नागौर) में तो बिगड़ गई।

(अट्टहास)

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : चरागाहों की कमी के कारण भी गौधन का ह्रास हुआ है, तो क्या सरकार चरागाह का प्रबन्ध करने के विषय में सोच रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चरागाह मुकर्रर करने की कोशिश सरकार कर रही है। इसके लिये भी रूल्स बने हुए हैं और उनको जहां तक बन पड़ता है एन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं।

श्री तनसिंह : ये चलते-फिरते अस्पताल कितने हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक याद नहीं है इस वक्त मुझे, पर मेरे खयाल से ६ हैं।

श्री तनसिंह : वे कभी फिरते भी हैं या हैड क्वार्टर पर ही रहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका दायरा मुकर्रर है, यहां-वहां वे फिरते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हमारे टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डकैतियां

८८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालौर की सांचोर तहसील में स्टेट मर्ज होने के बाद से आज तक कुल कितनी डकैतियां किस किस जगह पर हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि जून सन् १९५६ में जालन गांव में कोई डकैती हुई थी और उसमें एक घोड़ी पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो वह घोड़ी किसकी थी और उसके सम्बन्ध में किस किस से दर्याफ्त किया गया है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि जितनी डकैतियां सांचोर तहसील में हुई उनमें से एक भी डकैती के माल व मुल्जिम नहीं पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ३७ निम्न लिखित स्थानों पर :

(१) सरहद भूटेल की ढानी, (२) सरहद मीरापुरा, (३) ढानी आरबा, (४) खनराई, (५) सरला (६) सरवना, (७) रात्ते का टाला (पुनः), (८) राटोड़ा, (९) बगावा, (१०) वासवार, (११) बखासर (पुनः), (१२) दुवरा, (१३) गुढ़ा, (१४) हथला (पुनः), (१५) ढ़ानी राजू सरला, (१६) हड़ेचा, (१७) जैरोल, (१८) चालखाना, (१९) असकोडिया, (२०) अगरावा, (२१) दोदिया का ताला, (२२) भंजावर, (२३) एहसान का

Page No.13

(श्री रामकिशोर व्यास)

टाला, (२४) भादा (पुनः), (२५) कुन्दनपुरा, (२६) दूदवा, (२७) आरती, (२८) जनपालिया, (२९) घनेरियान की ढानी, (३०) हाली बावरी, (३१) भादवाल, (३२) जाखालव (३३) अरवा।

(२) जी हां, यह घोड़ी लावारिस थी तथा इस सम्बन्ध में सर्व श्री मोडसिंह, जेठूसिंह, जसराज से विशेष रूप से एवं सांचोर के कोर्ट में उपस्थित होने वाले आदमियों से पूछताछ की गई थी।

(३) जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : सूची हमें नहीं मिली, हर वक्त सूची का प्रश्न आता है।

श्री रामकिशोर व्यास : देने की जरूनहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने लिस्ट पढ़ दी है आपके सामने, इसलिये अब जरूरत नहीं।

श्री तनसिंह : यह बताया गया कि घोड़ी लावारिस थी तो क्या ५१२ की कार्यवाही की गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जांच से यही मालम हुआ कि यह लावारिस था।

श्री तनसिंह : घोड़ियां लावारिस हो जातीं हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : घोड़े भी लावारिस हो जाते हैं ?

(हंसी)

बीजों का क्रय तथा वितरण

८६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला कृषि अधिकारी, पाली ने सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितना कितना सन का बीज व किस किस भाव से, कहां कहां से कब कब खरीदा ?

(ख) उपरोक्त बीज कौन कौन सी तहसील में कितना कितना तथा किस किस भाव से दिया गया ?

(ग) उस समय बाजार में इसका क्या भाव था।

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर दे दीजियेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसका क्या कारण है ? मेहनत करके तो प्रश्न करते हैं और जवाब भी वक्त पर नहीं दिया जाता ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर उत्तर मिल जावेगा।

बांधों में दरार पड़ने सम्बन्धी

९० **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

How many Minor and Medium irrigation dams have been breached during the last monsoon ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : In all 36 irrigation works have been breached during the monsoo

(श्री भीखाभाई)

of 1957. Out of these 4 are Medium irrigation works and 2 are Minor works; the remaining are old works.

श्री पी० के० चौधरी : लौस क्या हुआ; Whether the loss has been estimated ?

श्री भीखाभाई : इसके बारे में एक स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर पहले रख दिया गया था जब कि इस बारे में पहले सवाल किया गया था। अब भी रखा जा सकता है। चार तो मीडियम हैं और दूसरे माइनर हैं।

श्री पी. के. चौधरी : Excuse me नम्बर का सवाल मैंने नहीं पूछा। मेरा सवाल यह है कि नुकसान का एस्टीमेट बिठाया है या नहीं? Have you estimated the loss ?

श्री भीखाभाई : इसका एस्टीमेट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

श्री तनसिंह : आज या पहले ?

श्री भीखाभाई : पहले और आज भी रक्खा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : टोटल फिगर्स बता दीजिये।

श्री भीखाभाई : टोटल जोड़ा हुआ नहीं है।

(हंसी)

श्री तनसिंह : मेरा निवेदन यह है कि मैंने गत सैशन में यह प्रश्न पूछा था और वह अनस्टार्ड था। पर वह सूची उन्होंने सदन की मेज पर उस समय भी नहीं रक्खी और अब तक नहीं रक्खी। इस समय रख दी हो तो पता नहीं। पर पिछले सैशन में मैंने मालूम किया था, कोई उत्तर सूची के बारे में मुझे नहीं मिला।

श्री रामकिशोर व्यास : क्वैश्चन यह है, "How many Minor and Medium irrigation dams have been breached during the last monsoon;" उसका जवाब दे दिया है कि कितने टूटे हैं। यह तो आपका सवाल था नहीं कि कितना कितना नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह तो यही कहते हैं कि जो लिस्ट देनी चाहिये थी, वह पिछली दफा नहीं दी थी और अब दे दी जाये।

श्री रामकिशोर व्यास : आज का सवाल तो यह है कि कितने बांध टूटे ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक वैलिड सप्लीमेंटरी क्वैश्चन है कि उनके टूटने से कितना नुकसान हुआ। सिर्फ यह कह दिया जाय कि कितना नुकसान हुआ ?

श्री अध्यक्ष : तभी तो आपको लिस्ट दिलवा रहे हैं। As soon as the list is available it will be made available to the member. जोड़ लगाने में गलती हो गई है।

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री) : फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वह जोड़ लगा दें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपमन्त्री) : लिस्ट मौजूद है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री भीखाभाई : जो सवाल पूछा था उसमें नुक्सान कितना हुआ, यह तो सवाल पूछा ही नहीं था, तो फिर इसका जवाब कैसे दिया जाय ?

श्री पी. के. चौधरी : I have got another supplementary. यह जो ब्रीचेज़ हुए, क्या उनके बारे में कोई इन्क्वायरी भी सरकार ने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री पी. के. चौधरी : जो इन्क्वायरी हुई उसकी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी रिपोर्ट आने के बाद में पेश कर दी जायगी।

श्री पी. के. चौधरी : यानी इसका मतलब यह है कि अभी तक उसकी रिपोर्ट मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : For all these works or for works individually ? Next.

जनाना अस्पताल, जालोर

६१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जालोर के डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर कोटा के किसी महाजन ने जनाना अस्पताल बनाया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उक्त अस्पताल सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया है और लेडी डाक्टर व स्टाफ का पोस्टिंग कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) सरकार वहां स्टाफ कब तक भेजने का विचार रखती है ?

उप-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(१) जी हां, सन् १६५६ में।

(२) जी हां, लेडी डाक्टर का पोस्टिंग नहीं हो पाया है क्योंकि इसका अभाव है। बाकी अन्य स्टाफ का पोस्टिंग हो गया है तथा अस्पताल चालू है।

(३) जन सेवा आयोग द्वारा लेडी डॉक्टर उपलब्ध होने पर जालोर भेज दी जायगी।

श्री तनसिंह : तो वहां कौन डाक्टर है ? लेडी डाक्टर नहीं है और कोई डाक्टर है या नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : हॉस्पीटल चालू है और वहां, सिवाय लेडी डाक्टर के, और सारा स्टाफ पहुंच चुका है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि जो नर्स अभी ड्युटी पर लगाई गई है वह हैल्थ डिपार्टमेंट की नर्स है और उसे यहां अस्पताल में लगा दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह अस्पताल और हैल्थ डिपार्टमेंट एक ही हैं।

श्री मदनसिंह : आप यह लेडी डाक्टर कहां से उपलब्ध करते हो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप भी बता देना।

(हँसी)

श्री भैरोंसिंह : आपने तो अब तक यह बुला बुलाकर ही रखी होंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम तो इन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन से बुलाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : शायद आपके बुलाने से आती भी नहीं हैं।

(हँसी)

लेबर कन्ट्रेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़

६२. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में लेबर कोन्ट्रेक्ट कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़ कितनी हैं और वे कौन कौन सी तथा कहां कहां पर हैं ?

(ख) उक्त समितियां क्या कार्य करती हैं ? इन समितियों ने सरकार से किस किस कार्य के लिए मांग की तथा सरकार ने कौन कौन सी समितियों को कार्य दिया ?

(ग) इन समितियों में कितने कितने सदस्य हैं और सरकार ने किस किस को कितना कितना ऋण दिया है ?

उप सहकारी मन्त्री (श्री दौलतराम) : (क) इस सम्बन्ध में समस्त सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान में से वांछित सूचना अब तक ११ सहायक पंजीयकों से प्राप्त हुई है और शेष ७ से अभी बाकी हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इन ११ यूनिटों में ५८ लेबर कन्ट्राक्ट सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, जिनके नाम व स्थान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) वांछित सूचना सदन की मेज पर रखी सूची में दी गई है।

(ग) यह सूचना भी सूची में दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री बेनाराम गहलोत : सूची हमारे पास पहुंची नहीं है।

श्री दौलतराम : अभी आपको मिल जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वैश्चन नेक्स्ट टर्न पर रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : There is no delay here. He should see that it is delivered to the members.

एक माननीय सदस्य : It is not received here in time. That is a general complaint.

अधिक अन्न उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था

६३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार उपज बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनायेगी ?

(ख) क्या सिंचाई के लिए नई योजना बनाई जाती है या पुराने बंधों में भी, जो टूट फूट व सिल्ट से भर गये हैं, उनको भी सुधारे जाने की कोई योजना है ?

(ग) यदि हां, तो जिला जयपुर में क्या कोई पुराने बांधों को सुधारा गया है ?

(घ) यदि हां, तो कहां कहां और क्या काम हुआ ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जा रहा है। सिंचाई के साधनों में वृद्धि, नई भूमि को खेती योग्य बनाना, उन्नत बीज बांटना, रसायनिक तथा दूसरे खादों का उपयोग बढ़ाना और फसल संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।

(श्री दौलतराम)

(ख) दोनों ही योजनाओंपर काम किया जा रहा है।

(ग) जिला जयपुर में तालाबों की मरम्मत करने के लिए ४०,००० रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

(घ) अभी कार्य चालू नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिन तालाबों के ब्रीचेज़ हुए हैं उनकी मरम्मत करने के लिए ४०,००० रु० स्वीकृत किये गये हैं या ऑर्डीनरी तालाबों की मरम्मत के लिए किये गए हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुराने तालाब जो टूट गये हैं उनके लिए ५० प्रतिशत सब्सिडी देते हैं। उन्हीं की रिपेयर करने के लिए यह अमाउन्ट सैंक्शन किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह मरम्मत पी. डब्ल्यु. डी. द्वारा या डेवलपमेंट विभाग द्वारा कराई जावेगी?

श्री नाथूराम मिर्धा : लोगों द्वारा अपने आप की जायेगी।

एक माननीय सदस्य : जयपुर जिले के लिए जो रकम मन्जूर की गई है वह इर्रिगेशन के लिए या नोन–इर्रिगेशन तालाबों के लिए है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनके जरिये या तो पेटे की काश्त बढ़ाई जा सकती है या जिन पर पानी का चेज़ा अच्छा बढ़ता है। इनके लिए एग्रीकल्चर द्वारा ५० परसेंट सब्सिडी दी जाती है।

श्री रामकरणसिंह : यह तरीके अपनाये जा चुके हैं या कुछ बाकी हैं? जैसा कि अभी माननीय उप–मन्त्री जी ने अपने जवाब में बताया कि ये तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो ये अपनाए जा चुके हैं या बाकी हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये अपनाये जा रहे हैं क्योंकि ये योजना के अलग अलग अंग हैं।

अरवाड डेम, शाहपुरा,

६४. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state: Is it correct that the Arwar Dam, near Shahpura had been washed off for the second time during the last monsoon and this has put the Government to a loss of Rs. 35,00,000/-?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : It is correct that the Arwar Dam near Shahpura has been breached for the second time during the last monsoon. The estimated loss to Government is about Rs. 30,000/- and not Rs. 35 lacs as reported by the Honourable Member.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that about two months before the Dam was breached, the Dam was inspected by the Irrigation Minister as well by the Deputy Minister concerned along with the Engineer and they found the Dam to be all right

श्री भीखाभाई : Deputy Minister visited the said Dam, there is no doubt about it. He is not an expert

(श्री भीखाभाई)

and he does not know what is lying underground.

श्री पी. के. चौधरी : Was he accompanied by any officers of the Irrigation Department ?

श्री भीखाभाई : Of course, th Assistant Engineer was with me.

श्री पी.के. चौधरी : And the Irrigation Minister and the Home Minister did not visit the Dam ?

श्री रामकिशोर व्यास : I did not go

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि बांध के टूटते ही जिला अधिकारी और इन्जीनियर्स ने जाकर उसे देखा और उसकी इन्कवायरी की तो मालूम हुआ कि उसके बनाने में खराबी रही है ?

श्री भीखाभाई : उसके सम्बन्ध में एक इन्क्वायरी कमेटी रेवेन्यु बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में बन गई है और वह इसकी जांच करेगी कि जो ब्रीच हुआ है उसका क्या कारण है ।

श्री पी. के. चौधरी : वह रेवेन्यु बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : श्री किशनपुरी ।

श्री पी. के. चौधरी : और मेम्बर्स कौन कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : उसके मेम्बर्स में से एक तो कमिश्नर हैं और एक चीफ इन्जीनियर इर्रिगेशन हैं ।

श्री जयसिंह राणावत : यह जांच कब तक हो जायेगी ?

श्री मदनसिंह : क्या कोई टाइम निश्चित किया गया था कि इसकी रिपोर्ट तब तक दे दी जाये ?

श्री भीखाभाई : अब रिपोर्ट मिल जायेगी, उनके पास और भी बहुत सा काम है ।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट, श्री लक्ष्मीचन्द ।

डॉक्टर की नियुक्ति

६५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के गुडा बालोता गांव में वहां के सेठ ने एक मकान शफाखाना के लिये गवर्नमेन्ट को भेंट किया है ?

(ख) यदि हां, तो कब और वहां पर डाक्टर भेजा गया या नहीं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) गांव गुड़ा बालोता, जिला जालौर में सोगानी बन्धुओं ने जुलाई सन् १९५६ में एक नोहरा डिस्पेन्सरी के लिए दिया था ।

(ख) उक्त डिस्पेन्सरी में डाक्टर के अभाव में कम्पाउन्डर भेजा गया था ।

(ग) डिस्पेन्सरी के बजट की स्वीकृति की प्रतीक्षा में कुछ समय के लिए यह बन्द रही । अब बजट मंजूर हो गया है और स्टाफ की तैनाती कर दी गई है । स्टाफ शीघ्र पहुँचेगा और डिस्पेन्सरी चालू हो जायेगी ।

Page No.19

श्री लक्ष्मीचन्द : स्टाफ की तैनाती कर दी गई है, यह कौनसी तारीख को की गई ? क्या यह सिर्फ कागजों पर ही सारा पोस्टिंग हो गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी हाल ही में हुआ है। डॉक्टर मंगलसिंह हैं उनके लिए पोस्टिंग ऑर्डर्स हो गये हैं और उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या डॉक्टर मंगलसिंह वही हैं जो कि पहले सदस्य थे ?

(हंसी)

फसल को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों व रोगों की रोकथाम

९६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों और रोगों की रोक थाम के लिए काफी कोशिश व धन-व्यय कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या कीड़े व रोगों पर काबू पा लिया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर काबू पाने की कोई नई योजना बनाने का विचार रखती है ?

उप-कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम) :

(क) हां।

(ख) हां, बहुत से कीड़े व रोगों के काबू करने के उपाय मालूम हैं। इनके आक्रमण होने पर उचित कार्यवाही की जाती है और उन पर काबू पा लिया जाता है।

(ग) जहां तक उन कीड़ों और रोगों का संबंध है जिनके बारे में पूरी जानकारी हासिल है। यह प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु नये रोगों और कीड़ों के आक्रमण पर नये नये वैज्ञानिक तरीकों से काबू पाने के लिए जांच पड़ताल जारी है।

श्री रामकरणसिंह : कौन कौन से नये कीड़े हैं और नये नये रोग हैं जिन पर आप अभी तक काबू नहीं पा सके हो। सफेद कीड़े हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न तो बहुत लम्बा चौड़ा है और इसके लिए कि कौन कौन से नये कीड़े हैं और नये रोग हैं, इसकी तो जानकारी आप दे सकते हैं। यह तो एक टैक्निकल काम है।

श्री रामकरणसिंह : काले या सफेद वाले कीड़े ?

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री रामकरणसिंह : माननीय अध्यक्ष, इसमें अभी सप्लीमेन्ट्री करना है।

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि कीड़े बहुत हैं।

श्री रामकरणसिंह : मेरा अन्य कीड़ों से मतलब नहीं है, फसल को नुकसान करने वाले कीड़ों से है।

श्री अध्यक्ष : यह टैक्निकल मैटर है, इसकी जानकारी उनको नहीं है।

संचालक, जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा अनधिकृत रूप से बिल पास करना

७६. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :

(श्री पी. के. चौधरी)

(a) Is it correct that the Director of Public Relations is not Competent to make payments for bills exceeding Rs. 1,000/- without obtaining sanction from the Government ?

(b) Is it also correct that the Director, Public Relations had avoided approaching the Government for sanction in such cases by resorting to splitting up bills ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) It is not correct. The Director of Public Relations is, at present, competent to get the printing and publication work done at a press other than a Government press to the extent of Rs. 2000/- in each case In all other cases the Director' is competent to make payments upto Rs. 800/-only in each case.

(b) No specific instance has been cited without which it would be difficult to give a definite reply. However, the Government will issue instructions in the matter.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the printing bills for the booklet 'Second Five Year Plan' in Hindi costing Rs. 5000/- was splitted and payments made ?

श्री रामकिशोर व्यास : नोटिस की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष : You should have asked specific question if you want answer.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, most of the bills during the year 1957-58 were splitted. I can cite all of them.

श्री अध्यक्ष : It is not necessary to cite. You should have asked specific questions if you want to have answer.

श्री पी० के० चौधरी : I was just asking the cost of printing of certain books.

श्री अध्यक्ष : That does not arise out of this question. It is completely a different question.

श्री पी० के० चौधरी : Is it also correct that certain bills are still not being paid because the Accounts Officer have taken objection to the splitting up of bills ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसे तो मैं कैसे अर्ज कर सकता हूं जब तक कि नोटिस नहीं दें कि फलां फलां केस में क्या हो रहा है ।

श्री पी० के० चौधरी : Since when the power of Director has been raised from Rs. 1000/—for making payments up to Rs. 2000/-- ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट अर्ज नहीं कर सकता ।

श्री पी० के० चौधरी : You said, at present, I would like to know since when it has been made ? Is it correct that even a few months before it was only Rs. 1000/— ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट अर्ज नहीं कर सकता हूँ । मुझे मालूम नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी : That was a relevant question. It was specifically mentioned that the Director of Public Relations is not competent to make payments for bills exceeding Rs. 1,000/—. That, at present, it has only recently been raised to Rs. 2000/—.

श्री अध्यक्ष : When you know why do you ask him ?

श्री अर्जुनदास : For the knowledge of the House.

श्री रामकिशोर व्यास : मोस्ट पोसिबिली यह हो, एग्ज़ेक्टली नहीं कह सकता। शायद ५७ में सितम्बर के आसपास।

श्री पी० के० चौधरी : September, 1957 ?

श्री रामकिशोर व्यास : As far as I know, approximately.

कुण्ड निर्माण

६८. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील राजगढ़, जिला चूरू के डोकवा ग्राम में कुण्ड बनाने के वास्ते कुछ रकम मन्जूर की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह रकम दी गई ?

(ग) क्या यह सही है कि कुण्ड पर काम करने वाले मजदूरों की ३५०) रुपया मजदूरी अभी तक बाकी है ? यदि हां, तो वह उन्हें कब तक दी जावेगी ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) हां, ३०००) रुपये की स्वीकृति हुई थी।

(ख) स्वीकृत रकम में से २०५०) रुपये गांव वालों को दिये गये। बाकी की रकम खर्चे का हिसाब न मिलने के कारण लैप्स हो गई।

(ग) काम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी ग्राम कमेटी की होती है, अतः सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

लालसोट हाईस्कूल के कमरों का निर्माण

६६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत ग्रीष्म ऋतु में लालसोट हाई स्कूल के दो कमरों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था ? अगर हां, तो वे अधूरे ही क्यों छोड़ दिये गये ?

(ख) क्या वर्तमान वर्ष में उक्त हाई स्कूल में भवन बनवाने के लिये राज्य सरकार के बजट में ८,००० रुपये निर्धारित किया हुआ है ?

(ग) अगर हां, तो उक्त धनराशि में से अब तक कितनी धन-राशि भवन निर्माण पर व्यय की गई ?

(घ) अगर व्यय नहीं की गई तो यह कार्य क्यों रुका पड़ा है ?

(ङ) अब यह स्कूल भवन कितनी अवधि में सरकार तैयार करवायेगी ?

(च) ग्रीष्म ऋतु में दो कमरों का किस ठेकेदार को ठेका दिया गया था और उक्त कार्य किसकी गलती से बन्द हो गया ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, ठेकेदार की ओर से देरी।

(ख) २०००) रु० स्वीकृत हुआ है।

(ग) ६४) रुपये।

(घ) ठेकेदार की गफलत है।

(ङ) इस वर्ष के अन्त तक होने की आशा है।

(च) श्री सुखलाल ठेकेदार और उसकी गलती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिस ठेकेदार की गफलत है उसको क्या सजा दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस पर पीनाल्टी की गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या पेनाल्टी दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १० पर्सेन्ट का कायदा है।

श्री मदनसिंह दांता : स्पेश्यली इस ठेकेदार से क्या काटा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १० पर्सेन्ट का कायदा है। एक दो पर्सेन्ट कम किया जा सकता है। मैग्ज़िमम १० पर्सेन्ट है।

श्री मदनसिंह दांता : पीनाल्टी रियलाइज़ कर ली गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नहीं कह सकता।

श्री मदनसिंह दांता : कौन कहेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रियलाइज़ उसके बिल में से करेंगे।

इन्सपेक्टर्स का वेतन

१००. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में ऐसे कितने पी. एस. आईज़ हैं जो लॉ ग्रेजुएट हैं ?

(ख) क्या उपरोक्त सब इन्सपेक्टर्स एवं अन्य इन्सपेक्टर्स के ग्रेड में कोई अन्तर है ?

(ग) क्या उपरोक्त सब इन्सपेक्टर्स के ग्रेड के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ७१।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

बस स्टोपेज, जालौर

१०१. **श्री लक्ष्मीचंद** (सांचोर) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जालौर खास में बस स्टोपेज सूरजपोल पर करने मुतल्लिक वहां की जनता ने कोई रिप्रेज़ेन्टेशन सरकार के पास भेजा है ?

(२) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) मामला आर. टी. ए., जोधपुर के विचाराधीन है।

झुंझुनू जिले में चोरियां

१०२ **श्रीमती सुमित्रा** (पिलानी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्रीमती सुमित्रा)

(क) झुंझुनू जिले के वर्तमान सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस के कार्य-भार संभालने के बाद से इस जिले में कितनी चोरियां हुईं और उनमें से कितनी बरामद हुईं ?

(ख) क्या यह सही है कि इनके कार्यकाल में सब से अधिक चोरियां हुई हैं और सब से कम बरामद हो पाई हैं ?

(ग) यदि हां, तो फिर सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जिला झुन्झुनू में वर्तमान सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के कार्य संभालने के बाद १६२ चोरियां हुईं, जिनमें से ६६ का पता लग गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वर्तमान एस० पी०, आर० पी० एस० की केडर के हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, मेरे ख्याल से आर० पी० एस० के हैं; 'ए' लिस्ट के आर० पी० एस० के एन्टाइटल्ड से ऑफिशियेट करने के।

श्री भैरोंसिंह : जब कि राजस्थान में आई० पी० एस० ऑफिसर्स मौजूद हैं तो ऐसे जूनियर मोस्ट आर० पी० एस० को डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस क्यों बना रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि एक लिस्ट इस तरह की मौजूद है कि जिसमें के आर० पी० एस० ऑफिसर्स ऑफिशियेट कर सकते हैं आई० पी० एस० ऑफिसर्स को।

श्री भैरोंसिंह : Once more.

श्री रामकिशोर व्यास : एक लिस्ट ऐसी बनाई है, जो कमेटी इस काम के लिए बैठी थी उसने, कि जिसमें से आर० पी० एस० ऑफिसर्स आई० पी० एस० को ऑफिशियेट कर सकते हैं। ये उस लिस्ट में से हैं।

पंचायत केन्द्र

१०३. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पंचायतों के वार्ड व सेन्टर किस आधार पर बनाये जाते हैं ?

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि चूरू जिले की पंचायतों के वार्ड बहुत ही अनियमित ढंग से बनाए हुए हैं ?

(ग) क्या सरकार उन वार्डों को ठीक कराने का विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा करते वक्त वहां की जनता व जनता द्वारा चुने हुए विधान सभा के सदस्यों की राय ली जावेगी ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलत राम) : (क) साधारणतया वार्ड पंचायत क्षेत्र की कुल जन संख्या तथा सदस्यों की स्वीकृत संख्या के बराबर बराबर अनुपात से बनाये जाते हैं।

पंचायत केन्द्र बनाने में जन-सुविधा का ध्यान रखा जाता है जिनमें निम्न विषय मुख्यतया विचारणीय होते हैं :

१. गांव अपेक्षाकृत बड़ा हो।
२. यातायात के साधन हों।
३. सर्कल के मध्य में हो।
४. डाक की व्यवस्था हो।

(श्री दौलतराम)

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न (घ) का जवाब दिया है कि उन वार्डों को बिल्कुल नियमित ढ़ंग से बनाया गया है तो कहीं किसी वार्ड में से १५ घर ले लिए तो दूसरे बार्ड में से १७ और किसी गांव में ७ या ८ इधर से उधर बढ़ा दिए; तो क्या यही नियमितता है ?

श्री दौलतराम : ऐसी कोई सूचना नहीं है । अगर ध्यान में लाई जायगी तो कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहरसिंह : ऐसी सूचना आपको बराबर दी गई । इसके बारे में बड़ा भारी संघर्ष चूरू जिले में हुआ था ?

श्री दौलतराम : मेरे सामने तो जब कि आप रोजाना ही मिलते रहते हैं, जिक्र नहीं किया । अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो जांच करने के बाद उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय उप मंत्रीजी ने स्वयं भी उन संघर्षों में भाग लिया है ?

श्री दौलतराम : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : राजगढ़ तहसील में जितने भी चुनाव हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, उन चुनाओं और संघर्षों में माननीय उपमंत्री ने भाग लिया ।

श्री दौलतराम : माननीय सदस्य जानते है कि उप मंत्री किसी चुनाव में नहीं गया ।

श्री भैरोंसिंह : उपमंत्री की हैसियत से नहीं तो साधारण कांग्रेस सदस्य की हैसियत से ।

श्री दौलतराम : वहां कांग्रेस वर्कर की हैसियत से भी नहीं गया हूँ ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री मोहरसिंह : उसका पूरा जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया गया है । आपको संतोष हुआ या नहीं, यह नहीं कह सकते ।

श्री मोहरसिंह : आधार क्या है वार्ड बनाने का, यह कम से कम बतला दिया जाय ?

बस सर्विस

१०४. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Transport Minister be pleased to state:—

(a) Why no permits are given to Bus Companies for plying buses direct between Ajmer-Jaipur and Jaipur-Kotah ?

(b) Is the Governmant aware of great public demand for direct bus services between Ajmer-Jaipur. Jaipur-Kotah and Kotah-Ajmer ? If not, will the Government care to conduct a passenger traffic survey on these three routes ?

(c) What are the reasons for withdrawing permits from the

Page No.25

(श्री पी. के. चौधरी)

Bundi Transport Co. for plying direct buses between Kotah-Ajmer?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(a) The matter is under the consideration of the Government.

(b) Yes, action is being taken to start direct bus service.

(c) No such permit has been withdrawn.

श्री पी. के चौधरी : (सी) का जवाब क्या दे दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No such permit has been withdrawn.

श्री पी. के. चौधरी : क्या अजमेर–कोटा रूट पर बस चलती थी आज तक ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेम्पोरेरी कुछ काउन्टर सिग्नेचर पहले थोड़े दिन के लिए हुए थे। वे काउन्टर सिग्नेचर दुबारा नहीं हुए इसलिए मालूम नहीं हुआ।

श्री पी. के. चौधरी : सरकार को क्या डिफिकल्टी है पर्मिट इश्यू करने में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सरकार का काम नहीं है।

श्री सरदारसिंह (उनियारा) : जयपुर से अजमेर तक बस सर्विस के लिए किसको परमिट दी गई है ? क्या किसी टोंक के सदस्य को दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : My point is, why the permits are not given between these routes; Ajmer-Jaipur, Jaipur-Kotah and Kotah-Ajmer.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मामला आर. टी. ए. के विचाराधीन है।

श्री पी. के. चौधरी : After all the R. T. S. is a body constituted by the Government.

श्री नाथूराम मिर्धा : It is constituted under an Act.

श्री पी. के. चौधरी : Has the Government conducted any survey regarding the Services between these routes ?

श्री नाथूराम मिर्धा : Government does not conduct surveys.

श्री पी. के. चौधरी Will the Government consider it now?

श्री नाथूराम मिर्धा : Government cannot make any survey and neither has made any way. It is the business of the R. T. S.

श्री पी.के. चौधरी : Is the Government aware of the public demand for direct bus service? The demand is there, people have applied for it also.

श्री नाथूराम मिर्धा : The matter is under the consideration of the R. T. S.

श्री पी. के. चौधरी : The Government has no responsibility to look after these bodies, R. T. S. or R. A. S, like that?

Page No.26

श्री नाथूराम मिर्धा : The Department is to see that the rules are properly enforced.

श्री पी. के. चौधरी : Not at all, Government has got no responsibility regarding transport facilities?

श्री नाथूराम मिर्धा : Government has got the responsibilities and it is discharging them within its jurisdiction.

श्री पी. के. चौधरी : In what way the Government is discharging its responsibility when the demand of buses for the public is not fulfilled ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I would request the Hon'ble member to go through the Motor Vehicles Act and its rules and then it should be clear to him about R. T. S. and what are the duties of the...

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री जगदीशप्रसाद : इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।

कोटा सिंचाई बांध

१०८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा सिंचाई बांध कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

(२) अब तक इसमें कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(३) क्या यह सही है कि retaining walls के बीच में स्थान का पानी नहीं टूटने से इस योजना के असफल हो जाने की पूरी पूरी सम्भावना है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) कोटा बेराज का काम सितम्बर, १९५९ तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

(२) इस कार्य पर अनुमानित व्यय ३९४ लाख के अन्तर्गत १,७४,६६,००० व्यय हो चुके हैं ।

(३) यह सही नहीं है । केवल नींव की कठिनाई के फलस्वरूप ही इस कार्य में विलम्ब हो रहा है । यद्यपि कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं परन्तु इनको उचित प्रकार से हल किया जा रहा है ।

निर्माण सम्बन्धी योजनायें, धौलपुर

१०६. **डा० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

धौलपुर उप जिले की कितनी निर्माण सम्बन्धी योजनायें मुख्य अभियन्ता, निर्माण विभाग, तथा अधीक्षक अभियन्ता, निर्माण विभाग के कार्यालयों में कब से विचाराधीन हैं तथा उनका कार्य कब प्रारम्भ हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १०७

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

सड़क निर्माण

१०८. डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजाखेड़ा (धौलपुर] और शमसाबाद (आगरा, उत्तर प्रदेश) के मध्य पार्वती नदी बहती है ? क्या राजाखेड़ा से इस नदी तक सरकार सड़क निर्माण करने जा रही है ? यदि हां, तो वह सड़क उत्तर प्रदेश में कहां तक जायेगी ?

(ख) क्या सरकार पार्वती नदी पर केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से पुल बनवाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, राजस्थान की सीमा तक।

(ख) ऐसी कोई योजना नहीं है तथा कोई पत्र–व्यवहार इस संबंध में नहीं हुए है। अर्थभाव के कारण।

श्री बहादुरसिंह : पुल बनाने के बारे में बता दें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुल बनाने के बारे में यू. पी. गवर्नमैन्ट ने अपना अलग पुल इससे २० मील की दूरी पर बना दिया है। राजस्थान की तरफ से दूसरा पुल भरतपुर की तरफ से बना हुआ है। तीसरा पुल दोनों सरकारों की मिली-जुली स्कीम से ही बन सकता है, लेकिन दोनों गवर्नमैन्ट्स के पास पैसा नहीं है इसलिये पुल बनाने का सवाल नहीं उठता।

श्री मदनसिंह (दांता): यह कब मालूम हुआ कि यू. पी. गवर्नमेन्ट के पास पैसा खर्च करने को नहीं है? क्या आपने वहां पुछवाया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यू. पी. गवर्नमेन्ट ने एक पुल अभी बनवाया है जिसमें १२ लाख रुपये खर्च हुए हैं;

श्री मदनसिंह दांता : अपनी गवर्नमेन्ट और यू. पी. गवर्नमेन्ट की बात हुई थी क्या, जिसमें आपको मालूम हुआ कि यू. पी. गवर्नमेन्ट के पास पैसे नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे सारे देश की बात मालूम है इसलिये कह रहा हूं।

श्री बहादुरसिंह : क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखा गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि अभी देश की हालत ऐसी है कि अधिक धन उपलब्ध नहीं हो सकता। जितनी सैंक्शन हमको ब्रिज वगैरह बनाने के लिये दी है उसको देखते हुए न तो हम केन्द्र को मूव कर सकते हैं और न राजस्थान खर्च कर सकती है और न यू. पी. सरकार को मूव करने से फायदा हो सकता है।

नहर योजना

१०९. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान नहर योजना के सम्बन्ध में सन् १९५७–५८ का क्या टार्गेट था तथा टार्गेट के प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : राजस्थान नहर योजना के अन्तर्गत राजस्थान प्रान्त में निर्माण की जाने वाली नहर के प्रथम वर्ष १९५७—१९५८ के लिये नीचे लिखा टार्गेट रखा गया है :

१. कोयला, सीमेन्ट तथा इस्पात का प्रबन्ध करना, मिट्टी खोदने के यन्त्रों तथा अन्य आवश्यक यन्त्रों की उपलब्धि का प्रबन्ध करना ।

२. ईंटों के भट्टे प्रारम्भ करना ।

३. पानी प्राप्त करना ।

४. अस्थाई मकानों का निर्माण करना ।

५. मिट्टी की खुदाई करना ।

(क) मुख्य नहर ७.५करोड़ घन फुट ।

(ख) सूरतगढ़ नहर ७.५ करोड़ घन फुट ।

६. रेक्टेंगुलर सर्वे : १६ लाख एकड़ ।

ऐसी आशा की जाती थी कि राजस्थान नहर योजना की स्वीकृति भारत सरकार से मार्च १९५७ से पहले प्राप्त हो जायेगी और कार्य अप्रेल १९५७. से प्रारम्भ कर दिया जावेगा, परन्तु वांछित स्वीकृति भी जुलाई में दी गई । इसके पश्चात् अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई ।

उपरोक्त कारणों से कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ । राजस्थान नहर फीडर और लो लेवल ब्रांच का एलाइनमैन्ट निर्धारित हो चुका है । राजस्थान नहर का डिजाइन पंजाब एवं भारत सरकार के विचाराधीन है । राजस्थान सरकार ने हाल ही में फीडर का रेखांकित करना स्वीकार कर लिया है, अतः इस प्रकार के रद्दोबदल होने से नये निर्धारण निर्माण किये जा रहे हैं । जो कार्य हमने सन् १९५७ में समाप्त करने का निश्चय किया था, विलम्ब के कारण अब १९५८ अगस्त तक समाप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : केन्द्रीय सरकार से विलम्ब का कारण क्या बतलाया गया है ?

श्री भीखाभाई : सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन है वह बड़ा टैक्निकल एग्ज़ामिनेशन करता है, हर स्कीम को माइन्यूटली देखा जाता है । उसके वेरियस सेक्शन्स हैं उनमें स्क्रूटिनी करने के बाद स्वीकृति दी जाती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जल्दी स्वीकृति करवाने के लिये क्या प्रयत्न आपने किये ?

श्री भीखाभाई : सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि वहां आते जाते रहते हैं, वे उनसे जल्दी स्वीकृति करने के लिये कहते रहते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये प्रतिनिधि कौन कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : आप हम सब प्रतिनिधि हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन ने यह शिकायत की है कि राजस्थान सरकार समय पर सूचना नहीं देती है ?

श्री भीखाभाई : यह आपके दिमाग की सूझ है, मैं आपको बता दूं कि माई रिवर की स्कीम हमने और बम्बई सरकार ने साथ साथ भेजी । बम्बई सरकार की स्कीम शुरू हो गई और हमारी स्वीकृत नहीं हुई । आप वहां जाकर पैरवी तो कीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि सेन्ट्रल वाटर पॉवर कमीशन ने राजस्थान सरकार को लिखा या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह आपके दिमाग की सूझ है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे दिमाग की सूझ है या आपके दिमाग का रोग है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो इस रोग को निकालना पड़ेगा।

रोगियों की दैनिक औसत संख्या

११०. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लालसोट डिस्पेन्सरी में आने वाले दोनों एक तरह के रोगियों की वर्तमान समय में दैनिक औसत क्या है ?

(ख) सन् १९५६ के उत्तरार्ध में राजस्थान के तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने उक्त डिस्पेन्सरी का निरीक्षण करने पर निरीक्षण नोट में क्या राय अंकित की थी ?

(ग) क्या उक्त नोट पर कोई सुधारात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या यह सच है कि लालसोट डिस्पेन्सरी को रोगियों की भारी संख्या के अनुसार औषधियां नहीं दी जाती हैं ?

(ङ) यह कहां तक सत्य है कि उक्त डिस्पेन्सरी में मरहम पट्टी के लिए भी रूई, पट्टी तथा स्पिरिट रोगियों द्वारा ही मंगवाई जाती है तथा उक्त चीजें वहां स्टॉक में बिल्कुल नहीं हैं ?

(च) क्या उक्त डिस्पेन्सरी में भारी संख्या में आने वाले इन्डोर पेशेन्ट्स के रहने हेतु क्वार्टर्स की पर्याप्त व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो इसकी व्यवस्था कब तक होगी।

(छ) उक्त डिस्पेन्सरी को प्रतिवर्ष रूई, गॉज़ का कितना कोटा दिया जाता है ? यह कोटा सदा पूरा देने पर भी वहां इतना कम क्यों पड़ता है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) लालसोट डिस्पेन्सरी में आनेवाले रोगियों की औसत दैनिक संख्या निम्नलिखित है :

इन्डोर ७३

आउट डोर २४०

(ख) भूतपूर्व मन्त्री महोदय के निरीक्षण का कोई रेकॉर्ड सचिवालय अथवा डी. एम. एच. एस के यहां उपलब्ध नहीं है।

[ग] प्रश्न नहीं उठाता।

[घ] जी नहीं, सच नहीं है।

[ङ] जी नहीं।

[च] डिस्पेन्सरी में स्वीकृत चार शैय्यायें हैं। औसत इन्डोर रोगियों की संख्या के लिहाज़ से शैय्याओं की उक्त संख्या पर्याप्त है।

[छ] रूई और गॉज के लिए कोई अलग द्रव्य निर्धारित नहीं है किन्तु डिस्पेन्सरी के लिए जो २७०० रूपये स्वीकृत हैं उस रकम में से इस कार्य के लिए खर्च किया जाता है। निम्न लिखित सालों में खर्च का ब्योरा इस प्रकार है :

१९५४—५५	२८०. ४५
१९५५—५६	२८३. ७८
१९५६—५७	१२४. ५०
१९५७—५८	२१५. ६३

Page No.30

श्री प्रभुदयाल : आपने जो फिगर्स बताये हैं, वे सब झूठे हैं, सही नहीं हैं क्योंकि बराबर जितने मरीज़ जाते हैं उनसे दवाइयां, रूई गॉज़ आदि मंगाई जाती हैं, फिर भी आप फरमाते हैं कि सरकार इतना खर्च करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फिगर्स मैंने ठीक दिये हैं और जानकारी के आधार पर दिये हैं। सरकार की ओर से जो रकम सैंक्शन की गई है उसमें से ही खर्च किया जाता है, रूई वगैरह की अलग कीमत नहीं है।

श्री प्रभुलाल : आपने आंकड़े बहुत ज्यादा बताये, क्या आपका मतलब यह है कि इससे भी कम खर्चा होना चाहिये ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न के (क) भाग का उत्तर नहीं आया। ये दोनों तरह के रोगी, इन्डोर और आउटडोर, नहीं हैं बल्कि स्त्री और पुरुष हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्डोर और आउटडोर दोनों तरह के रोगियों की संख्या बताई है।

भीम सागर (झालावाड़) योजना

१११. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झालावाड़ जिले में भीम सागर योजना कितने लाख रुपये की है ?

(ख) इस योजना का कार्य कब आरम्भ हुआ तथा अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है और कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(ग) उक्त योजना कब तक पूरी होगी ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीलाभाई) : (क) भीम सागर योजना झालावाड़ जिले में १८,१८,६०० रुपयों की है।

(ख) इस योजना का कार्य नवम्बर १९५४ में आरम्भ हुआ।

(ग) इस योजना में डेम का काम तकरीबन ५२ परसेंट हो गया है और नहरों का काम दो तिहाई हो गया है, इस पर दिसम्बर सन् १९५७ तक ९१३०३४) रुपया खर्च हो चुका है। चूंकि लेबर और मेटीरियल रेट पिछले तीन सालों में बढ़ गया है, इसलिए एस्टीमेंट कुछ बढ़ जावेगा।

(घ) आशा है कि यह योजना सन् १९५९ तक खत्म हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

नगरपालिकाओं को कर्ज व सहायता

११२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने गत ३ वर्षों में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा और बीकानेर नगरपालिकाओं को कितना कर्ज व सहायता दी ?

(२) क्या बीकानेर नगरपालिका ने इस वर्ष भी कोई कर्ज मांगा है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनम चन्द बिश्नोई) (१) सूची संलग्न है।

(२) जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो आपने डिवीजन उदयपुर के, उदयपुर सिटी के लिए

Page No.31

(श्री मुरलीधर व्यास)

२ लाख रु० तीन साल के लिए तथा बीकानेर के लिए ४५,००० रु० दिये हैं, उसके लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो नगरपालिकाओं को लोन दिया जाता है उसका क्या आधार है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : इसका आधार है कि जो नगरपालिका निर्माण कार्य तथा विकास कार्य हाथ में लेती है, उस पर लोन दिया जाता है । जो रुपया दिया गया है वह वाटर वर्क्स का है और वाटर वर्क्स स्कीम के लिए लोन दिया है ।

श्री चंदनमल वैद : यह आखरी प्रश्न है, हम चाहेंगे कि सूची पढ़ कर सुना दें ?

श्री अध्यक्ष : काफी बड़ी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : काफी छोटी है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उदयपुर नगरपालिका को वाटर वर्क्स के लिए रुपया दिया गया है । १६५४-५५ में ३ लाख रुपया, १६५५-५६ में ५ लाख रुपया और १६५६-५७ में ८ लाख रुपया दिया गया है । यह लोन जो दिया गया है, यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है ।

श्री चंदनमल वैद : हम एक्स्प्लेनेशन नहीं चाहते हैं, आप पढ़कर सुना दीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं ।

श्री चन्दनमल वैद : आप पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मुख्य आंकड़े बता दीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य आंकडे इस प्रकार से हैं...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं बता देता हूं ।

(हंसी)

उदयपुर नगरपालिका को १६५४-५५ में ३ लाख, १६५५-५६ में ५ लाख और १६५६-५७ में ८ लाख रुपया लोन दिया गया । जो ग्रान्ट इन-एड दी जाती है वह प्लान के बेसिस पर दी जाती है और सब को बराबर हिसाब से दी जाती है । उदयपुर नगरपालिका को १६५४-५५ में ६७, १२५ रु० १६५५-५६ में ७६, १२५ रु० और १६५६-५७ में ८७, ४१० रु० सरकारी सहायता दी गई । जयपुर नगरपालिका को १६५४-५५ में ३, ५०, ००० रु० स्टाफ के वेतन के लिये, ५ लाख रु० सीवेज स्कीम के लिए, इस तरह ८, ५०, ००० रु० दिये गये । १६५५-५६ में २ लाख रु० स्टाफ के वेतन के लिए २, ५०, ००० सीवेज स्कीम के लिए तथा २ लाख रु० कचरा हटाने व ट्रेक्टर खरीदने के लिए दिया गया । ग्रान्ट इन एड के तौर पर १६५४-५५ में २, ८३, ३४७ रु०, १६५५-५६ में २, ३६, ३४० रु० और १६५६-५७ में ५, ०८, ३६५ रु० दिये गये । तीसरे जोधपुर की नगरपालिका को १६५४-५५ में ४ लाख रु० स्टाफ के वेतन के लिए, १६५५ ५६ में ३, ५०, ००० स्टाफ के वेतन के लिए और १६५६-५७ में १ लाख रु० दिया गया सरकारी सहायता के रूप में, १६५४-५५ में १, ३५, ५३७ रु०, १६५५-५६ में १,३५,-५३७ रुपये तथा १६५६-५७ में १, ७६, ०५८ रु० दिया गया । अलवर नगरपालिका को १६५४-५५ में २ लाख रु० वाटर सप्लाई के लिए, १६५५-५६ में २ लाख रु० वाटर सप्लाई के लिए तथा १६५६-५७ में १ लाख रु० पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के लिए, ५०, ००० रु० शहर की सड़कों की मरम्मत

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हेतु तथा ३,००,०००रु. वाटर सप्लाई के लिए दिया गया। ग्रान्ट इन एड के तौर पर १९५४-५५ में ४३, ४०१ रु०, १९५५-५६ में ४३, ४०१ तथा १९५६-५७ में ५६, ३३४ रु० दिया गया । कोटा नगरपालिका को २ लाख रु० १९५५-५६ में दिया गया लोन के रूप में तथा सरकारी सहायता के रूप में १९५४-५५ में ४८, ८३१ रु०, १९५५-५६ में ४८, ८३१ रु० तथा १९५६—५७ में ६३, ३५३ रु० दिये गये तथा बीकानेर नगरपालिका को ४५ हजार रुपया इलेक्ट्रिक के लिए लोन दिया गया तथा ग्रान्ट इन एड के तौर पर १९५४—५५ में ६७, ८३४ रु०, १९५५—५६ में ८७, ८३४ रु० तथा १९५६—५७ में १, १२, ९५६ रु० दिये गये।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल ४५ हजार रुपया बीकानेर को लोन दिया गया है, क्या वहां की सफाई के सम्बन्ध में, पानी के सम्बन्ध में तथा दूसरी समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार को अधिक लोन देने की आवश्यकता महसूस हुई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैने कहा कि वाटर सप्लाई के लिए १९ स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेक्शन हुई थीं तथा उनके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से फंड मिला। यह रुपया राजस्थान सरकार से नहीं दिया गया है। जहां तक स्टाफ के वेतन आदि के लिए रुपये का प्रश्न है, जोधपुर तथा जयपुर की म्युनीसिपेलिटी नहीं चल पाती थीं, वहां एडमिनिस्ट्रेटर को टैक्स लगाने के लिए रखा गया तथा इसके लिए लोन दिया गया है। बाकी जहां लोन दिया गया है, वहां देखा जाता है कि म्युनिसिपल कमेटी की हालत कैसी है तथा लोन को रिपे कर सकती है या नही, यह भी ख्याल रखा जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका कारण क्या है कि जब उदयपुर में काफी पानी है उसको वाटर सप्लाई के लिए १६ लाख रुपया दिया गया तथा बीकानेर में जहां पर पानी की बहुत कमी है और वहां का जीवन इस प्रकार का है कि बिना पानी के कार्य नहीं चल सकता, क्या वहां पर पानी की स्कीम के लिए नहीं सोचा जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फर्स्ट फाइव ईअर प्लान में जिन १९ जगहों का नाम था, उनमें बीकानेर का नाम नहीं था तथा सैकिंड फाइव इअर प्लान में भी बीकानेर का नाम नहीं है। शायद वहां की म्युनिसिपेलिटी ने स्कीम नहीं भेजी हो। वहां की म्युनिसिपेलिटी ऐसी है जो बजट भी नहीं भेजती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बीकानेर का नाम मिनिस्टरी में तो होगा ?

श्री श्रीभानसिंह : प्लान के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नाम कौन प्रपोज़ करता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : हमने बीकानेर के लिए कहा, जिसको केवल ४० हजार रुपया दिया है।

(घंटी)

श्री श्रीभानसिंह : On a point of information, Sir, नाम कौन प्रपोज़ करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम म्युनीसिपैलिटीज़ से इन्वाइट करते हैं कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें हैं, वे जो स्कीम देते हैं, उसको

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हमारे इन्जीनियर एग्ज़ामिन करते हैं, फिर उन्हें सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : फाइनल करके कोई ऑथोरिटी भेज देती है, फिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कौन भेजता है प्रपोज़ल ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट भेज देती है ? म्युनिसिपैलिटी से जो प्रपोज़ल्स आते हैं, उनको हमारे इन्जीनियर एग्ज़ामिन करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बीकानेर का कोई रिप्रेजेन्टेटिव मिनिस्ट्री में नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि वाटर सप्लाई की योजना में सीकर का नाम था और उसके लिए रुपया सेंक्शन भी हुआ था, पर वह रुपया दिया नहीं गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह फाइव इयर प्लान में है। उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि उनियारा म्युनिसिपल कमेटी . . .

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर म्युनिसिपैलिटी में सुझाव सरकार के सम्बन्ध में रखा या नहीं, वाटर सप्लाई स्कीम के सम्बन्ध में ? आपने कहा कि सुझाव आये हैं, उसमें बीकानेर का नाम था या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि फर्स्ट प्लान का काम चल रहा है, सेकिंड फाइव इयर के लिए प्रोपज़ल्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजे हैं, उन्होंने स्कीम मंजूर कर ली है। लेकिन रुपया नहीं मिल सका है। मेरे ख्याल से उसमें बीकानेर का नाम है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे. . .

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !! The question hour is over now.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना चाहता हूं . . .

(घंटी)

१२. ६. म. प.

सभापति तालिका का मनोनयन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन कि नियमावली के नियम ६ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को पेनल ऑफ चेयरमैन के लिए मनोनीत किया गया है :

१. श्री सज्जनसिंह
२. श्री रामचन्द्र
३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
४. डॉ० चन्द्रकला

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से, उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

१. श्री दयाकृष्ण विजय-१० फरवरी, १९५८ से २० फरवरी, १९५८.

(श्री अध्यक्ष)

२. श्री शंकरलाल ११–फरवरी, १९५८ से १५ फरवरी, १९५८

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण····

(विराम)

पुरःस्थापित विधेयक

Now Ligislative Business.

(क) राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही वैधकरण (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) अधिनियम, १९५५ का संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मदनसिंह : Have you circulated this to the members ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास ऑर्डर पेपर आया है, यह गजट में पब्लिश हो चुका है। आप कृपया उसको ध्यान से देखें।

(ख) राजस्थान अभ्रक विधेयक, १९५८

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) (मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान माइका बिल, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं।

(ग) राजस्थान भूमि संक्षेप बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड्स समेरी सेटलमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदर लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री मदन सिंह (दांता) : अध्यक्ष महोदय, यह आज्ञा प्रदान की जा रही है तो क्या यह गजट में प्रकाशित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : Order !

(घ) राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स (अमेंडमेंट) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

१२. ११ म० प०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : Further discussion on Hon'ble Governor's Address.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित कर दिया जाय तो अच्छा है क्योंकि अभी काफी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी लम्बे लम्बे भाषण हो चुके हैं, सदन की इच्छा हो तो समय निर्धारित कर दें।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : मैं निवेदन करूं कि आज तो और देख लें। आज ज्यादा समय लगता दीखे तो कल से समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नहीं समय काफी हो गया है, कल सरकार की तरफ से जवाब होगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, सबको बराबर बराबर समय का वितरण करना चाहिये था, पहले बोलने वालों को काफी अधिक समय दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : समय सीमित है। कितने माननीय सदस्य बोल सकते हैं, इसके लिये समय निर्धारित करना आवश्यक है। आधा घण्टा हर एक बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा। सदन की अनुमति हो तो १५ मिनिट का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अभी काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अच्छा हो कि एक दिन का समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय अब नहीं बढ़ाया जा सकता, पहले ही काफी दे दिया गया है। तो मेरा खयाल है १५ मिनिट की सीमा लगा दी जाय?

एक माननीय सदस्य : यह बहुत कम होगा।

राजा श्री मानसिंह : I think 15 minutes are enough for the Government Benches to oppose the Governor's Address.

श्री अध्यक्ष : I think 15 minutes, limit is all right.

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह सीमा मेरे भाषण के बाद होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण तो पहले ही काफी हो चुका है, आप ५ मिनट में खत्म करेंगे। Only 5 minutes to wind up your long speech.

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे भाषण पर जो अवधि लगाई जा रही है तो इससे तो मैं यह उचित समझूंगा कि मैं न बोलूं।

श्री अध्यक्ष : आप काफी बोल चुके हैं और यह कल ही खत्म हो जाना चाहिये। Five minutes more.

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय अध्यक्ष, मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझ पर जो यह समय की अवधि लगाई जा रही है तो मैं आपकी आज्ञा का आदर करते हुए यह उचित समझूंगा कि मैं अब न बोलूं।

श्री अध्यक्ष : आप कल कितने बोल चुके हैं। That has to be taken into account.

कई माननीय सदस्य : दो घंटे।

श्री जनार्दनराय नागर : कल कितना बोल चुका हूं, यह प्रश्न नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि जब पहले किसी पर समय की सीमा नहीं लगाई गई तो मेरे भाषण पर क्यों लगाई जाय ?

श्री अध्यक्ष : I say five minutes more please.

श्री जनार्दनराय नागर : I will waive my right of speaking for five minutes, Sir.

श्री अध्यक्ष : All right. Shri Jagdish Prasad Mathur.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के भाषण पर बोलने वाले माननीय सदस्यों में मावली से आने वाले माननीय सदस्य के अतिरिक्त किसी ने राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में जरूर समर्थन का नाम लिया पर सभी वक्ताओं की भावना यह रही कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं रखा है जिससे राज्य की आकांक्षाओं की पूर्ति हो, हमारी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति का और समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य है उसकी राज्यपाल के भाषण से पूर्ति होती हो। एक मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने ही इस भाषण का समर्थन किया वह इसलिये किया कि उनको इस प्रकार का एक पद दे दिया गया है जिसमें लाखों का खर्च करने का अधिकार उन्हें दिया गया है, स्वयं पर जिम्मेदारी आने से उन्होंने ऐसा किया है। इनके अलावा अधिकांश वक्ता सदन में बोले हैं उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि जो राजस्थान सरकार का काम रहा है वह सफल नहीं रहा है। आम लोगों की धारणा रही है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत अधिक व्याप्त हो गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस समय यहां नहीं हैं, अतः मैं माननीय गृह मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में एक आदर्श कायम किया जाय और दो ऐसी बातें भ्रष्टाचार की कही गई हैं, उनका निराकरण कर दिया जाय तो बहुत अंशों में भ्रष्टाचार को रोकने के मामले में बड़ी भारी कमियों को पूरा किया जा सकता है। वह है 'पानरवा काण्ड' और दूसरा 'बाबूजी काण्ड'; इन दोनों काण्डों की जांच के लिये एक जांच आयोग की नियुक्ति कर दी जाय। जिस प्रकार संसद में लाइफ इन्शोरेंस के बारे में एक सदस्य के बोलने मात्र पर एक जांच कमीशन मुकर्रर किया गया और वह कमिशन रिपोर्ट देगा उस पर संसद में चर्चा की जायगी, उसी प्रकार यहां पर भी "पानरवा काण्ड" और "बाबूजी काण्ड" के बारे में काफी चर्चा चली है। अधिकांश सदस्यों ने इसकी जांच के लिये जोर दिया है, पानरवा काण्ड तो पहले से ही भ्रष्टाचार का नमूना है। इस प्रकार का हमारे सदन में इस पर विचार होता रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी अब आ गये हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि एक जांच–आयोग को नियुक्त करके "पानरवा काण्ड" और "बाबूजी काण्ड" की जांच के लिये उस जांच आयोग को दे दिया जाय। ये दो टेस्ट कैसेज़ बनाने चाहिये, इनके सम्बन्ध में ओपीनियन आ जाती है तो इनके आधार पर दूसरे केसेज़ पर भी आसानी से विचार किया जा सकता है। जितने वक्ता बोले हैं उन्होंने पानरवा काण्ड के लिये कहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने

Page No.37

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

भाषण में इस ओर इशारा देंगे। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में यही कह कर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ज्यादा बोला गया तो यह रोग और बढ़ता जायगा।

एक बात में पंच वर्षीय योजना के बारे में निवेदन करूंगा जो यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में राजस्थान केनाल के निर्माण के सम्बन्ध में कहा कि इस योजना से प्रान्त की सिंचाई योजना में बड़ा लाभ होगा, पर साथ ही कहा गया है कि विदेशी मुद्रा के विनिमय की कठिनाई के कारण हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। राजस्थान केनाल में ६६ करोड़ की योजना में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २२ करोड़ मिलेने वाला है, राज्यपाल ने अपने भाषण में यह संकेत दिया है; तो मैं कहता हूँ कि हमारी इन बड़ी बड़ी योजनाओं को हम निश्चित समय में पूरा नहीं कर सके, निश्चित समय में नहीं बना कर हमें हर एक के लिए आगे समय बढ़ाना पड़ा है। इस समय यह आवश्यक नहीं है और आगे भी यह संभव नहीं है कि विदेशों से हमें धन मिल जाय, जिससे हम इन बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा कर सकें। तो ऐसी सूरत में इन बड़ी बड़ी योजनाओं को एक बार स्थगित रखा जाय और जो छोटी २ सिंचाई की योजनाएं हैं, उन लघु सिंचाई योजनाओं को चालू किया जाय। राजस्थान के अधिकांश जिले ऐसे हैं जिनमें ये नहरें नहीं जायेंगी। इसलिए राजस्थान के अधिकांश जिलों में सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिए लघु सिंचाई योजनाओं को चालू किया जाय, ये २२ करोड, ६६ करोड इनमें डाल दिये जावें तो हमारी उपज इतनी अधिक बढ़ जायगी कि वह इन बड़ी बड़ी योजनाओं से भी पूरी नहीं होने वाली है। पर बात यह है कि प्लानिंग का जो वास्तविक दृष्टिकोण आना चाहिऐ वह नहीं आता। मैं एक और उदाहरण रखना चाहता हूं। सहकारी समितियों के क्षेत्र हैं, सहकारिता की योजना प्रत्येक प्रान्त में लगाई जा रही है पर आज जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों से मिलती है, उनसे जो कर्मचारी आते हैं वे कहते है कि यह योजना बिलकुल पूरी नहीं हो रही है; न हमको प्रान्त से ऊपर से कोई डाइरेक्शन्स आते हैं कि इसको इस प्रकार से किया जाय। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार जिन जिन लोगों को विशेष कार्यों में शिक्षित कराके, ट्रेनिंग दिला कर बुलाती है, जो उन कार्यों के लिए माहिर होते हैं वापिस उनको उन्हीं कामों के लिए नहीं रखा जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि सहकारिता के लिए श्री रामेश्वरप्रसाद भार्गव को फोरिन भेजा गया था, उनको उसमें शिक्षा दिलाई गई थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया गया था, और जब वे ट्रेनिंग लेकर आये तो उनको इस विभाग को सम्हलाया जाना चाहिये था लेकिन उनको कलेक्टर बना दिया गया और उसके बाद उनको डाइरेक्टर ऑफ कन्सोलिडेशन बना दिया गया। सहकारी कार्यों के लिए डाइरेक्टर की ट्रेनिंग लेकर आये थे लेकिन उनको वहां न लगा कर कन्सोलिडेशन पर लगा दिया गया, वहां वे क्या काम करेंगे? इसी तरह से जो आदमी शिक्षा के माहिर हैं, जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और काम करने के बाद में उनको कलेक्टर बना दिया गया और जो प्रशासनिक आदमी थे, उनको डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया गया। इससे लगता है कि राजस्थान सरकार के कार्य करने वाले लोग हैं उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लान्स नहीं हैं कि

Page No.38

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

किस आदमी को किस स्थान पर रखना चाहिए, कौन आदमी किस स्थान के लिए उपयुक्त है और उसके द्वारा किस प्रकार उपयोगिता हो सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि विकास की जो योजना है उनके ऊपर अधिक से अधिक रुपया खर्च करने के बाद भी, हालांकि आंकड़े जरूर दिये जाते हैं और उन आंकडों से ऐसा लगता है कि व्यय तो काफी होता जा रहा है लेकिन उनका कोई ठीक उपयोग नहीं होता है।

मैं आपका, पब्लिक रिलेशन्स ऑफिस के सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि अध्यक्ष उस सम्बन्ध में काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो भूतपूर्व पब्लिक रिलेशन्स ओफिस के डाइरेक्टर थे, जब एकीकरण हुआ तो वे सीनियर थे, लेकिन परस्पर उनके विरुद्ध षड़यन्त्र रच कर, उन पर आरोप लगा कर झूंठी इन्क्वारी बिठा दी गई। इन्क्वायरी रिपोर्ट आने तक दूसरों को उस जगह पर रख दिया गया और फिर दूसरों को सीनियर बना दिया गया। उस सम्बन्ध में काउन्टर चार्जेज़ हुए और उसका परिणाम यह हुआ कि इन्क्वायरी के सन्मुख जो आरोप आये थे उससे पता चला कि जिन पर आरोप थे वह व्यक्ति निर्दोष हैं और जिन्होंने आरोप लगाये थे वे स्वयं दोषी हैं। इस प्रकार से इस पद पर रह कर उनके द्वारा किस प्रकार से सार्वजनिक संपर्क कार्यालय का कार्य हो सकता है? अन्डर हैंड ओफिस चलते हैं, उनके सम्बन्ध में भी मैं एक उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। अजमेर में फीस वृद्धि के सिलसिले में आन्दोलन चला था। विश्व देव शर्मा, 'न्याय' अखबार के सम्पादक को गिरफ्तार किया था। यह पत्र सार्वजनिक संपर्क कार्यालय का प्रशंसक या जो कुछ चाहे सो लगा दें, है। वहां जो पी. आर. ओ है उनको कहा कि मजिस्ट्रेट को कह कर उनको छुडाओ। उसने वर्तमान डाइरेक्टर के पास वापिस चिट्ठी भेजी जिसमें स्पष्ट लिखा है कि मैंने मजिस्ट्रेट साहब से बात की है कि उसको छोड़ दें। वह चिट्ठी डाइरेक्टर ओफिस के पास है, स्टेम्पूड है और उस पर नम्बर भी हैं। मैं नहीं समझता कि उसको यहां पेश करने की आवश्यकता है क्योंकि वह ऑफिस के अन्तर्गत है। इन्हीं वर्तमान डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स पर एतराज है। मैंने सुना है कि इन्क्वायरी चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन पुराने मेडीकल कॉलेज में एग्ज़ीबिशन हुई थी उसका आज तक हिसाब विभाग में पेश नहीं किया गया है। मेरे कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से सार्वजनिक विभाग का जो अध्यक्ष हो वह किस प्रकार रखना चाहिए, कौन व्यक्ति इसका संचालन कर सकता है। यह मैंने उदाहरण रखा है। इस प्रकार हमारे सामने कोई योजना नहीं है।

दूसरा, माननीय मंत्री जी ने एक चीज़ रखी थी, जो परसों डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, वह है सीलिंग की रिपोर्ट। बड़ी अच्छी बात है कि काश्तकारों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री जी की कोई योजना है, जो सदन के सामने आवेगी। योजना का जो मूल श्रोत है, उसकी जो भावना है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन केवल काश्तकारों का ही सवाल नहीं है। दूसरे लोग हैं उनकी इन्कम की सीलिंग की कोई योजना योजना सरकार के पास नहीं। यदि वे अपने घर से प्रारम्भ करें तो इससे अधिक लाभ हो सकेगा। बाद में इन्डस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में भी लागू कर सकेंगे। घर से इसको लागू करने का मेरा तात्पर्य यह है कि एक सरकारी आदमी को ४५ रुपया मिलता है और दूसरे

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एक आदमी को २५००) रु० मिलता है, मैं समझता हूं कि राज्य की इतनी बड़ी आमदनी नहीं है कि सरकारी अधिकारियों को २५००) रु० दे सके। यदि केन्द्र इसके लिए बाधित करता है तो कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तनख्वाह के अधिकारियों की आवश्यकता नहीं, छोटे अधिकारी भी रख सकते हैं। अभी माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा था कि एस. पी. की जगह डी. एस. पी को रख कर काम चलाते हैं। कमिश्नर्स को वेतन २५००) रु० दिया जाता है लेकिन कलेक्टर्स की ग्रेड से आते हैं, आई. पी. एस. हो जाते हैं और चाहे ६ महीने ही कलेक्टर का काम किया हो, उनको कमिश्नर्स बना दिया जाता है और कमिश्नर्स बनाते ही उतनी बड़ी ग्रेड दे दी जाती है। मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी ग्रेड के आदमी क्यों रखे जायं ? चपरासी और सिपाही को ४५), ६०) देते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाय। हम ऐसी सीलिंग कर सकते हैं, रेश्यो कर सकते हैं, १।२० और १।१० का रेश्यो कर सकते हैं और वही आधार सारे पर रखें। अधिक वेतन जिनका है उनका कम करके नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ायें। मैं मंत्रियों की पे (pay) पर कोई आरोप नहीं लगाने जा रहा हूं, क्योंकि मंत्रियों से अधिक वेतन सिविल सर्वेन्टस को मिलता है। उनके सामने मंत्रियों का आदर्श है। जिन कर्मचारियों को २५००) रु० वेतन मिलता है उनके सामने मंत्रियों का आदर्श है। कम से कम उनको अपने तक तो ला दें। तो मैं समझता हूं कि उनको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उनका वेतन कम कर रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि जी. ए. डी. से यह सर्कुलर निकला है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतें आई हैं कि उनसे अधिकारियों द्वारा उनके घर पर काम कराया जाता है। सर्कुलर यह निकला कि भविष्य में उनसे घर पर काम नहीं कराया जाय। लेकिन अब तक एक भी अधिकारी के खिलाफ इस विषयक कोई जांच नहीं की गई है। उनकी शिकायत का सरकार द्वारा कोई विरोध भी नहीं हुआ है। जब विभाग ने ही स्वीकार किया है और सर्कुलर में लिखा है कि 'On complaints we are issuing this circular,' इसका मतलब यह है कि शिकायतें आयी हैं और स्वयम् मुख्य मंत्रीजी के पास आयी हैं। अगर उन शिकायतों की जांच नहीं होती है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उस समय तक कोई भी अधिकारी उनसे अपने घर पर काम लेगा। मेरे पास एक एक तहसील की लिस्ट है। ४०–५० फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को रखा जाता है और तहसीलों में १५ व्यक्ति ही काम में आते हैं, बाकी १५–२० एक्सट्रा होते हैं जो कलेक्टर के घर पर काम करते हैं, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के घर पर या एस. डी. ओ. के घर पर काम करते हैं। तहसीलों में इतने आदमियों की आवश्यकता नहीं। कोई भी जाकर देख सकता है कि तहसीलों में कितनी स्ट्रेन्थ दी जाती है जो कि तहसील के काम में नहीं आती है। जान–बूझ कर स्ट्रेन्थ स्वीकार कराते हैं या जान-बूझ कर बड़े अधिकारी स्वीकार कर लेते हैं। वे अधिकारियों के घर पर काम करते हैं। जयपुर तहसील के पास में कार्यालय में जाकर चैक कर सकते हैं कि कितने कर्मचारी घर पर काम करते मिलेंगे और तहसील से कितनों की ड्यूटी अलॉट की हुई है, यह पता चलेगा। अगर इस प्रकार की कोई कार्यवाही या जांच

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं करते हैं तो वास्तव में उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है और जो इस प्रकार सर्कुलर इश्यू करते हैं उनका कोई महत्व नहीं रहेगा।

एक बात मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में कल भी सवाल आये थे और आज भी सवाल आये कि हमारे राज्य के लिए पशुधन है वह बहुत उपयोगी है। विकास के लिए यह अनुभव किया गया है कि इस पशुधन का ह्रास हो रहा है। कोई योजना इस सम्बन्ध में हमारी सरकार के पास नहीं है और इससे इतना बड़ा खतरा पैदा हो रहा है कि ग्रामों में जितने मुखियाओं का सम्मेलन हो रहा है, इस प्रकार की शिकायतें उनकी आ रही हैं।

बिड़ला जी ने एक फेक्टरी भिवानी में खोली है, जहां गवार से गूंद बनाया जाता है। उसके लिये यहां से राजस्थान गवार का निर्यात कर रहा है। हमारे राजस्थान में जो पशु-धन है उसके लिये पैष्टिक चीज गवार ही है। वहां पर यह भी एक्सपेरिमेन्ट किया जा रहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि गवार का जो चूरा बचता है उसमें विटामिन्स से रहते हैं, लेकिन मेरी यह सूचना है कि यह जो बात कही जा रही है वह गलत है। दूसरे प्रान्तों में बिनौला दिया जाता है, बिनौलों से पशुओं को विटामिन्स मिलते रहते हैं, किन्तु हमारे राजस्थान में बिनौलों का उत्पादन उतना नहीं है कि हम पशुओं को खिला सकें, हमारे यहां तो गवार ही एक ऐसी चीज है जिस पर यहां के पशुओं का जीवन-निर्भर है। आज वह गवार अधिकांश मात्रा में पंजाब में निर्यात हो रहा है,, इससे हमें भविष्य में खतरा पैदा होने वाला है। इस सम्बन्ध में ग्राम-मुखियाओं का एक रिप्रेजेन्टेशन माननीय कृषि मंत्री से मिला भी है, उसमें उन्होंने मांग की है कि पंजाब को जो गवार एक्सपोर्ट की जा रही है वह बन्द की जाय। प्रान्तीय सरकारों के यह अधिकार में है कि वे किसी चीज को जो अपने स्टेट के लिये आवश्यक समझते हों, निर्यात होने से रोक दे, जैसे चांवल, जौ आदि का एक्सपोर्ट कई स्टेट्स ने बन्द कर दिया है, इसी तरह से गवार का एक्सपोर्ट भी सरकार बन्द कर सकती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो निकट भविष्य में हमारे पशुधन के लिये खतरा पैदा हो जायगा।

चरागाहों के सम्बन्ध में भी हमारे सामने कुछ शिकायतें आई हैं। जिन जिन स्थानों पर नहरें बनाई जा रही हैं वहां चरागाह नहीं छोड़े जा रहे हैं, वहां चरागाह के लिये सार्व-जनिक भूमि अलोट नहीं की गई और लोग अपने खेतों में चराने के लिए तैयार नहीं हैं।

इसके अलावा में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, वह यह कि हमारे प्रान्त के अन्दर केटल इन्श्योरेन्स स्कीम भी लागू की जानी चाहिए क्योंकि काश्तकारों का जीवन बैलों पर ही निर्भर होता है। तकावी के लिये लोन लेते समय, वापिस रकम करते समय भी दिक्कतें रहती है। उसमें बड़ी अड़चने आती हैं केटल इन्श्योरेन्स स्कीम लागू कर दी जाय तो इसमें काश्तकारों को काफी सुविधा हो सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्राइवेटली करवा सकते हैं।

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : माननीय

(श्री मोहब्बतसिंह)

अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार–विमर्श हो रहा है । अभी तक कई माननीय सदस्यों ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने विचार प्रगट किये हैं । मेरी राय का जहां तक इस भाषण से सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है जिसके लिये राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है परन्तु यह भी अवश्य है कि इसमें दो चार विशेष महत्वपूर्ण विषयों का इस भाषण में जिक्र नहीं है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

राज्यपाल महोदय के पहले भाषण में सेन्ट्रल स्टोर परचेज़ ऑरगेनाइज़ेशन का जिक्र था लेकिन इस अभिभाषण में कहीं भी यह जिक्र नहीं मिला कि पहले भाषण में जो आश्वासन दिया गया था वह ऑरगेनाइज़ेशन कायम हुआ या नहीं । अगर वह ऑरगेनाइज़ेशन कायम हो जाता तो आज ऑडिट रिपोर्ट व अन्य चर्चायें जो होती हैं वह चर्चायें बहुत कम हो जातीं ।

दूसरी बात जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है वह है फीमेल एजुकेशन के बारे में । पहले वाले भाषण में फीमेल एजुकेशन के लिये काफी जोर दिया गया था । प्रधान मंत्री पन्डित जवाहरलालजी नेहरू ने हाल ही में दिनांक २ फरवरी को राजस्थान पंचायतों के अधिवेशन में भी स्त्री शिक्षा की ओर जोर दिया था । इस अभिभाषण में उसका कुछ न कुछ जिक्र होता, तो हमें सरकारी नीति का पता चलता, यह बहुत बड़ी खामी जरूर रही है ।

राजस्थान के जागीरदारों के लिये पहले वाले भाषण में बताया गया था कि जागीरदारों को पुनः बसाने (rehabilitation) के अन्दर सरकार ध्यान दे रही है, उम्मीद है कि जागीरदारों के सहयोग से सरकार उनको बसाने में कामयाबी हासिल कर लेगी लेकिन इस भाषण में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं । इसलिए मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन तीनों पोइन्ट्स पर उत्तर देते समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय अवश्य प्रकाश डालेंगे जिसको सुनकर सदन को बड़ा सन्तोष होगा ।

चौथी बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वह यह कि हमारे राजस्थान का आबू ही एक हिल स्टेशन है जिसकी उन्नति के लिये सरकार प्रगतिशील होते हुए भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उस सम्बन्ध में दो शब्द भी नहीं हैं ।

इसके अलावा आज जो हमारी शासन व्यवस्था है उससे लोगों को सन्तोष नहीं है इसका खास कारण यह है कि अभी तक हम डिसेन्ट्रलाइज़ेशन ऑफ पॉवर्स नहीं कर पाये हैं । पहले वाले अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने बताया था कि हमने इसके लिये एक कमेटी नियुक्त की है । इस राज्यपाल के दूसरे भाषण में भी इसका जिक्र है कि कमेटी ने सिफारिशें पेश कर दी हैं, अगर राज्य सरकार उन सिफारिशों को लागू कर देती है तो जो आज शासन में शिथिलता नजर आ रही है वह शिथिलता दूर हो जाय । आज शासन में कितनी शिथिलता है वह मैं आपके सामने दो चार उदाहरण रख कर बताऊंगा ।

जोधपुर के सातीण गांव में एक आयुर्वे-

(श्री मोहब्बतसिंह)

दिक डिस्पेन्सरी है। १-७-५५ से वहां पर बराबर दवाइयां सरकार भेज रही है लेकिन वहां वैद्य को १-७-५५ से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। वहां के जो प्रतिनिधि हैं जो बिलाड़ा से आये हैं उन्होंने भी सरकार से बारबार निवेदन किया है फिर भी वैद्यजी को तनख्वा नहीं मिल रही है।

इसके अलावा माउन्ट आबू का जो एरिया राजस्थान में विलीनीकरण हुआ है वहां एक गरीब ड्राइवर है फकीरसिंह उसको बेचारे को १४ महिने से तनख्वा नहीं मिल पायी है। मैंने भी G. A. D. को कितने ही टेलीफोन किये, सिरोही जिलाधीश महोदय ने भी सिफारिश की, फिर भी उसको वेतन नहीं मिल पाया है।

तीसरा उदाहरण है सरकार ने दफ्तरों के लिये आबू रोड में श्री फीरोज महरबानजी का मकान किराये पर ले रखा है लेकिन उसको १३ महीने से किराया नहीं मिल रहा है। सरकार की शिथिलता का इन उदाहरणों से प्रदर्शन होता है।

शिक्षा विभाग के बारे में जो आंकडे बताये गये हैं उससे तो हमें काफी सन्तोष होना चाहिये। इस साल ६०० नई प्राइमरी स्कूल्स की मन्जूरी हुई है और १०० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल्स में परिवर्तित किया गया है और २५ मिडिल स्कूल्स को हायर सैकन्डरी स्कूल्स में परिवर्तित किया गया है और २०० प्राइमरी स्कूल्स को बेसिक स्कूल्स में बदला गया है। इस प्रकार के आंकड़े देख कर हमें बड़ा सन्तोष है। इससे यह पता चलता है कि हमारी राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील है। लेकिन जहां नई स्कूलें तो खुलती हैं पुरानी स्कूलों का क्या हाल चाल हो रहे हैं वह मैं आपके सामने रखूंगा। खास तौर पर मैं अपने जिले का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि क्या हो रहा है ? सब मिल कर लगभग १०० प्राइमरी स्कूल सिरोही जिले में हैं, उनमें से २६ प्राइमरी स्कूल बन्द पड़े थे। जिले की डेवलपमेन्ट कमेटी ने सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया। उप शिक्षा मन्त्री महोदय गई गर्मी में वहां पधारे तो उनके सामने सारी स्थिति को रखा, उन्होंने काफी प्रयास भी किया लेकिन यह स्थिति है कि एक तरफ तो स्कूल्स खोले जा रहे हैं दूसरी तरफ स्कूल्स बन्द पड़े हैं। ६०० नई प्राइमरी स्कूल्स खोली गई ये आंकड़े तो बहुत सन्तोषजनक हैं। हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इन आंकड़ों से हमें सन्तोष है। अगर आप इन आंकडों की जानकारी मंगाये तो ऐसा पता चलेगा कि बीस पर्सेन्ट ऐसे स्कूल होंगे जो बन्द पडे हैं। इसके कई कारण होते हैं। कई स्कूलों में मास्टर होते हैं तो वे वहां रहना नहीं चाहते। कई जगह ऐसा होता है कि अध्यापकों को वेतन इतना कम मिलता है कि उनको इस नौकरी से कोई आकर्षण नहीं रहता। पहले तो जब कोई नौकरी उनको कहीं भी नहीं मिलती है तो इस विभाग में आते हैं फिर यहां आ कर किसी दूसरी सर्विस की, इससे ज्यादा वेतन के स्थान की तलाश में रहते हैं, क्योंकि यहां तनखा उनको कुछ नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। मैं सिरोही का उदाहरण देता हूँ। सिरोही जिले में आज सिंगल टीचर (Single Teacher) के अलावा एक भी प्राइमरी स्कूल ऐसा नहीं है कि जहां पर्याप्त संख्या में अध्यापक हों। मिडिल स्कूलों का भी

(श्री मोहब्बतसिंह)

यही हाल है। वहां किसी एक भी मिडिल स्कूल के सभी पूरे अध्यापक नहीं हैं। कालन्द्री मिडिल स्कूल में तो ५ अध्यापक ही हैं और तो और अभी तक हैड मास्टर का भी पता नहीं। यही हाल दूसरी मिडिल स्कूलों का है।

दूसरा निवेदन इस बारे में यह है कि इसमें इस साल जो बुक स्कैन्डल हुआ वह तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। विद्यार्थियों की इसकी वजह से परेशानी बहुत बढ़ गई। आज वार्षिक परीक्षाएं उनकी निकट आ गई हैं पर आज तक भी हालत यह है कि पूरी कोर्स की पुस्तकें उनके पास नहीं पहुँची हैं। किसी किसी इलाके का तो यहां तक हाल है कि ८० फी सदी विद्यार्थियों के पास पुस्तकें नहीं पहुँची हैं। यह दिक्कत राजस्थान वाइड है। कहीं बहुत ज्यादा कहीं, कम। पर इसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में नहीं किया। अगर इसका जिक्र होता तो विद्यार्थी समाज को कुछ सान्त्वना मिलती।

फिर जहां तक मैं समझ पाया हूं इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स का बंटवारा भी ठीक ढंग से नहीं है। सिरोही में आबू के आ जाने से आज उसमें सेन्ट मैरीज़ और दूसरी एडेड स्कूलें भी आ गई हैं। वहां डिप्टी इन्सपेक्टर रहता है। इसमें मुश्किल क्या होती है कि जब वे सेन्ट मैरीज़ जैसी स्कूलों में जाते हैं तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स फील करते हैं वहां के पादरियों के सामने। तो इस चीज को देखते हुए और यह भी देखते हुए कि वहां संस्थाओं की संख्या भी बढ़ गई है वहां इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स रक्खा जाना जरूरी है।

इन्डस्ट्री के माने में अच्छी प्रगति का इसमें उल्लेख है यह काफी सन्तोषजनक बात है। निकट भविष्य में सांभर और हनुमानगढ़ में बड़े बड़े कारखाने अमोनियम सल्फेट और कारबोराइड के बनाये जा रहे हैं। पर पिछले भाषण में राज्यपाल ने शीशा, जस्ता, जिंक, तांमड़ा, तांबा आदि के भंडारों का जिक्र किया था। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने क्या प्रगति की है इसका भी जिक्र इस अभिभाषण में होता तो ज्यादा सन्तोष होता।

सिंचाई के क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है, मेरी समझ में, उतनी किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं हुई है। भाखरा की योजना पूरी हो गई है। कोटा और चम्बल की योजनाएं प्रगति पर हैं और राजस्थान कैनाल पर ६६ करोड़ के एस्टीमेट में से २२ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसमें खर्च होने को है।

(घंटी)

यह खुशी की बात है। पर इसके साथ ही जो छोटे मोटे बांध बने और टूट गये उनके बारे में सरकार ने क्या किया; इसका भी जिक्र अगर इसमें होता तो ज्यादा सन्तोष होता।

ट्रान्सपोर्ट के विषय में अर्ज करूं। यू.पी. रोडवेज़ और दूसरी जगह जैसी सरकारी रोडवेज़ हैं वैसी यहां भी करने का अगर जिक्र होता तो ज्यादा सन्तोषजनक होता। पर ट्रान्सपोर्ट के विषय में इस सरकार की नीति का कुछ पता नहीं लगता है। दूसरी ओर बस ओपरेटर्स इतने प्रभावशाली होते जा रहे हैं कि सरकार को किसी निश्चय पर नहीं पहुंचने देते। सिरोही से जोधपुर तक सिरोही-आबू रोड पर जो सरकारी बस सर्विस है उसे सिरोही में चलाने का सरकार ने निश्चय किया, ट्रान्सपोर्ट विभाग की चार

(श्री मोहब्बतसिंह)

बसें भी वहां पहुंच गईं, १।।, २ लाख रुपया भी इन पर खर्च हो गया, तारीख तक तै हो गई कि इस तारीख से यह सिरोही-जोधपुर सर्विस चालू हो जावेगी। पर हुआ यह कि गाड़ियां आज तक यों ही पड़ी हैं। काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। कारण, ज्यादा अर्ज नहीं कर सकता हूं। अगर इस रूट पर ये बस जल्दी से जल्दी अब भी चल सकें तो जनता की मांग पूरी हो सकती है।

(घण्टी)

मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : Just two minutes more.

श्री मोहब्बतसिंह : (जारी) मैडिकल विभाग के आंकड़ों से हमें बिल्कुल सन्तोष नहीं है। पहले रियासतों के समय में जो जो सुविधाएं उपलब्ध थीं आज मेरे जिले में तो उन सुविधाओं से भी जनता को वंचित किया जा रहा है। अनादर नाम का एक गांव है। राजाओं के जमाने में वहां ३० हजार की लागत से एक अस्पताल के लिए भवन का निर्माण किया गया था। वह आज भी मौजूद है। पर उसमें डिस्पेन्सरी से घट कर Aid Post कर दिया गया है। दो तीन बार सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रीजी भी वहां तशरीफ ले गये थे, हुक्म भी हो गया था कि Dispensary maintain की जाय। पर वहां गांव में कोई टाई, सूटेड बूटेड डाक्टर रहना नहीं चाहता। उनको शिकायत रहती है कि वहां उनको कम्पनी नहीं मिलती। इससे वे ऐसी कार्यवाही करते हैं कि पेशेन्ट्स Patients की संख्या कम बताते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं कि यहां पेशेन्ट्स से पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और इस तरह से येन केन प्रकारेण कोशिश में सफल हो कर वहां से छुटकारा हासिल कर लेते हैं और इस तरह से वह डिस्पेन्सरी वापिस एड पोस्ट हो कर रह जाती है।

श्री टीकाराम पालीवाल (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से राज्यपाल महोदय के भाषण पर सदस्य लोग अपने विचार प्रकट करते रहे, मेरा पहले कोई बोलने का विचार नहीं था; यहां तक कि हमारे दल के सचेतक ने पूछा था तो मैंने इन्कार कर दिया था। लेकिन कल जब मैं हाउस से निकल कर वापिस जा रहा था तो ध्यान आया कि मुझे कुछ बोलना ही चाहिये और नहीं बोलूँगा तो शायद मैं अपने कर्त्तव्य से किसी हद तक विमुख होजाऊंगा।

कई प्रकार की बातें सदन के सामने आईं और उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह भी आई कि एक माननीय सदस्य ने उस ओर से एक पत्र पेश किया। वह पत्र इस सदन के भूतपूर्व सदस्य का लिखा हुआ बताया जाता है। दूसरे सदस्य को लिखा गया और एक प्रशासनिक मामले के बारे में था। मेरी बोलने की कोई इच्छा नहीं थी लेकिन इस ओर के साथी मेरे जितने बोले उन्होंने शायद इत्तफाक से ही रह गया होगा, इस बात के बारे में कोई चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा या ध्यान नहीं रहा और इससे मुझे ऐसा लगता है कि सदन में और पब्लिक में भी कुछ भ्रम हो सकता है कि शायद हम इस ओर बैठने वाले सभी लोग इस प्रकार की चीज की ओर या तो ध्यान नहीं देते या उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। इस ओर बैठने वालों के विषय में कहीं ऐसा भ्रम न हो इसलिए मुझे बोलना जरूरी मालूम पड़ा। अब क्योंकि मैं बोलना प्रारम्भ कर चुका हूं इसलिए इस पत्र के अलावा और भी एक-

(श्री टीकाराम पालीवाल)

दो बातों के विषय में अपने विचार प्रकट करूंगा, लेकिन विशेष रूप से उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे उस समय यही बात अखरी थी, जब कि उस पत्र के पेश करने वाले सदस्य को बीच बीच में रोकने की कोशिश की गई। एक दो साथियों ने यह कह कर कि जिन व्यक्तियों के बारे में यहां कहा जा रहा है, यानी जिसने लिखा और जिसको लिखा गया, वह दोनों ही इस समय सदन में नहीं हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहिये। और अध्यक्ष महोदय, उस समय आप नहीं थे जिस समय कि माननीय सदस्य ने इस पत्र को पेश किया। मुझे उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब कि उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा ख्याल है कि वह उनकी रूलिंग तो थी नहीं, एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन ही था कि इस तरह के पत्रों का इन्टरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिये। मुझे बोलना इसलिए जरूरी मालूम पड़ा कि इस तरह की चीजों को चुप-चाप जानें दें तो हमारे हाउस में गलत पर-म्परायें पड़ेंगी। कल जब मैं लॉबी में बैठा हुआ था उस समय एक मित्र से मैं बात कर रहा था जो कि इस सदन के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वह पत्र तो केवल उन्हीं दोनों से सम्बन्ध रखता है जिसने कि उसको लिखा और जिसको कि वह लिखा गया और किसी से उस पत्र का सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने अपनी निजी जानकारी के ऊपर ही यह विचार व्यक्त किये। जिनसे कि मैं पूर्णतः सहमत नहीं हो सका। वह एक मामला दूसरा है। लेकिन फिर भी वह पत्र कई प्रश्न उपस्थित करता है। पहली बात तो यह है कि इसमें संदेह की बात नहीं है कि जिसने पत्र लिखा और जिसको लिखा गया दोनों ही इस सदन के माननीय सदस्य थे। वह सदस्य इन चुनावों से पहले थे और वह पत्र यह भी स्पष्ट व्यक्त करता है कि वह पत्र प्रशासनिक मामलों के बारे में था। यह भी बहुत स्पष्ट है उस पत्र से कि किसी प्रशा-सनिक मामले को अपनी इच्छानुकूल तय कराने के लिए किसी खास कन्सीडरेशन की उसमें बात थी। उसमें था कि जो कुछ तय हुआ है वह पेमेन्ट कर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं कुछ अधिक कहूं उससे पहले यह बता दूँ कि ऐसी बातों की जानकारी हो जाने के बाद भी चुपचाप रहें और बाहर कुछ न कहें और लोगों को मालूम न करें। मगर मेरा विश्वास है कि लोगों को मालूम तो जरूर है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में जो अभी एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ, मूंदड़ा केस के बारे में। वह रहस्योद्घाटन कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य ने किया था और वह थे श्री फिरोज़ गांधी। इसलिए यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि ऐसी कुछ भी बात हो उसके बारे में यदि वह शासन सम्बन्धी बात है तो शासक दल के लोग उसके बारे में चुप रहें। ऐसा अनुमान लगाना गलत है और जब मैं यह सुन रहा था कि चूंकि दोनों ही सदस्य इस समय हाउस के सदस्य नहीं हैं और बाहर के हैं और इसलिए उनके बारे में नहीं कहना चाहिए तब यकायक मेरे ख्याल में आया कि मूंदड़ा भी तो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं थे जिनके बारे में कि ऐसी बातें हुई। उपाध्यक्ष महोदय का जो यह कैजुअल ऑब्जर्वेशन था वह भी मुझे जंचा नहीं। जो सदन के सामने एक डॉक्युमेन्ट आया है उसके इम्प्लीकेशन्स को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाना चाहिये था।

(श्री टीकाराम पालीवाल)

उसके साथ में इम्प्लीकेशन्स हैं। लिखने वाले एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को पत्र लिखा है और उसको भी एम. एल. ए. की हैसियत में लिखा किसी प्राईवेट हैसियत में नहीं। जैसा कि पहले एक दफा एक पत्र आया था उसके अन्दर यह कहा गया था कि वह तो एम. एल. ए. की हैसियत से नहीं बल्कि प्राईवेट सदस्य की हैसियत से है। उसमें लिखा था श्री रोशनलालजी, एम. एल. ए. कांग्रेस कार्यालय, उदयपुर, राजस्थान। उनको पत्र एम. एल. ए. की हैसियत से लिखा गया और उनकी जो सहायता चाही जा रही थी बाबूजी के ऊपर प्रभाव डालने की वह एम. एल. ए. की हैसियत से चाही जा रही थी। ऐसी दशा में यदि यह अनुभव किया जाय कि वह एक अनुचित कार्य था तब मुझे कोई बात नहीं कहनी और वास्तव में यह अनुचित कार्य था तो यह हाउस दोनों सदस्यों को यहां सम्मन करे और उन्हें उपस्थित करे। याने जिसको कि पत्र लिखा गया और जिसने पत्र लिखा दोनों को ही सम्मन किया जाये और उपस्थित किया जाये। दोनों को सम्मन किया जा सकता है।

(करतल-ध्वनि)

क्या वह कन्सीड्रेशन था, किस प्रकार वह अपने कन्डेक्ट को जस्टीफाई करते हैं। साथ ही पत्र लिखने वाले ने और पत्र पाने वाले ने जो कुछ किया है क्या वह कन्डेम्प्ट ऑफ हाउस का प्रश्न हो सकता है या नहीं, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं कि कानून क्या कहता है। लेकिन फिर भी यह एक स्टेडी करने लायक चीज है। उनका आचरण अशोभनीय, अवांछनीय और हाउस के मेम्बर्स के कोड ऑफ कन्डेक्ट के खिलाफ तो था ही मगर फिर भी यह ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर उन सदस्यों को जिसने कि पत्र लिखा और जिसे पत्र लिखा गया दोनों को हाउस के सामने सम्मन किया जा सकता है। बहरहाल वह अलग चीज है, लेकिन दो तीन बातें जैसा मैंने कहा बहुत स्पष्ट हैं कि एक मेम्बर दूसरे मेम्बर को लिखे और वह भी प्रशासनिक मामलों के बारे में और उस मामले को ठीक करवाने के लिए एक कन्सीडरेशन की बात थी। अब मेरी इस बात से कौन कौन लोग सहमत हैं, उन दो के अलावा, यह तो दूसरी चीज है। परन्तु उसका क्या असर पड़ा यह एक विचारणीय विषय हो सकता है। क्योंकि अभी एक मित्र ने कहा कि वह पत्र तो क्योंकि किसी दूसरे हाथ में पहुंच गया है इसलिए यह मान लेना चाहिये कि पत्र एड्रेसी के पास नहीं पहुंचा है। ऐसा मानने का कोई कारण तो नहीं है। ऐड्रेगी के बाद में दूसरे के पास भी पत्र पहुंच जाता है लेकिन उस पत्र में भी प्रीवियस लेटर का हवाला है कि आपको एक पत्र पहले भी भाई सहाब की मारफत मिला होगा, तो ऐसा लगता है कि वह जो मामला चल रहा था वह काफी समय से चल रहा था और वह पत्र उस चीज को जोड़ने में एक कड़ी-मात्र था। इसलिए यह जांच का विषय हो जाता है और इसमें इस दल के मैं समझता हूं कि अगर सब नहीं तो बहुत से लोगों की यह राय है कि यह कार्यवाही बहुत निश्चित है और उसके विषय में हम अपना डिस-एप्रूवल जरूर प्रकट कर सकते हैं। एक बात इस में थोड़ी रहस्य की सी रह जाती है कि आखिर किस अधिकारी को प्रभावित किये जाने का प्रयत्न था, किस अधिकारी के लिए वह कन्सीडरेशन देने के लिए बात थी प्रशासनिक काम करवाने के लिए? उसमें केवल "बाबूजी" शब्द लिखा है। हो सकता

(श्री टीकाराम पालीवाल)

है कि वह डीलिंग क्लार्क ही हो। यह जरूरी-बात नहीं है कि वह बहुत बड़ा अधिकारी ही हो। "बाबूजी" शब्द का अर्थ इतना ही निकल सकता है कि वह डीलिंग क्लर्क भी हो सकता है और कोई ऊंचे दरजे का अधिकार भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है उसमें। दो वाक्य उसमें ऐसे है जिनसे वह पत्र अधिक गम्भीरता धारण करता है। एक तो यह है, दो क्या एक ही समझना चाहिए क्योंकि "बाबूजी" तो है ही, कि "बाबूजी के पास फाइल पहुंच चुकी हैं........

एक माननीय सदस्य : आपको मालूम हो तो कह दें।

श्री टीकाराम पालीवाल : मुझे मालूम नहीं है। जितना मुझे मालूम हो सका है वह चीज़ जांच तक केलिए नहीं कही जा सकती है। सुनी सुनाई कई बातें हो सकती हैं। वैसे उस विषय में जांच से ही कुछ हो सकता है। मेरी जानकारी कुछ और हो सकती है और दूसरों की और हो सकती है, लेकिन यह चीज़ ऐसी है कि जिसकी जांच की जा सकती है। मसलन, जहां यह लिखा है कि दोनों केसेज़ "बाबूजी" के पास पहुंच चुके हैं, उसका सीधा सा इशारा उस फाइल से है और वह फाइल है खवाड़ का केस जिसमें कि रुपये वापिस मिलने की बात थी, उस फाइल की तरफ ही है। मेरा खयाल है कि आज तीन, चार दिन हो गये। ज्यादा अच्छा यह होता कि उस फाइल को अब से पहले ही इस हाउस के सामने, सारे हाउस के सामने नहीं तो अध्यक्ष महोदय, आपके सामने लाया जा सकता था और जिन सदस्य महोदय ने वह पत्र उपस्थित किया था उनके सिवाय एक, दो और चार हाउस के सदस्यों को कॉन्फीडेन्स में लेकर उस फाइल को, उस मामले को दिखाया जा सकता है। जिस तरीके से पत्र लिखा गया है, उस तरीके से फाइल किस के पास है और फाइल जिसके पास है वही वे "बाबूजी" है यह मालूम हो सकता था। (विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि) चाहे वह डीलिंग क्लार्क हो चाहे दूसरा हो। वह फाइल अब से पहले दी जा सकती थी। मेरे खयाल से गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा उसी समय उसी दिन हो जाना चाहिए था, क्योंकि फिर यह कहेंगे कि फाइल में बदला बदली कर दी गई इसलिए अभी तुरन्त देख लें। उससे एटमोस्फियर साफ और क्लियर हो सकता था। यह कहा जा सकता है शायद कि सेक्रेटेरियेट की फाइल्स को इस प्रकार से दिखाया नहीं जा सकता। वह गुप्त चीज़ है। गुप्त रखने के नियमों के अनुसार किसी को भी देखने का अधिकार नहीं है। कोई यह मांग करें कि मुझे दिखलाओं तो उस मांग को वह कम्पेल नहीं कर सकता है दिखाने के लिए। लेकिन वह इसलिए हो कि सेक्रेटेरियेट में बहुत सी फाइलें ऐसी भी होती हैं कि जिनके कन्टेन्ट्स को यदि आउट कर दिया जाय तो जनहित के विरुद्ध जाता है। लॉ एण्ड ऑर्डर की कुछ बातें हो सकती हैं, बड़ी राजनीति की बातें हो सकती हैं, उनमें कई सीक्रेट हो सकते हैं जिनको दिखाने से, प्रकट करने से जनहित के विरुद्ध में जाती हैं वे बातें। लेकिन बहुत सी बातों में सिर्फ रुटीन की फाइल्स भी होती हैं। वे जो नियम हैं वे अक्सर आवश्यक फाइलों के बारे में बनाये गये हैं जिनको दिखाने से हानि हो सकती है। लेकिन जिन फाइलों को दिखाने से हानि नहीं हो सकती हैं, जो रुटीन की फाइल्स है, उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिखाने को मज़बूर हों, वहां ऐसा मुझे याद

(श्री टीकाराम पालीवाल)

है, इसी सदन में पिछले सदन में बूंदी के मामले में इस प्रकार का एक उत्तर हाउस के सामने आया था और उस समय एक फाइल उस संबंध में कुछ सदस्यों को दिखाई गई थी कि वे अपना संतोष कर लें। उनको संतोष नहीं हुआ है। यह दूसरी बात है। उस समय यह मालूम पड़ा कि उस फाइल में एकाध पत्र जिनका कि हवाला था वे नहीं मिले, जिसके कारण संदेह और ज्यादा हो गया, यह दूसरी बात है। लेकिन फाइल दिखाई जा सकती है। वह बूंदी की एक कोठड़ी का मामला था मुझे याद है। स्पष्टीकरण के लिए फाइल को उसी दिन लाया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने लाया जा सकता था, एक दो सदस्यों के सामने लाया जा सकता था। खास तौरसे जिन्होंने उस प्रश्न को उठाया था उनको दिखाया जा सकता था कि यह फाइल उस तारीख को जिस तारीख को यह पत्र लिखा गया है या उसके आस पास तो अमुक डीलिंग क्लर्क के पास थी या कोर्ट ऑफ वार्ड्स में थी, सेक्रेटेरियेट में आई ही नहीं थी। उससे बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाता। जिन महानुभाव ने उस फाइल को यहां रखा वे उसके इन्टरप्रिटेशन में बहुत आगे बढ़ गये। मेरा ख्याल है कि ज्यादा आगे बढ़ गये। उसके शब्द ऐसे हैं, उसमें एक सेन्टेन्स है आखिर में 'आप घबराइये नहीं अब तो मामला ठेट पुग गया है।' ठेठ के मायने होते है फाइनल स्टेज पर। यानी फाइनल स्टेज पर मामला है। इससे अधिक शंका होती है लोगों को और इस शंका को उन्होंने ज्यादा साफ शब्दों में कह दिया। मेरा खयाल है कि उन्हें कहने की जरूरत नहीं। फाइनल स्टेज उस समय के राजस्व मन्त्री हो सकते हैं। यह लाजमी बात नहीं है कि राजस्व मन्त्री ही हों। फाइनल स्टेर्ज सुप्रिन्टेन्डेन्ट कोर्ट ऑफ वार्ड्स भी हो सकता है। मुझे मालूम नहीं कि उस प्रश्न को तय करने वाली फाइनल ऑथोरिटी कौन थी? सुप्रिन्टेन्डेन्ट कोर्ट ऑफ वार्ड्स भी फाइनल आथोरिटी हो सकती है। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी भी फाइनली तय करने वाले हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं। बहुत से मामले सेक्रेटरी भी तय कर देते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको असिस्टेन्ट सेक्रेटरी तय कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि विभागीय अध्यक्ष ही तय कर देते हैं। फाइनल स्टेज का लाजिमी मतलब यह नहीं कि उस समय के जो रेवेन्यु मिनिस्टर ही हों। लेकिन क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा इसलिए ज्यादा आवश्यक था हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी को जो कि उस समय राजस्व मंन्त्री थे कि कल नहीं तो आज ही उस फाइल को मंगा कर सामने रखते हाउस के और वे कहते कि देख लो उस समय यह फाइल कहां थी। यह चीज़ होनी चाहिए थी। मैं अब भी मानता हूँ कि इस लेटर स्टेज पर भी, दो, तीन दिन की ज्यादा देरी है फिर भी उसको मंगाकर देखा जाय तो लोगों को कई मामलों में भ्रम हो रहा है वह कम हो सकता है। तो ऐसे मामलों में भ्रम के साथ चलना गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, शासन के अधिकारियों के लिए अच्छा नहीं, हाउस के लिए अच्छा नहीं, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं। जहां इस प्रकार की आशंका शासन के लीडर के प्रति की जा सकती है तो फिर भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड अथवा उस विभाग का क्या किया जायगा और उनसे हम क्या आशा रखें? इसलिए मैं मानता हूँ कि वह चीज़ सामने आनी चाहिए। अब से पहले ही आ जानी

(श्री टीकाराम पालीवाल)

चाहिए थी। अगर वह आ जाती तो मैं नहीं बोलता।

दूसरे उसी प्रकार की एक दो बातें यहाँ हुई थीं उनका इन्टरप्रिटेशन मैं नहीं कर सकता हूँ। वह यह थी कि जो पर्सन्स यहां नहीं थे उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। उनके बारे में रूलिंग के रूप में यह नहीं लिया जा सकता है। हाउस के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट जो आये, उनके लिए इन्टरप्रिटेशन होता है कि वे मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर एक्शन ऐसा है और हाउस के सामने आया है और यदि मामला ऐसा है कि जिसके बारे में हाउस को ध्यान देने की जरूरत है तो वे हाउस में उप-स्थित हों या नहीं, यह कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है।

इस प्रकार से और भी कई चीजें हैं जिनके बारे में डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका स्पष्टीकरण हो तो ज्यादा अच्छा होता। मसलन, एक बात बहुत चर्चा का विषय हो रही है कि कोटा के कोई एक सेठ हैं और उनके कुछ रुपये नवाब टोंक के किसी रिश्तेदार की तरफ बाकी थे। वे टाइम बार्ड भी हो गये थे। उस रुपये को भी अदा करने का फैसला गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन एकाउन्टेन्ट जनरल ने ऑब्जेक्शन किया और इसलिए मामला रुक गया। वह रुपया पुराना कर्ज़ था शायद १ या २ लाख का। वह रुपया दे दिया जाता है। यह एक बड़ी ही चर्चा का विषय हो रहा है। लॉबीज़ में भी मैंने यह चर्चा सुनी है और पब्लिक में भी इस तरह की चीज़ों का स्पष्टीकरण आना चाहिए ताकि लोगों में जो ख्वामख्वाह भ्रम होता है वह दूर हो जाय। वह एक रूलर के रिश्तेदार की लाएबिलिटी थी और उस लाय-बिलिटी को गवर्नमेंट ने पूरा करने के लिए, डिसीज़न करने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो जाय तो, यह मुझे नहीं मालूम है कि कहां तक सही है लेकिन सुना है, ऐसी चर्चा है, यह कहां तक उचित है, मैं समझता हूं कि इसका भी स्पष्टीकरण आ जाय तो ठीक रहेगा।

और भी ऐसी बाते हैं जिनके लिए मैं इस समय हाउस का समय नहीं लेना चाहता हूं, फिर कोई मौका होगा तो कहूंगा।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि गत वर्ष का इतिहास अराजकता, भुखमरी और भ्रष्टाचार का रहा है। मालूम पड़ता है कि सत्तारूढ़ दल में आपस में फूट होने के कारण कई मिनिस्टर आये लेकिन राजस्थान की उन्नति के लिए कोई विचार नहीं किया गया। शान्ति व्यवस्था के लिए जो डींग हांकी गई है वह शान्ति और व्यवस्था मिनिस्टरों के ही बंगलों में हुई हैं जहां कि ४०) रुपया माहवार का पहरेदार २४ घन्टे पहरा दे रहे हैं।

१.१० म० प०

आज शान्ति राजस्थान की जनता के दिल में नहीं हो रही है, राजस्थान की जनता के घरों में शान्ति नहीं हो रही है तब फिर मैं इसको शान्ति कैसे कहूँ? अध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि सांचोर तहसील में कितनी डकैतियां हुई हैं। सरकार डींग हांकती है कि सब जगह शान्ति और व्यवस्था है। आज ही एक लिस्ट बताई गई, सांचोर तहसील में कुल १५५ गांव हैं वहां पर ५० डकैतियां हुई है। वहां की

Page No.50

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

जनता का न मालूम आज क्या हाल हो रहा है ? वहां पर लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। वहां पर डकैतियों को खत्म करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। कुछ डाकुओं, कानियां, बीलीया आदि को पुलिस अधिकारियों ने खत्म किया लेकिन वे आज इनाम पाने के लिये तरस रहे हैं। जब उनको कोई इनाम नहीं मिलता है तो वे क्यों डाकुओं को खत्म करने का प्रयत्न करेंगे ? आज इन सब बातों का हमको हरजाना भुगतना पड़ रहा है। आज वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है कि शान्ति से कोई सो सके। हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हालत हमको देखनी पड़ती है। जालोर जिले में २२७ बोरी सीमेन्ट का जल बोर्ड वालों ने गबन किया और उसका पैसा भी जमा हो गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। समझ में नहीं आता क्या मामला है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम जागरूक हैं और दूसरी ओर रोज इस तरह के वाकये होते हैं।

एक दलपतसिंह नामका कांस्टेबल डाकुओं के मुकाबले में मारा गया। उसको शादी किये ६ महीने हुए होंगे लेकिन इसके कुटुम्ब के पालन का कोई प्रबन्ध अब तक नहीं हुआ। कोई पुलिस अधिकारी डाकुओं के हाथों से क्यों मारा जायगा या डाकुओं से बचाने के लिये क्यों किसी की सहायता करेगा जब कि उसके खुद के लिये कुछ नहीं किया जाता।

गोल्ड का स्मगलिंग जालोर जिले में खुले आम हो रहा है। इसके अन्दर कांग्रेस वर्कर्स खुले आम हाथ बंटा रहे हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा। अगर उनको पकड़ने की कोशिश कोई करता है तो उसको हटाने की धमकियें दी जा रही हैं।

अब मैं शिक्षा विभाग की बात करता हूं तो इसका हाल ही अजीब है। बार बार यह बात कही जाती है कि इतनी स्कूलें खोली गई हैं। स्कूलें कहीं खोली गई होंगी लेकिन सांचोर तहसील में उच्च शिक्षा हांसिल करने का कोई साधन नहीं है। सांचोर तहसील हैड क्वार्टर है लेकिन वहां पर कोई हाई स्कूल नहीं है। वहां की जनता गरीब है। वहां के बच्चे बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते। वहां पर चौथी से आठवीं कक्षा तक २०० लड़के हैं। वहां पर आठवीं कक्षा में ४० लड़के रोजाना हाजिर रहते हैं लेकिन उनके बैठने के लिये पूरी अकोमोडेशन नहीं है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नही दे रही है और डींग हांकती है कि हमने शिक्षा में इतनी उन्नति की है। शिक्षा की उन्नति कहां हुई है ? उदयपुर में ? या जहां के मन्त्री हैं वहां पर ? मैं यह नहीं कहता कि उदयपुर में या लूनी में शिक्षा की उन्नति नहीं हो। अब भी लूनी में शिक्षा की उन्नति नहीं होगी तो कब होगी ? कहावत है कि 'नानोरो व्याव और मा पुरसणवाली।'

श्री चन्दनमल वैद्य : कहावत अधूरी रह गई।

श्री लक्ष्मीचन्द : (जारी) अधूरी है तो आप पूरी कर दीजिये।

सांचोर की जनता के पास पैसा नहीं है जिससे कि वह स्कूलों का निर्माण कर सके। लेकिन सरकार की यह ड्यूटी है कि जहां पर स्कूलें नहीं हैं वहां पर व्यवस्था करे। प्राइमरी स्कूल का हाल सुनाऊँगा तो पता चलेगा कि जालोर में प्राइमरी स्कूल का कोई भवन नहीं

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

है। वहां पर मकान किराये पर लिया गया हैं। बच्चों पर आकाश और धरती की छाया पड़ती है। मंत्री जी वहां पर जाते हैं, निरीक्षण करते हैं लेकिन बच्चों को उनका हाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। बिजली का उद्घाटन करने के लिये कृषि मन्त्री वहां पधारते हैं लेकिन जिन बच्चों के भाग्य का निर्माण जिस स्थान पर होता है वहां का निरीक्षण करने की कोई मन्त्री हिम्मत नहीं करते (शेम–शेम)। इस पर भी आप कहते हैं कि इतने स्कूल खुल गये। कागजों में स्कूल हों तो पता नहीं, पर जनता के दिल और दिमाग में तो नहीं खुले।

थोडे बहुत सरकार की महरबानी से स्कूल्स खुले हैं लेकिन वहां पर टीचर्स नहीं भेजे गये हैं। जुलाई मास से वे स्कूल्स बंद पडे हैं। कारोला, सरवाना, दूदवा में स्कूल बंद पडे हैं न मालूम और भी कितनी जगहों पर स्कूल बन्द पडे हैं। यह हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है, सौतेली माँ का सा बर्ताव हो रहा है। पता नहीं जालौर डिस्ट्रिक्ट को मिनिस्टर साहब ने कौन सी ब्लेक लिस्ट में लिख लिया है।

जागीर पुनर्ग्रहण की बात कहूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। उन जागीरदारों के साथ खिलवाड़ खेली जा रही है। प्रोसिजर को इतना लम्बा बना दिया है कि समय पर उनको पैसा नहीं मिलता। एक जागीरदार के हिस्से में ५० रुपये ही आते हैं तो भी उसको लाने के लिये उसे १०० रुपये खर्च करने पड़ते हैं। दस दस रोज तक उनकी सुनवाई नहीं होती। थोडी बहुत सुनवाई होती है तो उतना पैसा होटलों वाले ही उनसे छीन लेते हैं। उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि घर बैठे ही उनके पास पैसा पहुंच जाय। चाहे आप थोड़ा ही पैसा दीजिये लेकिन उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कीजिये, न कि यह पैसा कागजों में ही रह जाय।

कहने को मुआवजा १५ गुना या १८ गुना देते हैं लेकिन पुनर्वास को भी फिज़ीकल डिविजन में शामिल मान कर रिज़्यूम कर लिया गया है। फिज़ीकल डिविजन नहीं होगा और रिएलाइज़ेशन के लिये ग्रान्ट देने को कहा गया था लेकिन क्यों नहीं ग्रान्ट दी जारही है। आप कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था करदी गई है। लेकिन यह बिल्कुल सरकार का सफेद झूंठ बोलना है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसे जागीर के शामिल मान कर रिज़्यूम कर रहे हैं। यह जागीरदारों के साथ खिलवाड किया जा रहा है। उनको पुनः बसाने के लिये जो रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी जाती है वह भी अटेचमेन्ट के जरिये कुड़क कर ली जाती है और उसके महत्व को ही खत्म कर दिया जाता है।

उनको कर्जा देने के लिये सरकार ने धन राशि निर्धारित की है। जालौर डिस्ट्रिक्ट में ५००० रु. इसके लिये रखे हैं जब कि जागीरदारों की संख्या इससे भी अधिक है। इतनी सी रकम में से उनके क्या पांती आयेगा? थोडी सी धन–राशि देकर हमारे मंत्री जी ने और सरकार उदारता दिखाई है और राजस्थान के भूस्वामियों का उद्धार कर रहे हैं। यह हाल आप सरकार का देखिये।

अध्यक्ष महोदय, उनको जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है उसमें से कई रकमें काट ली जाती हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि पब्लिक डिमान्ड रिकूवरी की तहत फैसला

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

करेंगे और दूसरी तरफ बगैर किसी तरह का नोटिस दिये ड्यूज़ काट लिये जाते हैं। बिना नोटिस दिये और बिना उनके उजर को सुने रकम काटली जाती है। दो दो तरह से उनसे रकम ली जा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि उनसे १।१६ हिस्सा वसूल करेंगे या लगान जो सालाना उन पर खीचड़ी, फौजबल लगता था उसे वसूल करेंगे। लेकिन जालौर जिले में दोनों ही तरह की रकम वसूल कर रही है। एक तरफ कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ कानून का पालन करने वाले उसका उलंघन करते हैं। लेकिन रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं होने के कारण उनको चेक करने का समय नहीं है। मैं उनसे अपील करूंगा कि जनता को सुनने का समय अगर उनके पास नहीं है और चेक करने का समय नहीं है तो आपको पद से स्तीफा दे देना चाहिये ताकि दूसरे भाई आकर सच्ची सेवा कर सकें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने आज याद दिलाया, कल करेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : कल पधारेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : No intruptions please.

श्री लक्ष्मीचन्द जैन : अब यातायात विभाग की बात कहता हूं, इस विभाग का भी हाल अजीब है। वहां की सड़कों का, अध्यक्ष महोदय, जब आप कृषि मन्त्री थे, तब आपने निरीक्षण किया था। सड़कों के निर्माण में सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, पर न मालूम यह खर्चा उदयपुर में होता है या जालौर में। सांचौर से चीतलवाना तथा सांचौर से रानीवाड़ा तक सड़क बनाने का प्रोवीजन था, वह प्रोवीजन केवल कागजों में ही रह गया, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। वहां की सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, सरकार उनकी मरम्मत पर १०, १५ हजार रुपया खर्च करती है, लेकिन जब तक मरम्मत ठीक तरह से नहीं होती, सड़कों की हालत खराब हो जाती है। उन सड़कों की हालत ऐसी है कि उन पर गाड़ी नहीं चल सकती और गर्भवती स्त्री का गर्भपात का होने का अन्देशा रहता है।

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसकी ओर मन्त्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया। गये साल वे वहां पर पधारे थे, गाड़ी में उनका चोटी का पसीना पैरों तक पहुँच गया। वे मेवाड़ के हैं और यातायात मन्त्री हैं, यातायात मन्त्री होने के समय भी उन सड़कों की मरम्मत ठीक तरह से नहीं होगी तो कब होगी?

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, जालौर के अन्दर एक बस स्टेन्ड बनाया गया है, वहां की जनता ने १ हजार रुपये की लागत लगा कर उस बस स्टेन्ड को बनाया है। जहां पर सरकारी बस स्टेन्ड था, वहां पर जनता को धूप के अन्दर खड़ा रहना पड़ता था। मैं सदन को वह स्टेन्ड दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उनकी क्या हालत है। वहां पर जनता धूप में खड़ी रहे, धूप में खड़े खड़े आदमी मर जायें, लेकिन उन्हें बैठने को छाया नहीं मिलेगी। जनता ने जो बस स्टेन्ड बनाया है, उसको चलाने का हुक्म सरकार नहीं देगी। उदयपुर और जालौर में क्या बर्ताव हो रहा है और यहां पर सौतेली मां जैसा बर्ताव हो रहा है, इसे कतई बर्दास्त नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, आपके विराजते हुए यह क्या जुल्म हो रहा है....

Page No.53

श्री चन्दनमल वैद : आप और आप दोनों विराज रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब तो यह ठीक है।

(हंसी)

अब हुक्म सिंचाई की बात कहता हूं। इसका भी अजीब हाल है। कल मैंने बालोता गांव को जवाई कैनाल से पानी देने के लिए प्रश्न पूछा था। उसका सिंचाई मन्त्री द्वारा जवाब दिया गया कि पानी देना शुरू कर दिया गया है। मैं परसों ही आया हूं, मैंने देखा है कि पानी नहीं दिया गया है और फसल सूख रही है। वहां के कृषक चिल्ला रहे हैं। न मालूम मन्त्री महोदय इस प्रकार के ऊट पटांग जवाब कहां से दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सफाखानों की बात कहूं। जब स्वास्थ्य मन्त्रीजी का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस डिपार्टमेंट की हेल्थ कैसे ठीक कही जा सकती है।

(हंसी)

इस डिपार्टमेंट के द्वारा एक जनाना सफाखाना खोला गया था। यह सफाखाना १९५६ में खोला गया था और उसकी ओपनिंग सेरमनी १९५६ में हुई थी। अब उसकी व्यवस्था २६ जनवरी को मेल डाक्टर से करवाई गई। लेडी डॉक्टर वहां पर नहीं भेजी गई है, नर्सों की कमी है। दो नर्सें हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, पर काफी खींच तान कर के वहां पर काम करने के लिए लगाई गई हैं। वे नर्स का काम नहीं जानतीं तो चिकित्सा क्या करेंगी?

(घंटी)

बस आपका हुक्म हो गया है तो मैं भाषण समाप्त करता हूं।

(दो-तीन माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने दो-तीन बार प्रयास किया कि आपकी कृपा दृष्टि हो, जब कि आपकी कृपा दृष्टि सामने की ओर बैठे हुए सदस्यों की ओर होती है।

श्री अध्यक्ष : कइयों ने आपसे ज्यादा प्रयास किया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अब की बार मुझे मौका मिलना चाहिये।

("नहीं नहीं" की आवाज)

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग) **:** माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल के अभिभाषण के विषय में पिछले दो रोज से बराबर वाद-विवाद चल रहा है। इस सदन के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय के माफिक उस अभिभाषण के ऊपर बहुत कुछ अपने विचार प्रगट किये हैं। मैं आज राज्यपाल के अभिभाषण पर कोई अनुचित नुक्ता चीनी न कर के उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज इस अवसर पर, जब कि, इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विचार प्रगट करने के लिए अवसर दिया गया मैं इस समय का उपयोग करते हुए इस सदन के समक्ष इस राजस्थान की उस बड़ी भारी जन–संख्या की दयनीय दशा की ओर, जिसमें वह गुजर रही है, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि राज्यपाल महोदय अपने भाषण में इस राजस्थान के $\frac{1}{3}$ भाग की जन संख्या के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते, जिससे इस सदन के सदस्यों को मालूम हो जाता कि राजस्थान की ५० लाख जन संख्या, जो कि

(श्री रामचन्द्र)

पिछड़ी हुई है तथा जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति इत्यादि के नाम से पुकारी जा रही है, के लिये राजस्थान सरकार ने अब तक क्या कार्य किये हैं; यह ज्ञात हो जाता। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं राजस्थान की सरकार तथा इस सदन के माननीय सदस्यों का उस पवित्र प्रतिज्ञा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि हम ने संविधान के द्वारा की थी कि हम भारत वर्ष के तमाम पिछड़े हुए वर्गों और खास तौर पर राजस्थान की इस ५० लाख जनता की दशा को सुधारने का प्रयत्न करेंगे और इस आशय को लेकर संविधान में १० वर्ष हम लोगों के लिये विशेष रूप से रखे गये थे, जिससे हम पिछड़े हुए लोग, कमजोर और गरीब लोग भी राजस्थान की अन्य जनता के साथ मिल कर स्वतन्त्रता का लाभ उठा सकें, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस १० वर्ष में से करीब ७ वर्ष गुजर चुके हैं और अब केवल तीन वर्ष बाकी रहे हैं। इस थोड़े समय में, मुझे अफसोस है और मुझे इस बात का ताज्जुब भी है कि राजस्थान सरकार इन तीन वर्ष में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोगों की दशा सुधारने में कहां तक समर्थ हो सकेगी? इसलिए मैं आपका ध्यान अपनी प्रतिज्ञा की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का यह सड़ा-गला हुआ भाग जो इस शरीर का १/३ अंश है, जो आर्थिक, सामाजिक और अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से सदियों से गुलाम बनी हुई है, वह महसूस करती है कि हमारी कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। वैसे बजट में हमारी उन्नति के लिये पचासों आंकड़े दिखाये जाते हैं। हमारे लिये कुए खुदवाने के लिए, हमारे लिए स्कूल की व्यवस्था करने के लिए या अन्य कार्यों के लिये मैं सरकार का और सदन के सदस्यों का बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो उत्थान के कार्यों में राजस्थान सरकार ने जो खर्चा किया है और जो जो प्रयत्न कर रही है, उसका लाभ हम लोगों को कितना होगा; यह बात मैं आप से कहना चाहता हूं। मैं इस बात के लिये बहुत खुश हूं कि राजस्थान सरकार सिंचाई के साधनों के लिए एक बहुत भारी रकम लगा रही है लेकिन मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार को इस बात से अवगत कर देना चाहता हूं कि इस सिंचाई का लाभ किनको होगा। यह लाभ तो उनको होगा जिनके पास जमीन है। आज हम ५० लाख व्यक्ति इस राजस्थान में भूमि हीन व्यक्तियों की दशा में पड़े हुए हैं। न हमारे पास जमीन है जिससे हम अपनी रोजी कमा सकें, अगर किन्हीं के पास जमीन है तो उनको सिंचाई के साधन नहीं मिलते हैं। रहा दूसरी बातों का सवाल, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पॉवर के लिए कहा है कि पॉवर के लिये करोड़ों रुपय खर्च किया जारहा है और राजस्थान के कोने कोने में बिजली चमक जायेगी, लेकिन किनके कौने में बिजली चमकेगी? आज हमारी ५० लाख की जन संख्या खुली हवा में, जंगलों में, बिना घर बार के पड़ी हुई है, जिसकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान नहीं है। इन व्यक्तियों के पास मकान नहीं है और अगर हैं तो फूस की टूटी फूटी झोंपड़ियां हैं, उन झोंपड़ियों में बिजली लगाकर आप हम लोगों का क्या फायदा कर सकते हैं? इसलिये अगर राजस्थान सरकार हमारा वास्तव में उत्थान करना चाहती है तो मैं ५० लाख जनता की ओर से सरकार से निवेदन करूंगा कि आप हमारी जमीन के लिए इन्तजाम करिये और रहने के लिये मकान दीजिये। तभी हमारी कमजोरी

(श्री रामचन्द्र)

और दरिद्रता दूर कर सकती है। हमें अनुसूचित तो कहा जाता है। कहा जाता है कि राजस्थान की सरकार ने अनुसूचित जन जातियों के इतने लोगों को वज़ीफा दिया, सरकार ने भर्ती करने के लिए ये सुविधायें दे रखी हैं, केवल थोड़े से लोगों को वज़ीफा देने से, कुछ को फायदा होने से राजस्थान की इतनी बड़ी भारी जन-संख्या का फायदा आप नहीं कर सकते। हमारा भला उस वक्त हो सकता है जब सामाजिक उत्थान के साथ साथ हमें आर्थिक उत्थान भी मिले। सामाजिक उत्थान का प्रश्न तो राजस्थान सरकार और जनता दोनों से सम्बन्धित है। मैं देखता हूं कि क्षेत्रों में भी जनता जितनी उदासीन है, राजस्थान सरकार भी उतनी ही उदासीन है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। भारत के संविधान में अस्पृश्यता को कानून विरोधी घोषित कर दिया गया है तथा इसका अमल में लाने के लिए कानून का निर्माण भी किया गया है। पर इस कानून को अमल में लाने के लिए उन्हीं लोगों के हाथ में सौंपा है जो इस राजस्थान के कर्णधार कहे जाते हैं। पर दुःख की बात है कि जिन लोगों के हाथ में इस कानून को अमल में लाने के लिए सौंपा गया है वे ही हमेशा अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। जब अछूत उनके दफ्तरों में जाते हैं तो सवर्ण हो जाते हैं पर वे ही अछूत उनके घरों में जाते हैं तो फिर से अछूत हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक आदमी एक घंटा पहले सवर्ण बन गया वही उनके घर जाता है तो अछूत बन जाता है। हम नौकरियों के लिए जाते हैं तो हमारी प्रार्थना को इस निगाह से तोला जाता है कि आया यह लोग हमारे घरों में घर का काम करने में, चौका बर्तन करने में मदद कर सकेंगे कि नहीं और जब उन्हें मालूम होता है कि यह अछूत हैं, यह घर में पानी नहीं पिला सकेंगे, चौका-बरतन का काम नहीं कर सकेंगे, भोजन आदि बनाने में सहायता नहीं दे सकेंगे तो कोई न कोई बहाना करके हमको टाल दिया जाता है। हम लोगों को नौकरियों में नहीं रखा जाता। हम ५० लाख लोगों की यह दशा है। कहने को कहा जाता है कि सरकार बहुत सतर्क है, लेकिन मुझे भय है कि अगर इसी प्रकार की सतर्कता रही, अगर यही रवैया रहा तो हम लोगों की कभी उन्नति नहीं हो सकेगी।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक दशा और सामाजिक अवस्था सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के विषय में भी आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। सैकड़ों प्राइमरी स्कूलें और हाई स्कूलें खुलती जा रही हैं। पर सरकार ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हिन्दुस्तान में जो चीज बन रही है, उसकी क्या स्थिति है। आज स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का स्तर गिर गया है, पहले जो लड़के जिस स्तर पर कामयाब निकलते थे उनके मुकाबले में अब ५० फी सदी भी नहीं निकलते। अब शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि पहले के मैट्रिक के स्टेन्डर्ड के विद्यार्थी का जो स्तर था वह स्टेन्डर्ड बहुत सी बातों में अब ग्रेज्युएट्स में भी नहीं पाया जाता। इसका कारण यह है कि सरकार की ओर से निरीक्षण की कमी है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि केवल क्वांटिटी

(श्री रामचन्द्र)
की तरफ ही ध्यान नहीं दें बल्कि क्वालिटी की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के भाषण का समर्थन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी।

(श्रीमती गंगादेवी के खडे न होने पर)

Thank you, Shri Rameshwar Dayal.

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण द्वारा समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की सफलताओं का बहुत ही सुन्दर, सरल और और अच्छी भाषा में विवरण दिया है, लेकिन उसे विवरण के अन्दर जो खास बात अखरती है वह यह कि उसमें तुलनात्मक दृष्टि से कुल परिस्थिति के ऊपर, कार्य के ऊपर विचार नहीं किया गया है। राज्य सरकार की सफलता के ऊपर जितना जोर और महत्व दिया गया है, उस कदर असफलताओं, अभावों और कमियों पर जोर नहीं दिया गया है। इसलिये राज्यपाल महोदय का यह भाषण अपूर्ण और अधूरा सा प्रतीत होता है। इस भाषण पर विचार करने के लिये रचनात्मक और तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहिये और प्रान्त की बड़ी बड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे प्रान्त में खुशहाली लाने की है। प्रान्त की खुशहाली, समृद्धि यहां के औद्योगीकरण के ऊपर निर्भर है। पिछले भाषण में राज्यपाल महोदय ने यह विचार व्यक्त किये थे कि यह प्रान्त औद्योगीकरण की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है पर इसकी क्षमता और सामर्थ्य का कोई अभाव नहीं है। सरकार इस दिशा में भरसक प्रयत्न करेगी। किन्तु उस आश्वासन पर जो पिछले साल दिया गया था चाल साल में कोई सराहनीय अमल नहीं किया गया। इस भाषण के अन्दर औद्योगीकरण के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी सफलता प्राप्त होना पाया जाता है वह यह है कि उदयपुर में एक जिंक स्मेलिंटग प्लान्ट के लिये लाइसेंस दिया गया है और कुछ मशीन्स के मामलों में कमीशन और कमेटियों की रिपोर्ट आई हैं। हमारा प्रान्त बहुत बड़ा है और हमारी आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। हमारे प्रान्त में एक नहीं सैकड़ों फैक्टरियों की आवश्यकता है, एक को लाइसेंस देने से काम नहीं चलता। आज जरूरत थी कि सैकड़ों फैक्टरियों और कारखानों को लाइसेंस दिये जाने चाहिये थे। प्रान्त में बड़ी बड़ी स्कीम्स चल रही हैं, कोटा के पास चम्बल बांध की योजना चल रही है, वह क्रियान्वित होगी तो उपज बढ़ेगी। वैसी सूरत में पैदा किये हुए माल की खपत का प्रश्न हमारे सामने आता है, जरूरत से ज्यादा माल पैदा होगा, ऐसी हालत में इन्डस्ट्रीज़ वहां नहीं होंगी तो माल बेकार रहेगा और किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की थी कि कोटा डिविज़न में कई फैक्टरीज़, शुगर मिल्स, काटन टैक्सटाइल मिल्स, नाइलन फैक्टरी आदि आदि के लाइसेंस दिये जाते। लेकिन सिर्फ एक फैक्टरी का ही लाइसेन्स दिया गया है। औद्योगीकरण के लिए सस्ती बिजली की आवश्यकता है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भाखरा से बिजली प्राप्ति के लिए सामान मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध किया गया है, लेकिन गांधीसागर से जो बिजली पैदा होगी और जिस बिजली का उपयोग राजस्थान के अन्दर होगा उस

(श्री रामेश्वरदयाल)

बिजली के उपयोग के लिए आवश्यक सामान मंगाने और व्यवस्था करने के लिए सरकार ने अब तक कोई प्रबन्ध नहीं किया है जिसकी कि अत्यन्त आवश्यकता थी । इसलिए जो गांधीसागर से राजस्थान को बिजली प्राप्त होने वाली है वह सब की सब मध्यप्रदेश में ही काम आवेगी और राजस्थान अपने हिस्से से वंचित रहेगा । इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

इस अभिभाषण में यह बताया गया है कि सामाजिक सेवाओं में काफी प्रगति हुई है । शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से नये कॉलेज खुले हैं, प्राइमरी स्कूल्स खोले हैं और बहुत से प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिवर्तित किया गया है । नये स्कूल खोलने से अथवा कॉलेज खोलने से ही तो शिक्षा सम्बन्धी मौलिक समस्या का समाधान नहीं होता । यह भी मान लिया गया है कि आज की जो शिक्षा पद्धत्ति है वह हमारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है और यह भी सिद्धान्ततया स्थिति स्वीकार कर ली गई है कि बुनियादी शिक्षा ही मौजूद शिक्षा का स्थान ग्रहण करेगी । लेकिन अभिभाषण में जो बातें बतायी गई हैं उनमें एक विरोधाभास सा मालूम होता है और वह विरोधाभास यह है कि एक तरफ नये प्राइमरी स्कूल्स ६०० की तादाद में खोले गये हैं और दूसरी तरफ २०० प्राइमरी स्कूल्स जो, अब तक चले आ रहे हैं, उनको बेसिक स्कूलों के रूप में परिवर्तित किया गया है । सरकार की नीति यह है कि प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किया जावेगा । तो फिर यह समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी तादाद में नये स्कूल खोलना और फिर कुछ समय बाद उनको बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने की नीति क्या है, सरकार इस पर फिर से विचार करे । नया मकान बनाना सरल होता है लेकिन पुराने मकान में तोड़-फोड़ करना मुश्किल होता है । यदि उन प्राइमरी स्कूलों को जो नये खोले जा रहे हैं, भविष्य में बेसिक स्कूलों में ही परिवर्तन करना है तो फिर उनको शुरू में ही बुनियादी स्कूलों के रूप में खोलना चाहिए ताकि फिर उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता न रहे ।

व्यवस्था और शान्ति के विषय में भी इस भाषण में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ संतोष प्रकट किया गया है । यह कहा गया है कि डाकुओं की समस्या नियन्त्रण में है । लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि डाकुओं की संख्या अब तक पूर्ण रूप में नियन्त्रण में नहीं आयी है । जब तक अमृतलाल का दल आये दिन वारदातें करता रहेगा लोगों की जान और माल की सुरक्षा खतरे में ही रहेगी, प्रबन्ध नहीं हो सकता । वर्तमान साल में अमृतलाल ने कई स्थानों पर जाकर डाके डाले हैं और लाखों की तादात में माल लूट कर ले गया । सरकार एन्टी-डेकोइटी फोर्स पर काफी रुपया प्रतिवर्ष खर्चा करती है लेकिन अमृतलाल का दल आज तक समाप्त नहीं हो सका है । इस ओर सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए ताकि अमृतलाल का दल समाप्त होकर लोगों को शान्ति और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था मिले ।

भ्रष्टाचार के लिए संतोष प्रकट किया गया और भाषण में कहा गया है कि भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और कुछ नये कर्मचारी भी नियुक्त किये गये हैं । भ्रष्टाचार जिसके बारे में सरकार की

(श्री रामेश्वरदयाल)

यह नीति है और होनी भी चाहिए कि इसको मूल रूप में ही समाप्त कर दिया जाय, दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें भ्रष्टाचार का पोषण होता है इस ओर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के रूप में ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार की ज्यादा गुन्जाइश है, इसलिए सरकार को चाहिए कि यातायात विभाग का राष्ट्रीयकरण करे। यह कहा जाता है कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इस डिपार्टमेन्ट में राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया जाय। हो सकता है कि सरकार का इस विषय में कटु अनुभव हो लेकिन हमारे पड़ोसी प्रान्तों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, इसका प्रयोग किया गया है और वहां पर राष्ट्रीयकरण नीति लाभदायक और उपयोगी साबित हुई। यदि इस विभाग में राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई जाय तो भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा और सरकार को वित्तीय साधनों में लाभ भी पहुँचेगा। आवश्यकता यह है कि नियंत्रण अच्छा होना चाहिए और व्यवस्था सरकार की ओर से भली प्रकार से होनी चाहिए ताकि नुकसान का प्रश्न भी पैदा न हो।

एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा था कि सरकार ने मिनिमम वेजेज़ एक्ट के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं सदन के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट के एप्लीकेशन का सवाल भारत सरकार के अधीन है, यह सेन्ट्रल एक्ट है और सेन्ट्रल एक्ट के तहत अगर कोई ऑर्डिनेन्स पास किया जाता है तो वह माननीय प्रेसिडेन्ट द्वारा होना चाहिए, मुझे जो जानकारी है वह कहां तक सही है, यह तो सरकार की ओर से ही बताया जावेगा, उसके आधार पर मैं यह कह देना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट के तहत ओर्डिनेन्स जारी करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रेसिडेन्ट महोदय को काफी वर्षों पहले लिख दिया गया था और वह सवाल पार्लियामेन्ट में बिल आने की वजह से वहां विचाराधीन है। मिनिमम वेजेज़ एक्ट का जो सवाल है, वह तो भारत सरकार के हाथ की बात है और वह भारत सरकार से ही हो सकता है।

बहुत सी सफलताओं के विषय में कहा गया है। सबसे बड़ी सफलता जो बतायी गई है वह भूमि सुधार और कृषि तथा विकास क्षेत्र मे है। जहां तक भूमि सुधार का सन्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि भूमि सुधारों के क्षेत्र में इस प्रान्त ने बहुत कुछ प्रगति की है। जमीनदारी उन्मूलन विधेयक भी इस सदन के समक्ष इस सेशन में आने वाला है। सरकार की यह नीति है कि मध्यस्थ वर्ग को समाप्त किया जाय। जमीदारी उन्मूलन विधेयक और सीलिंग रिपोर्ट के आधार पर विधेयक पास हो जाता है तो मैं समझता हूं मध्यस्थ वर्ग को समाप्त करने की नीति जल्दी पूरी हो जावेगी और उसके परिणामस्वरूप ८० प्रतिशत किसानों को ज्यादा लाभ होगा। इस लिए सरकार को यहां ये दोनों विधेयक इस सेशन में पारित करवाना चाहिए जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और ज्यादा से ज्यादा उनकी भलाई हो।

मैंने सफलताओं के बारे में भी कुछ चर्चा की और असफलताओं के बारे में भी सदन का ध्यान आकर्षित किया। असफलतायें भी होना अच्छे से अच्छे शासन में बहुत स्वाभाविक बात हो जाती है। मैं यहां पर यह कहने के लिये तैयार हूं कि बहुत सी असफलतायें

Page No.59

(श्री रामेश्वरदयाल)

हुई हैं, बहुत सी कमियां भी रही हैं और बहुत सी बातें करना भी और बाकी हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो तरक्की हमने की है उससे स्पष्ट है कि हमारा प्रान्त प्रगति की ओर निरन्तर बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : श्री हीराजी ।

श्री हीराजी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद–विवाद हो रहा है । मेरा भी यह कहना है कि जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय का हुआ है वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं हुआ है । राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है कि हम विकास योजनाओं को अच्छी तरह से कर रहे हैं लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि पच्चीस पर्सेन्ट भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है । और उससे लाभ दूसरी ओर मोटरों में बैठ कर सरकारी अधिकारी उठा रहे हैं, तीसरी श्रेणी के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं मिल रहा है । मैं एक बहुद्देशीय विकास खंड कुशलगढ़ के बारे में निवेदन करूंगा । इस प्रकार के खण्ड खोल कर केवल डिपार्टमेंट का नाम बढ़ा दिया जाता है और काम कुछ भी नहीं होता । बहुद्देशीय विकास खंड जिला बांसवाड़ा के तहसील कुशलगढ़ में खोला गया । वहां पर ६ महीने के अन्दर तीन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स का तबादला हो गया और उसके लिए कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग शुदा नहीं थे इसलिए इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया । जब आपके पास ट्रेनिंग प्राप्त बी. डी. ओ. नहीं हैं तो फिर विकास कैसे हो पायेगा, मेरी समझ में नहीं आता । ये सब ब्लॉक खोले जाते हैं उसमें पिछड़ी जाति वालों के लिए कुछ भी नहीं होता । चार लाख रुपये जो सालाना हम खर्च करते हैं वहां दो हजार से भी ज्यादा आमदनी होने जैसी उम्मीद नहीं हो पाती । इसके लिए विकास खंड और बहुद्देशीय विकास खंड खोले जाते हैं उनसे जनता को किसी प्रकार का फायदा नहीं होता । आज जितना रुपया हमारी सरकार इसके लिए खर्च कर रही है उसका उतना परिणाम नजर नहीं आता । जिसके कारण कुए खुदवाने की बात होती है, सड़कें बनवाने की बात होती है पर होता कुछ नहीं और नाच और गानों का जरूर विकास हो रहा है जिसकी तस्वीर आपके सामने आती रहती है । नाच और गाने के नाम पर गांवों में काफी रुपया खर्च होता है । मेरा सरकार से कहना है कि हमारे इलाके में तो नाच गाने के लिए आपको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं; वहां के लोग तो नाच और गानों से काफी वाकिफ हैं । उनको तो आप खाने के लिए रोटी भविष्य तक मिलने जैसा कार्य होना चाहिये । लेकिन यह नहीं होता, हमारे प्रांत में तो नाच और गानों का विकास हो रहा है और शुरू से जानकारी की है । इन सब बातों को देखते हुए मुझे राज्यपाल के भाषण से बिल्कुल संतोष नहीं है ।

पशु-पालन के वास्ते उन्होंने क्या कहा; मैं अपने जिले के हालात आपके सामने रखूं, किस प्रकार पशुओं की मृत्यु हमारे जिले में हो रही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुरा में पचासों मवेशी रोजाना मरते हैं । इसके बारे में हमने कई बार राज्य सरकार के पास दर्ख्वास्तें पहुंचाई

(श्री हीराजी)

कि इस बारे में बन्दोबस्त किया जाय । उन जानवरों के इन्जेक्शन लगाये जाते हैं वे तमाम मर जाते हैं, ऐसी हालत को देखते हुए मैं तो यह कहूंगा कि या तो दवाखाने बन्द कर दिये जांय या उनका सफलतापूर्वक इलाज किया जाय । हमारे इलाके में पशुओं की बीमारी से रोक-थाम के लिये इन्तजाम नहीं; पचासों पशु रोजाना मरते हैं उनकी रोकथाम का कोई इन्तजाम नहीं । इसके बारे में हमने एक पेम्फलेट भी निकाला था पेम्फलेट में डाइरेक्टर महोदय को दो बार लिख कर दिया उन्होंने कहा मैं १२ तारीख को आता हूं, उसमें नहीं, आये फिर कहा नवम्बर में आरहा हूं, फिर कहा मैं १३ तारीख को आ रहा हूं, लेकिन आये बीस तारीख को और बीमार हो गये और बिना कुछ किये ही वापस आगये । ऐसी हालत होते हुए यह कहना कि हमारी सरकार पशु-पालन की ओर ध्यान दे रही है कतई सन्तोषजनक नहीं है ।

इसके अलावा किसानों को राहत देने की भी बातें बतायी गई, मैं आपके सामने बांसवाडा, डूंगरपुर और उदयपुर के कुछ इलाके की बातें आपके सामने रखूंगा । वहां दुष्काल पड़ा है लेकिन उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं । सड़कों के लिये कुछ कर दिया गया है, वहां पर क्या होता है कि दस आदमी जिस घर में खाने वाले होते हैं उनमें से एक आदमी को लिया जाता है, उससे रिलीफ का काम करवाते हैं और उसको दिया क्या जाता है, दस आना रोज का । वह बेचारा दस आने में दस मनुष्यों का भरण पोषण कैसे करेगा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपका क्या दस आने में गुजारा चल सकता है, जब गुजारा नहीं चलता है तो उनके लिए दस आने क्यों रखे गए ? भादवा महीने से वहां अकाल पड़ा हुआ आ रहा है तब से इन्तजाम करना था लेकिन राहत कार्य किया जाता है आधा साल बीतने पर, फिर कहा जाता है कि हमारे पास औजार नहीं हैं औजारों के लिये टेन्डर भेज दिये गये हैं लेकिन अभी तक मन्जूर नहीं हुए हैं, तो जो सोलह लाख रुपये इसमें खर्च करने के लिये रखे हैं वे कैसे खर्च हो पायेंगे । इस रुपये से फायदा तो कर्मचारियों को मिलने वाला है, आज तक औजारों का ठिकाना नहीं । जब तक औजारों का पता नहीं तब तक कुए खोदने में, तालाब में क्या काम किया जा सकता है ? केवल छोटी छोटी सड़कों पर धूल डलवाने का काम लिया जाता है वह तो जल्दी खत्म हो जाता है, दूसरे दिन फिर उनसे से क्या काम लिया जाय और रिलीफ काम के लिये जो मजदूरी तय है वह है १२ आने और खोदने वालों को, आठ या दस आने छबड़ा ढोने वाले को दी जाती है । जिस घर में दस मनुष्य हैं क्या वह दस आने लायगा उससे क्या दस मनुष्यों का पेट भर पायगा ? क्या हमारा राज्य चलाने वाले जो मिनिस्टर लोग हैं क्या वे दस आने में पेट भर सकते हैं ? इन्जीनियर साहब को कहा था इससे पेट नहीं भरता । अगर पेट भरता हो तो आप भी दस आना लीजिये, बांसवाडा के जितने भी एम० एल० ए० हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं उनको भी दस आना ही रोज का दीजिये अगर वे भर सकते हैं तो हम भी पेट भर लेंगे । जब आप पेट नहीं भर पाते हैं तो वे गरीब मजदूर दस आने में कैसे पेट भर पायेंगे ।

१. ५६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष से आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष से नहीं ये तो भूखमरी से लड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री हीराजी : अभी मुझे पन्द्रह मिनिट और चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय पहले ही निश्चित हो चुका है, मैं ज्यादा समय देने में विवश हूँ।

श्री हीराजी (ड़ारी) : पांच मिनिट और बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट सिर्फ।

श्री हीराजी : आपसे बात करते ही एक मिनट तो हो जावेगा। तब तो मैं खतम ही करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भ करिये।

श्री हीराजी : हां, तो ऐसी स्थिति में इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में फैल रहा है। हमारे बांसवाड़ा में २५ हजार का डीमार कांड हो गया। जब यह सरकार के जिम्मे था फिर चोरी कैसे हुई ? पार्टी के सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोई चोर नहीं माना जाय, हो सकता है। वह खान २५ लाख की हो सकती थी। पर आज तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ज्यादा कहा गया, तो एक गरीब ट्रक वाले को गिरफ्तार किया गया, ऐसा मैंने सुना। पर इसमें म्युनिसिपल चेयरमैन पहले थे अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। सब उनकी जानकारी में हुआ है इसलिये जांच नहीं हुई। तो इस तरह से खाली कहने से गुजर नहीं होगी। पेट पलने से गुजर होगी।

खदानों की बात आती है तो ठेकेदार को बता दी जाती है। फीमेन के काम का मामला आता है तो वह भी सरकार नहीं करती, ठेकेदार को सौंप देते हैं। वह गरीबों को लूटता है। सड़कों का काम दिया जाता है तो वह भी ठेकेदारों को दिया जाता है। १० बाई १० फुट की क्यारी खोदने के लिये चार आदमियों को सात-सात आने दिये जाते हैं। अब इसमें वे कैसे पेट भरेंगे, यह सरकार ने नहीं सोचा, सरकार की तरफ से क्यों नहीं काम चलाया जाता है ? ठेकेदारों को क्यों दे दिया जाता है ? इस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है और हमारे राज्यपाल महोदय का भाषण होता है कि सब अच्छी तरह से हो गया। तो सब अच्छी तरह से ऐसे नहीं होने वाला है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से राज्यपाल महोदय के द्वारा दिये अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। तत्सम्बन्धी रक्खे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर सबसे पहले शान्ति और सुव्यवस्था का जिक्र किया है। यह माना जा सकता है कि किसी भी देश या प्रदेश की उन्नति के लिये, उसकी सर्वांगीण उन्नति के लिये शान्ति और सुव्यवस्था पहली चीज है। यह भी मैं महसूस कर रहा हूं कि राजस्थान का जो बजट है उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा शान्ति और सुव्यवस्था की

Page No.62

(श्री मोहरसिंह)

जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस पर खर्च किया जा रहा है। पर अफसोस है कि जितना बड़ा हिस्सा उस पर खर्च किया जा रहा है उतनी ही भारी गड़बड़ी और धांधली उस विभाग में है।

डाकुओं के बारे में बताया गया और कई बातों के बारे में विचार व्यक्त किये गये। पर डाके, कत्ल और चोरियां, चाहे वे दर्ज रजिस्टर हों चाहे न हों, पर यह सही है, कि वे इलाकों में बढ़ रहे हैं, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। तस्कर व्यापार के लिये भी यह साबित कर दिया गया है कि यह चीज भी बढ़ती जा रही है। साथ साथ अनैतिक व्यापार यानि औरतों के बेचे जाने का व्यापार भी अभी तक बदस्तूर चल रहा है। ये सारी चीजें बदस्तूर जारी हैं। ऐसी स्थिति में किन कारणों के आधार पर हम फिर विश्वास करें या आप साबित कर सकते हैं, कि शान्ति और सुव्यवस्था यहां बढ़ रही है ? आप को एक छोटी सी घटना मैं बताऊँ जिससे पता लगेगा कि शान्ति और सुव्यवस्था की इस डेमोक्रेटिक राज्य में क्या स्थिति है।

करीब पांच महीने पहले बीकानेर डिविजन में नोहर तहसील में मोटेर गांव में किसान सभा का एक जलसा हो रहा था। वहां मैं भी गया था। मैं बोल रहा था। गोलियों के वहां फायर होने लगे। अखबारों में यह खबर नहीं आ सकी, क्योंकि जिसके जिम्मे खबर देने का काम सौंपा गया वह वक्त पर नहीं दे पाया और बाद में निकालना हमने ठीक नहीं समझा। अब रात्रि के करीब ८ बजे मीटिंग शुरू होती है और तभी फायर होने शुरू होते हैं। चार पुलिस के सिपाही मौके पर मौजूद हैं। गोली के फायर मेरे नजदीक से निकल जाते हैं पर मेरी जैसी आदत है शुरू से मैं निडर खड़ा रहा, जागीरदारों के जमाने में भी हमारे साथ करीब यही होता था तो हम तो इनके आदी थे। पर वहां तहसील कमेटी के एक सेक्रेटरी थे किसान सभा के वे कहने लगे कि इस प्रकार से मरने से फायदा नहीं होगा। पहले की बात और थी। अब तो ऐसे मरने की जरूरत नहीं है। आप अपना बचाव करें। तब हम जितने साथी थे नजदीक के घर में चले गये। कुल सात फायर किये गये। छः कोस पर थाना था। वहां से थानेदार को बुलाने के लिये रातो-रात मय ट्रेक्टर आदमी भेजा। पर अगले दिन के २ बज गये थानेदारजी वहां नहीं आये। बचने के लिए आखिर हमें वहां से निकलना पड़ा। किसी दूसरे आदमी का ट्रेक्टर जा रहा था उसमें छिप-छिपाकर निकल कर गये। दूसरे दिन नोहर में आये। चार-साढ़े चार महीने का केस है, ठीक दिन याद नहीं। नोहर आकर हमने ७०) के तार जगह जगह दिये। पर वह दिन है और आज का यह दिन है कोई कार्यवाही हुई हो ऐसा हमें ज्ञान नहीं। वे फायर करने वाले चन्द्र और मामराज हैं। कांग्रेस के सक्रिय वर्कर हैं। वे अपने आपको गांधीवादी कहते हैं, महात्मा गांधी के चेले अपने आप को बताते हैं और ये कारनामे हैं उनके। उन्होंने गोलियां चलाईं और चलवाने में शामिल थे, वे सारे काम के सरगना थे। तो आज ५ महीने के बाद भी कोई कार्यवाही न हो यह बड़ी शर्म की बात है। इससे साबित होता है कि किस प्रकार की सुरक्षा और सुव्यवस्था हमारे यहां है। अब इस स्थिति में

Page No.63

(श्री मोहरसिंह)

डेमोक्रेसी कैसे फल फूल सकती है ! यह तो एक घटना मैंने बताई।

इसी तरह थोड़े दिनों पहले बड़े जोरों का एक मामला चला था सूरजभान अपहरण काण्ड का । यहां की पुलिस निष्क्रिय थी। और यह भी जो थोड़ा बहुत किया यूनियन की पुलिस ने और उसने जांच शुरू की। उस जांच में साथ देने वाले सूबेदार सेवाराम और लछमणराम ने साल डेढ़ साल से अपनी आत्मरक्षा के लिये हथियारों के लाइ-सैंस की मांग कर रहे हैं। पर पिछली बार भी मैंने बताया था कि दर्ख्वास्त पर कार्यवाही नहीं हुई। अब दुख होता है कहते हुए कि उन की वह दर्ख्वास्त रिजेक्ट करदी गई। शायद यह हो सकता है कि किसी बिना पर रिजेक्ट हुआ है। पर जो डाकों को बन्द कराने में मददगार बनते हैं, सरकार को सहायता देना चाहते हैं इन चोरी और डकैती को रोकने के लिये उन लोगों के साथ में इतनी भी महरबानी यह सरकार नहीं कर सकती कि उनकी जायज मांग पर उनको लाइसैंस तो दे । यह है हमारी सही तस्वीर । जिसके लिये कहा जाता है राज्यपाल महोदय के भाषण में बड़े सुनहरे शब्दों में, अच्छी तरह तोड़ताड़ के शब्दों में, कि यहां अच्छी शान्ति और सुरक्षा है।

इसकी रक्षक पुलिस के अन्दर के घोटालों का हाल आप सुनें तो हमारे साथी ने परसों अच्छी तरह से यहां बताया था कि पुलिस के छोटे कर्मचारी, जिनपर वास्तविक रूप से देश की सुरक्षा का भार है, उनको अपनी यूनियन बनाने की इजाजत नहीं दी गई। इधर आज अखबारों में निकला है कि डाकू लाखनसिंह ने धोलपुर में डाके डाले। राष्ट्रदूत या लोक-वाणी में निकला, पूरा मुझे पता नहीं, पर आज इनमें किसी में निकला है । लाखनसिंह का नाम आया है । इन डाकुओं से मुकाबला कराया जाता है पुलिस के सिपाहियों से। पर उनको तनख्वाह क्या दी जाती है इस मेहरबान गवर्नमेन्ट की ओर से ! ५) का डियरनैस अलाउन्स अभी जरूर दिया पर कुल करीब ४६ रुपया पन्द्रह आने उनको मिलते हैं उसकी बिना पर उनको कहा जाता है कि उन डाकुओं से जाकर लड़लो, भिड़लो, डाकुओं का मुकाबला करलो और राजस्थान की जनता की रक्षा करलो, इसके ऊपर मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा। शांति और व्यवस्था का यह हाल है उससे आगे भ्रष्टाचार आया । इसके ऊपर माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ शब्द व्यक्त किए। वास्तव में इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते, चाहे कोई इधर बैठा हो या उधर बैठा हो, सब इसके ऊपर एक मत होंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। रेवेन्यू में अगर कोई गिरदावरी की पर्चीकी नकल चाहता है तो दो रुपये मांगे जाते हैं। अगर कोई इन्तकाल चढ़वाना चाहे तो वहां भी रिश्वतखोरी चल रही है। कहा जाता है कि एन्टी–करप्शन् बोर्ड यहां पर बनाया गया है जिसके कि बम्बेवाला स्पेशल आई० जी० पी० हैं। मैं ज्यादा जोर दे कर नहीं कहता क्यों कि अभी आप कह देंगे कि टाइम का शार्टेज है और कई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे और फिर आपका हुक्म मानना भी मेरा फर्ज हो जाता है। इस एन्टीकरप्शन बोर्ड में इतने ज्यादा जिम्मेदार पद पर इनको मुकर्रर किया है कि जो पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। मैं सदन को राजगढ़ का एक किस्सा बताता हूं। वहां एक अफीम का ठेकेदार है, एक कोई नौजवान लड़के का पिता अफीम खाता था। उसने जाकर ठेके वाले को कहा कि मेरा पिता अफीम खाता है । अब मैं आपको

(श्री मोहरसिंह)

बताऊं कि शायद अफीम खाने वालों को किसी प्रकार का लाइसेंस लेना होता है या शायद उनका रजिस्ट्रेशन होता है या पता नहीं उनका नम्बर नोट रहता है, पर सुना है कि जिसका नाम रजिस्टर होता है केवल उन्हीं को अफीम मिलता है। उसने कहा कि मैंने इसके लिए एप्लाई किया हुआ है और उसको रजिस्ट्रेशन आदि मिलने में देरी हो गई थी। उसने कहा कि मेरा नाम वगैरह अभी नहीं आया है आप मेहरबानी कर के अफीम दे दो। मेरे पिता इसके बिना तीन चार रोज़ से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि उसने अफीम क्यों नहीं दी, वह भी कुछ लेना चाहते थे। यहां भी कुछ भ्रष्टाचार था। उसने कहा कि मेरे पिता तीन–चार रोज से पीड़ित हैं उनके लिए अफीम चाहिए। बेचारे को अफीम नहीं मिली। उसने किसान-सभा में भी दरख्वास्त दी। एन्टीकरप्शन को भी दी। वैसे मैं अफीम आदि के मसले को कोई अहम नहीं देता लेकिन जब तक यह चीज चालू है उस वक्त तक जैसा पत्र कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट द्वारा उसकी दरख्वास्तों पर लिखा गया वैसा नहीं लिखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस तरह का पत्र दिया जाना ठीक नहीं है। उन्होंने लिखा है :

'पत्र संख्या है ६४३४, तारीख २१–८–५७'

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप सदन की मेज पर रख रहे हैं ?

श्री मोहरसिंह : यह बिल्कुल सही पत्र है। थोड़ी सी गलती है कि यह पत्र जाने के बाद, जो पत्र कि उनको वापिस लिखा है उसकी नकल इस की पीठ पर अंकित कर दी गई है। अतः यह शोभनीय नहीं है। आप कहियेगा तो इसकी अटेस्टेड कापी रख दूं या कहिये तो इसकी फोटो निकलवा कर सदन में रख दूं। अगर ऐसा करूं तो मेरे ख्याल से नियम के खिलाफ नहीं होगा। तो यह पत्र इस प्रकार है:

(कृपया परिशिष्ट ५. देखिये)

जब यह चीज ठेकेदार को मालूम हुई तो वह उसको अंगूठा दिखाता है और कहता है कि अब तो ले ली अफीम। ठेकेदार खुले आम भ्रष्टाचार कर रहा है। इस बात को कई दिन हो गए। उसका किस्सा बहुत लम्बा चौड़ा चलता आ रहा है। एक्साइज़ के जो अफसरान हैं वह भी कोई ध्यान नहीं देते और इधर एन्टीकरप्शन डिपार्टमेण्ट का यह हाल है और इसी पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

इसी तरह से किसानों के अपलिफ्ट के बारे में जो बताया वह मैं आपको निवेदन करूं कि किस तरह किसानों का भला हो रहा है, किस तरह से किसानों का अपलिफ्ट हो रहा है और किस प्रकार से भूमि का सुधार हो रहा है। यह भी सब मैं आपको व्यक्त कर दूं कि गिरदावरी जो कि किसान की सब से पहली चीज है उसके अन्दर गिरदावरी की पर्चियां बांटने में कितनी गड़बड़ी होती है और किस प्रकार की धांधली बाजी की जाती है, उसका नमूना मैं आपको बताऊंगा। वह किस तरह से गलत तरीके से बनाई जाती हैं इसे केवल किसान हृदय का ही आदमी या जो किसानों के साथ रहता है वह अच्छी तरह से जान सकता है। सभी को मालूम है कि किसानों के लिए

(श्री मोहरसिंह)

खेतों के उपर कब्जा रखने वाली पर्चियां गिरदावरी ही होती हैं। वही बताती हैं कि किस का किस खेत पर कब्जा है। वह दो-दो और तीन-तीन महीने बाद दी जाती हैं। अभी पन्द्रह–बीस दिन पहले सीधाड़ाव गांव में, जहां कि करीब ३०० घर हैं, वहां केवल २५ को गिरदावरी पर्चियां बांटी हैं जब कि वहां पर फेमिन डिक्लेयर हो गया। इसलिए मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि वास्तव में किसानों के अपलिफ्ट के के बारे में नारा दिया जाता है यह सच्चाई से कोसों दूर है। इसी तरह से सिंचाई का हाल है। सिंचाई के अन्दर जो कुछ गड़बड़ घोटाला है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सिंचाई के प्रसार करने के लिए जो कुछ किया है वह भी आपको याद होगा। गंगानगर का इलाका जहां कि सिंचाई का ज्यादा जोर है वहां का हाल मुझे मालूम है कि जो गवर्नमेंन्ट लैंड है वह जब दी जाती है भाखरा कैनाल से सिंचाई करने को तो लोगों से दो सौ ढाई सौ रुपया लिया जाता है फी बीघा के ऊपर और जब कि नहर आदि निकालने के लिए जो जमीनें किसानों के पास से ली हैं उनका उनको पचास-साठ रुपया दिया जाता है फी बीघा पर, उसकी जमीन नहर के लिए ली जाय तो, चाहे वह खातेदारी जमीन हो, उसका उसको पचास रुपया दिया जाता है। गंगानगर के पास भादरा तहसील में मैं घूमा हूँ वहां पर गांव है जहां कि नहर आने वाली है। एक छोटा सा गांव है सागड़ा, इस गांव की जमीन टीलों की जमीन है यानि अन कमांडेड जमीन है। लेकिन इसके लिए लिखा है कमान्डेड जमीन। इसी तरह से उससे तीन-चार कोस के फासले पर डावड़ी गांव भादरा तहसील में है जहां कि सम्वत् २००४ की साल में ३ लाख मन चना पैदा हुआ है, उसके लिए कहा जाता है कि अनकमांडेड जमीन है यानि नहरी जमीन नहीं है। जिस समय योजना बनी उस समय अधिकारियों को भेंट पूजा नहीं दी इसी कारण यह हो गया। उसके लिए न जाने कितनी दरख्वास्तें दीं मगर कुछ भी न हो सका है। यह तो भूमि सुधार का किस्सा है।

शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत बातें बताई हैं। मैं देखता हूं कि कहीं पर मास्टर नहीं हैं। आज की जो योजना है और जहां हायर सेकन्डरी एजुकेशन की तालीम शुरू की जाती है, जहां पर साइन्स थी वहां से साइन्स तोड़ दी जाती है। शायद हम साइन्स में इतनी ज्यादा तरक्की कर गये हैं कि अब आगे साइन्स पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है या फिर गवर्नमेन्ट यह समझ रही है कि वहां पर साइन्स की कमी की जाय क्योंकि साइन्स अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। किसी स्कूल में अनुसंधान शाला में समान की कमी है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण समाप्त करें, आप यों भी रुग्ण हैं।

श्री मोहरसिंह : मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा आप महरबानी करके जब कभी और किसी मौके पर बोलूं तो उस समय कम समय दे दें, मगर इस समय तो आप कम से कम पांच–दस मिनट दें ही।

श्री उपाध्यक्ष: सिर्फ एक मिनट।

श्री मोहरसिंह एक मिनट में तो समाप्त नहीं कर सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसके संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करती हूं। राज्यपाल महोदय का यह भाषण औपचारिकता का निर्वाह मात्र ही नहीं बल्कि अब तक जो कुछ कामयाबियां हमने हासिल की हैं और अब तक जो काम किये हैं उनके ऊपर नज़र डालने का इसमें प्रयत्न है। जब इस पृष्ठ भूमि में हम राज्यपाल महोदय के भाषण को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी वह नजर ऊपर ही ऊपर सतह पर चक्कर खाती रह गयी है और मूलत: गहराई तक पहुंच कर तथ्य को ग्रहण नही कर सकी है।

राज्यपाल महोदय ने अपने इस भाषण में संकेत रूप में और पिछले भाषण में अच्छी तरह से बताया था और हमारा ध्यान उस जनता की उस निष्ठा और विश्वास की ओर दिलाया था जो कि जनता ने हम में रखा है। राज्यपाल महोदय ने यह आशा भी प्रकट की थी कि हम उस सम्मान के योग्य अपने आपको साबित करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा होता कि राज्यपाल महोदय भी इस ओर संकेत करते कि वास्तव में हम जनता के विश्वास के योग्य कहां तक साबित होने के लिए प्रयत्न कर सके हैं और उसमें कहां तक सफल हो सके, अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर विभागों की फाइलों या और जगह से नहीं मिल सकता। इसका उत्तर तो जनता ही दे सकती है जो कि हमें मान और सम्मान को देने वाली है, और निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि यहां पर जनता के प्रतिनिधियों ने हमें तरह तरह की बातें बताई वे कोई एकदम निर्मूल, निराधार और अतिरंजित नहीं हो सकतीं। वे हमारी इस बात को सिद्ध करने के लिए समुचित प्रमाण हो सकती हैं।

इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने अपने पिछले भाषण में बताया था कि हमारी कामयाबी का मापदण्ड हमारे आँकड़े नहीं हो सकते, हमारी खर्च की हुई रुपयों की धन-राशि नहीं हो सकती है; वह तो लोक सेवा का एक ऊंचा मापदण्ड होगा। उससे ही हम माप सकते हैं कि हमें क्या २ कामयाबियां हासिल हुई हैं।

इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने यह भी बताया था कि हमारा यह पद हमेशा विशेषाधिकारों से युक्त नहीं बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व से पूर्ण है, उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से हमको देखना चाहिए था। इस दृष्टि से अभिभाषण में हमारी शान्ति-व्यवस्था, हमारी कृषि के विकास के लिए किये गये प्रयोग, शिक्षा आदि तथा जो कुछ भी सामाजिक क्षेत्र में की गयी सेवाओं का उल्लेख किया गया है, उसे हम देखते हैं तो लगता है कि हम उस अपने परम लक्ष्य को भूल गये हैं और हम आंकड़ों में उलझ गए हैं। बड़े आश्चर्य के साथ प्रश्नोंत्तर काल में हम सुनते आये हैं कि सवाल होता है कि अमुक सड़क का हिस्सा कितना बन गया है और कितना बाकी है, तो जवाब मिलता है कि इतना रुपया बन गया है और इतना बाकी है। किसी प्रश्न के उत्तर के अन्दर यह कहा गया कि हथोड़ा चले तभी काम नहीं होता है कागज चले तो भी काम मानते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें इस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। हमें

(डॉ० चन्द्रकला)

यह मान कर चलना पड़ेगा, इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि मकान कागज चलने से नहीं बनेगा, मकान तो हथौड़ा चलेगा तभी बनेगा, नींवें जब खोदी जायेंगी तभी बनेगा। इसलिए इन सब बातों को छोड़ कर उस बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत विस्तार के साथ, बहुत ही ऊंचे स्तर से सोचना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि हमारी सरकार या हम लोग जो अपनी तरफ से व्यवस्था का जिम्मा लिये हुए हैं, जो कि बता चुके हैं अपनी तरफ से कि हमें समाजवादी समाज-व्यवस्था को स्थापित करना है, और उसके लिए काम करना है, उसकी ओर हम कितना बढ़ सके हैं? हमको देखना है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं; रोटी, कपड़ा, शिक्षण, स्वास्थ्य-रक्षा आदि इस दिशा में हम कितना कर सके हैं। यदि हम देखेंगें तो हमे मालूम पड़ेगा कि हमने जो अपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बातें कही हैं, यह तो महज़ एक साधन है, साध्य नहीं है। हम अपने साध्य को भूल गये हैं और साधनों में उलझे रह गये हैं।

अभी बताया गया है कि हमने खेती के क्षेत्र में यह काम किया है, हमने शान्ति व्यवस्था के क्षेत्र में यह किया है। जितना किया गया है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है, उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह सभी ठीक है, पर इतना ही काफी नहीं था। इसके साथ साथ हमको अपने महान् लक्ष्य की ओर देखना चाहिए था। बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ जब कि सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहली बात राज्यपाल महोदय के मुख से शान्ति-व्यवस्था और भ्रष्टाचार की निकली। संभवतः यह फैली हुई प्रान्तव्यापी महा बीमारी का असर हो, जैसा कि एक सदस्य ने सदन को बताया था। लेकिन इन सब बीमारियों की जो जड़ है सबसे पहले राज्यपाल महोदय को उसको लेना चाहिए था, लेकिन यहां वही सोचने का तरीका है, वही स्तर पर रहने की बात है। क्यों नहीं गम्भीरता से सोचा जाता है कि हमारी व्यवस्था, हमारी अशान्ति, भ्रष्टाचार के मूल कारण क्या हैं। वास्तव में हम और आप आज यह दावा करते हैं कि इतने डकैतों या डाकुओं को खत्म कर दिया है तो इसके पहले हमें देखना चाहिए कि जो चोरी-डकैती करवाने वाली मनोवृत्तियां हैं, हमारी कुप्रवृत्तियां हैं उनको दबाने का कितना प्रयत्न किया? मैं यह कहूँगी कि बीमारी का इलाज करने की अपेक्षा 'Prevention is better than cure' यानी हम यह सोचें कि यह बीमारी क्यों होती है, हमारे यहां अशान्ति और अव्यवस्था क्यों होती है, हमारे यहां भ्रष्टाचार क्यों होता है? उन कारणों को दूर करके हम समस्याओं को सुलझावें। डाकू और लुटेरे कहां से आते हैं, पर उन मूलभूत समस्याओं की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए हम बराबर असफल होते हैं। कभी कहते हैं कि पूरा काबू पा लिया है, कभी कहते हैं कि छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं गम्भीर चेतावनी के रूप में हैं।

दूसरी बात यह है कि पहले अभिभाषण में शिक्षा पर अलग से विचार किया गया था। शिक्षा का बहुत महत्व माना गया था, लेकिन इस भाषण में शिक्षा को सामाजिक सेवाओं का एक अंग मानकर एक छोटी सी रिपोर्ट दे दी कि इतने स्कूल खोल दिये। कॉलेज तो एक दो ही बताये। जहां तक टेकनिकल इन्स्टीट्यूट का सवाल है उसमें मुझे उससे अलग कुछ नहीं कहना है, वह

(डॉ० चन्द्रकला)

तो आज की एक आवश्यकता है जिसे सरकार पूरा कर रही है। किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में साफ दिखता है कि हमारी सरकार के पास में कोई निश्चित नीति नहीं हैं, कोई निश्चित् योजना नहीं है, ऊटपटांग सा काम चल रहा है। पता नहीं क्यों इस बात का राज्यपाल महोदय ने उल्लेख नहीं किया ? निःशुल्क शिक्षा का इतना ढिंढोरा पीटा गया था पिछले भाषण में, उस निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख क्यों नहीं किया गया ? पाठ्य–पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के विषय में हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले इस सदन में गौरव के साथ कहा था, उसका उल्लेख अभिभाषण में क्यों नहीं किया गया है ? यह एक सीधी सी बात है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल असफल होते चले जा रहे हैं। न केवल असफल होते जा रहे हैं बल्कि सरकार के द्वारा ऐसे काम होते जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़े बोझ बनते जा रहे हैं। राजस्थान कॉलेज हमारी सरकार की सबसे बड़ी भूल है। अभिभाषण में संकेत इस बात का भी नहीं था। एक बार एक प्रश्न मैंने पूछा था तो शिक्षा-मंत्री महोदय ने बताया था कि निःशुल्क-शिक्षा का मतलब यह है कि सरकारी पाठशालाओं में फीस न ली जाय। यह कोई मतलब नहीं होता कि इस तरह की निःशुल्क शिक्षा नहीं होती है। अच्छा यह होता कि सरकार एक योजना बनाती कि किस तरह की शिक्षा देनी है, वह चाहे एक क्लास से पांचवीं क्लास तक की निःशुल्क–शिक्षा की बात सोच कर उसकी घोषणा करनी चहिए थी और उसको ऐसा न करके ऐसे ऐसे काम किये। यह जो भ्रष्टाचार की जितनी बातें सुनते हैं, इन सबका कारण है कि हमारी शिक्षित बेकारी। यही गुण्डागर्दी करवाना चाहती है। मनुष्य कभी भी इन कुप्रवृत्तियों की ओर नहीं जाना चाहता है, लेकिन मजबूर होकर वे दुष्कर्म करते हैं। अशान्ति वा अव्यवस्था की परिस्थितियां आज-कल की शिक्षा की पैदा की हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। उसने अपना शिक्षा का खर्चा इतना अनाप-शनाप बढ़ा लिया है कि दूसरे का कुछ काम बन नहीं पड़ता है।

इसके साथ एक एक बात को लेकर बहुत कुछ कहा जा चुका है। हम लोगों ने सुना कि कुछ दिन पहले एक एक करके तीन एकेडेमीज़ स्थापित हुई हैं राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं, संगीत, साहित्य, कला, नाटक, इन सब का कम मूल्य मानती हूं ऐसी बात नहीं है। ये ललित कलाएं हमारे एस्थैटिक सेन्स को बढ़ाती हैं, लेकिन यह सब सब जब होता है जब कि हमारी दूसरे दूसरे प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। हमारा पेट भरा हो, हमारे कपड़े और घर की समस्या न हो, स्वास्थ्य के पर्याप्त साधन हों तभी कला सूझती है। उसके पहले नाचने, गाने की बात नहीं सूझती है। पहले ये हमारी आवश्यकताएं बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भौतिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद ललित कलाओं की ओर ध्यान होना चाहिए था, क्योंकि इस बात से हमारा खर्चा बढ़ा है। इसके साथ ही उनका निर्माण जिस तरह से हुआ है उसका समर्थन कैसे कोई कर सकता है ? उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि उस विषय के जानने वाले नहीं हैं। उसके अध्यक्ष, उसकी कार्यकारिणी में रहने वाले वे लोग हैं जो बिल्कुल इस चीज़ के जानकार नहीं

Page No.69

(डॉ० चन्द्रकला)

हैं। उनसे क्या तो कला का विकास होगा और क्या वे उस कला की उन्नति करेंगे ?

तो इस तरह से हमारी सरकार पग पग पर ऐसी बातें करती चली जाती है। एक ओर इकोनोमी की बात होती है और दूसरी ओर खर्च की अनाप शनाप बढ़ती होती है सर्कुलर निकलता है कि सरकारी कर्मचारियों को एक एक महीने की सेलेरी अल्प बचत योजना में देनी चाहिये। एक ओर आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है। अभी कुछ दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जोधपुर में खोली गई है जिसमें १८ प्रशिक्षणार्थी शिक्षा पाते हैं। उनके लिए वर्ष भर में ५८००० का खर्चा है। तीन लाख की इमारत ली गयी है। क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की ? ये १८ लोग पहले की तरह इलाहबाद में जाकर ट्रेनिंग ले सकते थे। एक, दो या तीन साल तक जब तक मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर लेते तब तक वहां ही ट्रेनिंग ली जा सकती थी। एक तरफ इस तरह से व्यय बढ़ता जावे और दूसरी ओर इस तरह चले तो मैं यह कहूंगी कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हम जो लक्ष्य बना कर चले हैं वह यह है कि सब को पर्याप्त भोजन दे सकें, सब के पास पर्याप्त कपड़ा पहनने को हो, सब को शिक्षा मिले, सब के व्यक्तित्व का विकास हो और उनसे अपने और प्रान्त के विकास में सहयोग मिले। इस तरह की बातें हमें सोचनी चाहिये।

हमारे सामने जो अभिभाषण में कहा गया और जो बातें हमारे सामने रखी गई उस सम्बन्ध में मैं सरकार के प्रयत्नों की सराहना करती हूं और उसको बधाई देती हूं। लेकिन संकुचित दृष्टि से सोचने की बात पर खेद होता है। हमारी सरकार और राज्य के सबसे बड़े शीर्ष स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से संकुचित दृष्टि से सोचें और छोटी छोटी बातें बतावें कि हमने इतनी सड़कें बनाई हैं, इतनी नहरें बनाई हैं। यह न करके विस्तृत प्रान्त के व्यापक जीवन को लेकर चलें जिससे प्रान्त का विकास हो और प्रान्त की जनता यह महसूस करे कि हमारे शासन का जब से हमें अधिकार मिला है तब से ठीक व्यवस्था हुई है और हम किसी तरह के कष्ट में नहीं हैं। यह सब न होने के कारण ही तरह तरह के प्रश्न सामने आते हैं।

राज्यपाल महोदय को हमें अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि हमारी सूचना के लिये उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। इसलिये उनको धन्यवाद देने के लिए सदन सहमत होगा। लेकिन हमारी सरकार को अवश्य सोचने के दृष्टिकोण को बदल कर अधिक विशाल और विस्तृत योजना बनानी चाहिये।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नारायणसिंह।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं पांच दफा बोलने के लिये उठा। नहीं बोलने दिया जाता है तो क्या हमें चले जाना चाहिये ?

श्री चन्दनमल वैद : We are in mood to hear you.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको एक ही दफा देखा है। अब अवश्य ध्यान रखा जायगा।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन दिन से राज्यपाल महोदय के भाषण पर वाद-विवाद चल रहा है और अनेक सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है। कुछ ने उसमें खूबियें बताई हैं और कुछ ने उसमें खराबियें भी बताई हैं और उसको बहुत बारीक नुक्ता-चीनी तक पहुंचा दिया है। आज की विशेष परिस्थिति में न तो यह आवश्यक है कि बहुत बारीक नुक्ताचीनियों में गायब हो जायं और न खूबियों को ध्यान में रख कर आत्म संतोष ले लें।

हमारे देश की परिस्थिति आज बड़े विकट स्तर पर है। आर्थिक व्यवस्था के कारण कई नये नये दबाव आये हैं और हमारी पंच वर्षीय योजना पर भी वे दबाव पड़े हैं। ऐसी अवस्था में हमारे राज्य के मुख्य पुरुष ने जो एक बड़ा उत्साहवर्द्धक और साहस पूर्ण संदेश हमें दिया है और जो सफलताएं बताई हैं उसके लिये तो हम उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, आज जैसी विकट परिस्थिति में यदि हम खूबियों की तरफ ध्यान देकर ही एक निरा आत्म-संतोष लाते हैं तो बहुत भारी गलती करते हैं।

अभी अभी देश में अक्टूबर २६ को ही यह विज्ञापित हुआ था कि हमारा स्टरलिंग बैलैन्स, हमारा स्टेचुटरी रिज़र्व ३२८ करोड़ रह गया है। जो ३०० करोड़ तक रहना चाहिये था उसमें संशोधन होकर २०० करोड़ रह गयी। इस तरह विदेशी मूल्य और बेलैंस ओफ पेमेन्ट की पोज़िशन, जो एक विचित्र पोज़िशन थी और अब भी है उसमें संशोधन करने के लिये काफी प्रयास किया जा रहा है।

पहली पंच वर्षीय योजना का हमारे देश को अनुभव हुआ। प्रथम योजना का विस्तार इतना था जितना आज दूसरी योजना का अब तक हुआ है। उस योजना में दो तीन साल ऐसे अच्छे हुए कि प्रकृति ने भी हमारा साथ दिया। कोरिया युद्ध छिड़ा हुआ था जिसके कारण कीमतों में गड़बड़ हुई थी लेकिन उसका असर इतना नहीं हुआ जितना आज मौजूद है। जो आज उत्पन्न हो रहा है वह उस समय नहीं हो सकता था और हमने बड़ा भारी आत्म-सन्तोष धारण किया। उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी योजना के दूसरे साल में ही बडा धक्का अनुभव किया और अभी हाल में हमारे राष्ट्रपति ने इस ओर चेतावनी दी है। जहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है और जहां हमें योजना में कई जगह कटोतियां करनी हैं वहां हमें और बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जो निर्माण कार्य हमें करना है और जिसको सुरक्षित रखना है उस ओर से भी हमें ध्यान को अलग नहीं हटाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भी हमें उस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि आज हम एक एक पाई का खर्चा योजना पर करते हैं उस खर्चे के पीछे हमें क्या मिलने वाला है और हम उससे क्या प्राप्त करेंगे, मैं यहां पर थोड़ा सा उस बारे में जिक्र करता हूं। फर्स्ट प्लान में जो केपिटल आउटपुट का रेशियो था वह १.८ से १ था। दूसरे में २.३ टू १ का अनुमान है। भारत के विशेषज्ञों की यह राय है कि साधारणतः केपिटल आउट पुट का रेशियो भी टू वन या फोर टू वन रहता है। लेकिन हमारा देश पिछड़ा हुआ है और दूसरों की सहायता पर निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में केपिटल की कमी के कारण, अनुभव की कमी के कारण कई दिक्कतें हमारे सामने आती हैं इस दृष्टि-कोण को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अनुमान नहीं कर सकते, जब कि हमने अर्थ व्यवस्था का नया नया कदम उठाया है उस

Page No.71

(श्री नारायणसिंह)

समय यह अनुभव नहीं कर सकते कि कितना खर्चा करेंगे, उस अनुपात से कितना प्राप्त होगा। हमारी अर्थ व्यवस्था है वह एक प्रकार से स्ट्रक्चरल प्लानिंग है, वह फैक्शनल प्लानिंग के तौर पर नहीं है। इस स्ट्रक्चरल प्लानिंग में बहुत दिक्कतें आती ही हैं अभी अभी जो बलवन्तराय मेहता रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हुआ है और जितना खर्चा योजना और ब्लॉक्स पर हुआ है उस अनुपात से इतना कृषि उत्पादन नहीं हो पाया है। आज जो खाद्य समस्या है वह एक प्रकार से सारी योजना की रीढ की हड्डी है, ऐसा समझना चाहिये और यदि हम कड़े कदम से आगे नहीं चलते हैं तो एक बड़ी भारी चीज को ध्यानोत्तर कर देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने जो खर्च किया था उसका हमें स्पष्टरूप से अनुभव हुआ है। हमारा जो ज्यादातर खर्चा हुआ है वह पूंजी गत हुआ है। केपिटल एक्सपेन्डिचर की तरफ ज्यादा ध्यान रहा और ऐसा खर्चा हुआ कि पूंजी पूरी नहीं पड़ पाई। यह नजारा हमको अपूर्ण सड़कों में मिलेगा, अपूर्ण नहरों में मिलता है, अपूर्ण बिल्डिंग्ज़ में भी यह नजारा देखने को मिलता है और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनसे पूरी तरह अनुभव होता है। इसके अलावा हमारा ध्यान प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो रहा है वह खर्च की तरफ ज्यादा रहा है। जितनी रकम निर्धारित हुई उसके बारे में यह ध्यान रहा कि यह सब खर्च की जाय। कहीं यह लेप्स न हो जावे। इस तरह से खर्चा करने से यह परिणाम हुआ कि नियोजन में कमी आई और बेतरतीबी से कहीं पर ज्यादा प्रगति हो गई, कहीं पर कमी रह गई, कहीं ऐसा अनुभव हुआ कि इन योजनाओं में अपूर्णता रह गई है, अपूर्ण कार्य रह गये हैं, क्योंकि आंकड़ों में त्रुटियां रही हैं। आंकड़ों की त्रुटियों को कई विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है और आज कई राजनैतिक लोग और दूसरे लोग भी स्वीकार करते हैं कि इन कमियों के कारण कमीवेशी हुई। खास तौर से हमारे जो उत्पादन के आंकड़े थे, उनमें कमी थी उससे हमें बहुत गलत अंकन करने को मिला। आज आवश्यकता है कि हम आंकड़े सही बनायें। मैं इन विषय में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि हमने कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाये हैं। हमारी फोर्थ इवेल्युएशन रिपोर्ट जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट की है, वह यह है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि तीन स्टेजेज़ होती हैं, एक तो इन्टेन्सिव, दूसरी प्रि-इन्टेन्सिव तथा पोस्ट-इन्टेन्सिव जो इन्टेन्सिव स्टेज आती है वह खर्चा बढ़ाती है, जब खर्चा बढ़ता है तो लोगों की आकांक्षायें बढ़ती हैं और लोगों की आकांक्षायें बढ़ते बढ़ते यह देखा जाता है कि पोस्ट इन्टेन्सिव की स्टेज आ जाती है। तो नॉर्मलाइज़ेशन का सवाल आता है। ऐसी स्थिति में जो लोगों की आकांक्षायें बढ़ी हुई होती हैं, उनको पता लगता है कि उन्होंने क्या प्रगति की है और एक प्रकार से धारा बहते बहते मन्द प्रवाह में बहने वाली धारा बन जाती है और जितना सारा उत्साह इन्टेन्सिव स्टेज में होता है वह गिर जाता है। इस ओर बलवन्तराय मेहता रिपोर्ट ने इंगित किया है। उसमें स्पष्ट कहा है कि इन तीन स्टेजों की आवश्यकता नहीं है, जिनकी जगह दूसरे और तरीके सोचें जाने चाहिए। इन बातों को सोचते हुए और दूसरी बातों को सोचते हुए हमें पंचवर्षीय योजना में जो सबसे प्रधान कार्य करना है वह यह है कि जहां बड़ी सिंचाई की योजनाओं में खर्चा करने में कुछ

(श्री नारायणसिंह)

कमी देखें अथवा उन स्कीमों में विदेशी विनिमय के कारण या किसी और संकट के कारण खर्चा न कर सकें तो उस खर्चे को छोटी सिंचाई योजनाओं की तरफ घुमा दें। छोटी योजनाओं का परिणाम तुरन्त होता है और तुरन्त ही उत्पादन में फर्क दीखता है। इसी विषय में अशोक मेहता रिपोर्ट ने भी, जो फूड ग्रेन के बारे में है, उसमें इस ओर संकेत किया है कि जो बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं में सेट फोर्म्स है, उनका हम रिअलाटिंग इन छोटी योजनाओं की ओर कर सकें। इस भवन की भी यह राय है और कई सदस्यों ने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इसके अलावा हमारी दूसरी आवश्यकता है, इन योजनाओं में सहकारिता का प्रादुर्भाव करने की। इस विषय में बात काफी की जाती हैं, काफी प्रयास किये जाते हैं फिर भी देखा जाता है कि जहां ब्लाक डेवलपमेंट में सहकारिता में प्रगति हुई है, उत्पादक वर्ग की सहकारिता में प्रगति हुई है, मारकेटिंग के अन्दर सहकारिता में प्रगति हुई है, वह सहकारिता वहां अपूर्ण रही है, वह प्रवृति नहीं हो पाई है, यह एक त्रुटि रही है और इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं इससे तो बड़ा प्रभावित हुआ हूं कि गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में रूलर क्रेडिट के पुनर्गठन की बात कही हैं लेकिन वह अगर स्तर की व्यवस्था की ओर इंगित करती हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि जो नीचे नीचे की सहकारी व्यवस्था है, वह फिर भी अधूरी रह जाने को है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारी योजनायें हैं, वे केपीटल एक्सपेन्डीचर की ओर प्रवृत होने से अपूर्ण रह गई हैं, उनको यदि हम पूर्ण नहीं करते हैं तो जो तमन्नायें, इच्छायें लोगों की होती हैं, उन पर आघात पहुंचता है। अतः उस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उस ओर खास कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ फूड प्रोब्लम है, वह जो हमारे सामने परिस्थिति है, वह विकट स्थिति में है। अशोक मेहता रिपोर्ट ने बताया है कि १८.१ औंस पर डे जो सन् १९५४ में फूड ग्रेन की खपत थी, वह आज १९५६ में १७.१ प्रति व्यक्ति नजर आती है। इस कमी के कई कारण बताये हैं, कई फेक्टर बताये हैं जिसे इनवेस्मेंट एक्सपेन्डीचर में बढ़ोतरी हुई है, मनी सप्लाई की बात बताई हैं, यह भी बताया है कि अन्न के भाव और दूसरी खपत की वस्तुओं के भावों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं। इससे असरात पड़े हैं। मनी सप्लाई और इन दूसरी चीजों से जो लोगों के रहन सहन के स्तर में परिवर्तन हुआ है, इससे कई लोगों जो सही स्तर की अवस्था में रहते थे, में खर्चे की प्रवृति होने से खाद की मात्रा में हेर-फेर हुआ है और उसके साथ ही साथ खाने के तरीके में हेर फेर हुआ है। जिन चिजों को लोग पहले ज्यादा खाते थे, उनसे कुछ अच्छी चीजों को खाने की प्रवृति बढ़ी है। इससे अन्न की कमी हमें महसूस होती है। इसके अलावा लोगों में अन्न के संग्रह की प्रवृति भी काम कर रही है। इस विषय में अशोक मेहता रिपोर्ट में साफ कहा गया है "In 1955-56 most of the stock building was done by the traders. But in 1956-57 large part of stock holding was done by big and medium producers as well....... Stock holding at farm level increased in 1956-57... even

(श्री नारायणसिंह)

less then 50/ as compared to 70 to 80 of the crop into market in 1956 -57. It was due to scare started by reports of scarcity in particular areas or crops."

और उसका परिणाम यह हुआ है कि अब केवल व्यापारी गण ही होर्ड नहीं करते हैं उनके साथ ही साथ इन सब परिस्थितियों में जो बडे फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, उनमें भी होर्डिंग की प्रवृति आ गई है। इस कारण से जो काफी अन्न मार्केट में आना चाहिए, उसमें कमी हुई है। अन्न के अभाव की ये परिस्थितियां बताई गई हैं इसके साथ ही साथ क्रोपिंग, लैंड युटिलाइज़ेशन मेन्यूरल डिफीकल्टीज़, प्रोडक्शन, कोस्ट और इर्रीगेशन की रेट्स् के बारे में डिफीकल्टीज़ हैं। इन सब कारणों के होते हुए भी हमारी पंचवर्षीय योजना में ७.३ परसेन्ट की जो अन्न में बढ़ोतरी हुई, वह हमारे लक्ष्य से बहुत कम नहीं है। हमारा लक्ष्य ७.६ पर्सेन्ट का था। रिपोर्ट में इनके अलावा आबादी में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका भी उल्लेख है और इसके साथ ही और फेक्टर भी गिनाये गये हैं। इन सब कारणों के असरात हुए और इनके कारण अन्न में कमी महसूस हुई। अन्न में उन्होंने इस विषय में अन्न को रिजर्व रखने के बारे में सुझाव दिया है, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने रिपोर्ट में कई व्यवस्थायें भी बताई हैं, जैसे स्टेबिलाइजिंग ऑफ फूड ग्रेन और स्टेबिलाइज़िंग ऑफ फूड प्राइसेज़। मैं समझता हूं कि फूड ग्रेन स्टेबिलाइजिंग आर्गेनाइज़ेशन और फूड प्राइसेज़ स्टेबिलाइजिंग आर्गेनाइज़ेशन स्टेट लेबल पर होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ हर गांव में यह आवश्यकता है कि हम वहां अन्न कोठे बना सकें। उन्होंने बिहार के अन्न गोदामों का उदाहरण दिया है। हमें भी सामुदायिक विकास खंडों में तथा छोटी जगहों पर अन्न के कोठे बनाने चाहिए और साथ ही साथ राज्य के अन्न के संग्रहालय तैयार करें, जिससे अगर खाद्यान्न की कीमतों में हेर फेर होता है तो उसको हम दुरुस्त हालत में ला सकें। इसके अलावा अन्न उत्पादन में जो खास चीज है वह यह है कि कृषि के प्रसार में कृषि की दरों में हेर फेर करनी पड़ती है और कृषि को हमें अधिक अन्न सुलभ बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। इसके साथ ही हमें डबल क्रोपिंग की तरफ, पशुओं के परिवर्तन की तरफ ध्यान देना होगा। हमें अच्छे बीज के वितरण की तरफ भी ध्यान देना होगा। जहां का मैं जिक्र करता हूं वहां गवर्नमेंन्ट की तरफ से केमिकल उर्वरक दिया जाता है। और केमिकल खार का प्रयोग होता है तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जितनी मात्रा में केमिकल खार की आवश्यकता है, उतनी मात्रा दी जाय। इसलिए इस बात को सोचकर केमिकल उर्वरक दिया जाता है और अगर उर्वरक को देखते हुए केमिकल खार की कमी हो तो उस पर ध्यान देते हुए केमिकल उर्वरक और केमिकल खार का प्रयोग करते हैं, उससे उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन एक ही तरीके से करते हैं तो उसका यह परिणाम होता है और गांवों में यह चीज बताई गई है कि इनसे मिट्टी के ढगले से बन जाते हैं। इसके लिये में सुझाव दूंगा कि ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान देकर, एनेलिसिस के लिये प्रयोग शालाओं में लाना चाहिये। मैं इस ओर

(श्री नारायणसिंह)

भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हर विकास खंड योजना में सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म और उन्नत तरीके की खेती के लिये फार्म अवश्य बनाने चाहिये। इन प्रत्यक्ष प्रयोगों से किसानों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और उन्हें उत्साह मिलेगा।

अभी अभी गवर्नर महोदय ने जिक्र किया था और मैंने भी देखा है कि कई जगह ग्राम नेताओं के केम्प लगे, मैं उन्हें काफी उपयोगी समझता हूं, इनसे काफी विचारों का आदान–प्रदान होता है।

श्री उपाध्यक्ष : There is more of hissing please.

श्री नारायणसिंह : इन चीजों को और इन प्रवृत्तियों को विशेष रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनसे जो काश्तकारों की व्यावहारिक और प्रत्यक्ष दिक्कतें हैं वे हमारे सामने आती हैं और उन दिक्कतों का हल निकलता है। हमें केवल इससे-आत्म-संतोष कर लेने की आवश्यकता नहीं कि हमने इतना उर्बरक या इतना बीज बांट दिया, हमें यह देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के उर्बरक से या बीज के उपयोग से हमें कितना लाभ हुआ, हमारा कितना उत्पादन बढ़ा ? हमें यह देखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी।

अब मैं एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ओफिसर्स के बारे में कुछ कहूंगा, एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफीसर्स हैं ये बहुत सहूलियत से कार्य करते हैं, उनके सिलेक्शन में हमारी खास जिम्मेदारी है, उनकी कार्यवाही को चैक करने में बी.डी.ओज़. के लेवल की आवश्यकता है, उनको लेटेस्ट ज्ञान दिया जाना चाहिये और इस डेवलपमेंट के विंग की खास तौर से हमें पुख्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिये। इसके अलावा आवश्यक है कि ग्राम मेन्योर के सिद्धान्त हैं, उनकी ओर ध्यान दें। इसके साथ ही सोइल कन्ज़र्वेशन के कई मुद्दे आते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, राजस्थान सरकार ने काफी कदम उठाये हैं। सबसे बड़ा कदम इस ओर उठाना है कि बढ़ते हुए रेगिस्तान को जो हमारी ओर आ रहा है उसको कैसे रोका जाय। केवल जंगलों की बढ़ोतरी की ओर ध्यान दे देते हैं तो इससे इस समस्या का पूरा हल नहीं हो जाता। सोइल कन्जेर्वेशन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के घास जमाने की आवश्यकता है, कृषि की पद्धतियां हैं उनको बदला जाय और कहां कहां विभिन्न प्रकार के दरख्त लगाये जांय और जनरल विन्ड इरोज़न रोका जाय।

अब मैं थोड़ा सा श्रमिक समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गवर्नर महोदय ने कहा कि कई मजदूरों के केस समझौते से किये गये और प्रगति की जा रही है। पर जब मैं एस्टीमेट कमेटी की लेबर की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो उसमें पाता हूं कि लेबर के अधिकारियों को किताबी ज्ञान अधिक है, प्रयोगिक ज्ञान कम है। जो स्टेटिस्टिक हर प्रकार के मजदूरों के खर्च इत्यादि का तैयार होना चाहिये वह भी अभी अपूर्ण है, इसी लिये हमारे सामने शिकायत आती है। वेजेज़ निर्धारित नहीं किये जा सके। एक सदस्य महोदय ने फरमाया कि यह सेंटर का कार्य है। जब अजमेर का भूतपूर्व राज्य इस बारे में कदम उठा सकता है तो राजस्थान सरकार के लिये यह क्यों मुश्किल है ? पर केवल मिनिमम वेजेज़ लगा देने से ही यह काम पूरा नहीं

(श्री नारायणसिंह)

हो सकेगा । कई प्रकार के लेबर के कानून मौजूद हैं, फिर भी हड़तालें हो रही हैं, विजयनगर, किशनगढ़ और कोटा के ज्वलन्त प्रमाण हमारे सामने हैं, कानून होते हुए भी मजदूरों को लाभ से वंचित करने में मिल मालिक सफल होते हैं, वे किसी न किसी प्रकार से ऐसे दबाव पैदा करते हैं कि उन्हीं की बात रहती है। अगर लेबर को केवल कानून की लकड़ी दे देते हैं तो वह बड़ी कमजोर है, वह टूट जायगी; अतः इसकी ओर हमें देखने की बड़ी आवश्यकता है । मैंने एक पत्र श्रम मन्त्री को विजयनगर के बारे में लिखा था कि वहां श्रमिक, मिल मालिक और कर्ज देने वाले हैं, उनका संयुक्त मेनेजमेंट बनाया जाय और ट्रस्टीज़ के रूप में इसको चलाया जाय। इसमें कोई कानूनी अड़चनें हों, कठिनाइयां हों; उन अड़चनों को साफ करने के लिये केन्द्र को इशारा करें।

अभावग्रस्त स्थानों के बारे में गवर्नर महोदय के भाषण में जिक्र आया, इस सम्बन्ध में मैं टाडगढ के प्रश्न को सदन के सामने रखूंगा। वहां की परिस्थिति बड़ी विचित्र है, वहां पर पहाड़ी इलाका होने से थोड़ी सी अभावग्रस्त स्थिति में बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है, उनसे जो जंगल लिये गये हैं उनका मुआवजा उनको जब तक नहीं मिल जाता, उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती। मुझे खुशी है कि जंगलात मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बारे में गौर किया जायगा।

अब मैं छोटी बचत योजना के बारे में थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं, वह सफल होती है तो इससे हमारी योजनाओं के खर्च में काफी लाभ पहुंचता है। गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि छोटी बचत योजना प्रगति नहीं कर सकी। अक्टूबर ५७ में जहां २२ करोड़ के नेट फीगर आये हैं वहां इसके कोरेस्पोन्डिंग हाफ इयर में ३४ करोड़ थे; ऐसी सूरत में ५६-५७ में जो ६२ करोड़ का फीगर लक्ष्य बनाया है शायद उस तक नहीं पहुंच सकें। मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर छोटी बचत योजना की तरफ हमारी जनता की प्राप्ति कम है, प्रवृत्ति कम है तो इसका एक अर्थ यह भी लिया जाता चाहिए कि जन सहयोग में जनता के विश्वास में कमी आ रही है, कहीं हमारे काम में कोई त्रुटि है।

जो बैंकों की दर है उसका इस पर प्रभाव जरूर है पर यह स्थिति बन गई है इसके बारे में हमें यह समझना चाहिए कि जन-सहयोग में कहीं त्रुटि है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष,......

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी,.........

३ म. प.

श्री चन्दनमल बैद : We are now in a mood to hear him, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : After discussing such tedious subjects, we must have some relaxation.

श्री उपाध्यक्ष : मुझे भय है कि वे और बहस न करने लग जावें।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो हाउस के सामने माननीय राज्यपाल महोदय ने भाषण पेश किया

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

उसमें कोई नई बातें राज्यपाल नहीं लाये। जैसा पुराना ढचरा चलता आया है राजाओं और अंग्रेजों का उसी तरह से पुराने ढचरे की बातें उसमें रखी गई हैं और नई बात जनता के लिए सुविधा की, आराम की नहीं बतायी और अगर बताते तो हम धन्यवाद तो क्या उनको हम और हमारे बाद में आने वाले लोग ज्यादा याद रखते; परन्तु उसमें कोई नई बात नहीं बतायी, सब ही पुरानी बातें बता दीं। साल भर पहले भाषण दिया था, उसमें भी इसी प्रकार की बातें बतायी थीं। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बातें बतायीं उससे कोई जनता खुश नहीं है और हम हाउस में बैठने वाले, जनता के प्रतिनिधि बन कर इस हाउस में आते हैं उनको भी और मेरे को भी बड़ा दुख होता है कि राज्यपाल कोई नई बात बताते तो अच्छा होता और उससे जनता को किसी तरह से आराम मिलता तो हमारी भी इज्जत जनता में होती नहीं तो हमारी इज्जत भी जनता में नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात नहीं है, माननीय सदस्य की बहुत इज्जत है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो मेरी इज्जत थोड़ी-घणी है इसलिए कि आप लोग कहते हैं कि कोई लड़का नहीं है और आप सब लोगों के बहुत कुछ हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : अभी उम्र बहुत काफी है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : अब तो बहुत उम्र हो गई है।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, ये जितने भी सरकार के काम किये जाते हैं और जितनी भी सरकार चलाने वाले हैं उनको यह चाहिए कि आज अपने इस कुर्सी पर बैठ कर हाउस के सामने शपथ ली है उस शपथ का रुपये में कम से कम १५ आना तो पालन जरूर करना चाहिए। मैं यह भी मान कर चलता हूँ माननीय उपाध्यक्ष जी, कि १५ आना पालन तो मैं भी नहीं करता हूँ क्योंकि सिफारिश तो मैं जरूर करता हूं, परन्तु भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनसे दूर रहता हूं। आज जो भ्रष्टाचार होता है, जितना माननीय सदस्य करते हैं। भ्रष्टाचार गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स करते हैं, लेकिन मैं तो मान कर चलता हूं कि भ्रष्टाचार हम कराने वाले हैं। शासन चलाने वाले १७६ एम. एल. एज़. हैं, जिनको लोग कहते हैं कि हमारे यहां के राजा बन कर बैठ गये है, ज्यादा खर्चा करते हैं, टैक्स लगाये गये हैं, अगर अपने दिल में अपन सोच लें कि अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी और पंचायतों की उन्नति करना है तो जो भ्रष्टाचार करने वाले है उनके दिमाग में अपने आप आयेगा और यह चीज पैदा हो जावेगी कि राजस्थान में भ्रष्टाचार न होने पाये। परन्तु मैं यह मान कर चलता हूं कि अपन लोग भी उस भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाउस के माननीय सदस्यों के ऊपर आरोप लगाना परम्पराओं के विरुद्ध है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं किसी एक माननीय सदस्य पर नहीं लगाता। मैं खुद शामिल हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप खुद शामिल हो जांय, यह बात अलग है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नाम थोड़े ही लेता हूं मैं किसी सदस्य का।

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल : ऐसे कामों में उनका शामिल होना भी अवांछनीय होगा।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो पुलिस की बात कहूं। मुझे थोड़े दिन पहले काम पड़ा था। एक ऐसा ही सामाजिक मामला आ गया था। मैं राजनैतिक आदमी हूं, सामाजिक मामला तो मैं मेरे घर में ही करता हूं, दूसरा नहीं करता।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप उसमें सम्मिलित होते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कोई किसी का बाप-बेटा मर जाता है तो शामिल होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हमें तो मालूम है कि आपने विवाह किया है, वह सामाजिक कृत्य था।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने तो विवाह नहीं किया। मेरे दो दोस्त हैं, घर वाले करते हैं, कानून की अवहेलना नहीं करते। जितने एम. एल. एज़. हैं माननीय उपाध्यक्षजी, यहां भ्रष्टाचारी हो गये। मैं आपको साबित कर देता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता।

श्री उपाध्यक्ष : (किसी सदस्य द्वारा बीच में बात करने के कारण) सीधा सम्पर्क नहीं करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : शादी करके, नुक्ता करके शामिल होते हैं, विवाह में होते हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां जो पुलिस के बारे में कहा था तो मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस के अन्दर यह बात जरूर है कि पुलिस वाले धर्म के मामले में, सामाजिक मामलों में झगड़ा कराने में पूरा सहयोग देते हैं और उससे ज्यादा झगड़ा फैलता है और मुकदमे बाजी बढ़ती है और आदमी परेशान होते हैं। २६ तारीख को सुना था कि भूख हड़ताल की है। मेरा ऐसा ख्याल है कि जब मास्टरों को संघ बनाने की इजाजत दे दी है तो यदि पुलिस वालों को इजाजत दे देंगे तो थोड़ी घनी भावना जो भ्रष्टाचार की फैली हुई है, मैं यह मानकर चलता हूं कि किसी प्रकार कभी सरकार पर जरूर इस तरह का वार कर सकते हैं, वह जरूर कम होगी और अगर वार करें तो देखा जाय, जो भी सरकार बनेगी वह जनता की ही बनेगी, परन्तु यदि उनमें भ्रष्टाचार की भावना दूर होती है तो सरकार को संघ बनाने की इजाजत देनी चाहिए और पुलिस के अन्दर जैसे मेरे भाई कहते हैं और भी कई तरह की भ्रष्टाचार की बातें हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, आज पुलिस वालों को, जिनके आठ बच्चे हैं उनको ४५) रु. तनख्वाह देते हैं और दूसरे लोग किस तरह से खर्चा करते हैं २००), ४००), ५००) खर्च कर डालते हैं, वह ४५ रुपये में क्या तो कपड़ा खरीदेगा, कैसे नाज खरीदेगा, क्या करेगा, चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रत्येक के आठ बच्चे होते हैं ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : किसी के १० भी हैं।

(हंसी)

किसी के पांच भी होते हैं और मेरे जैसे आदमी के एक भी नहीं।

(हंसी)

और रोटी भी दूसरों के यहां, दौलतमलजी के यहां खाता हूं। २००) तो मैं रिक्शा–तांगा में ही खर्च कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको हिसाब लगाकर बताऊं, पहली बात यह है कि पुलिस वालों में आई० पी० एस० और आ० ए० एस ऑफिसर्स का संघ बना हुआ है तो फिर इन छोटे कर्मचारियों को क्यों नहीं बनाने दिया जाता ?

दूसरी बात यह है कि फाइव इयर प्लान के लिये जैसा कि मैंने दो साल पहले कहा था कि सारे प्रोपोज़ल्स नीचे से बनने चाहिये इतना कहने के बावजूद भी काम ऊपर से शुरू किया जाता है। हमने देखा है कि जितना रुपया हमें पंच वर्षीय योजनाओं में मिलता है उतना हम खर्च नहीं कर पाते हैं और जिस तरह का काम होना चाहिये वैसा हो भी नहीं पाता है। जितने भी बान्ध बने हैं उनमें से कई बान्ध तो टूट गये, सड़कें खराब ही गई, तालाब टूट गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा काम करवाने से क्या फायदा ? काम चाहे कम किया जाय लेकिन उसे पूरा और मजबूत किया जाना चाहिये, बान्ध भी बनाये, तो ऐसे बनाए जायें जो बहुत मजबूत हों, जिनके टूटने का किसी प्रकार भी खतरा न रहे।

चम्बल बान्ध के लिये हाय–घोड़ा मचा था कि इतना रुपया खराब गया। भीलवाड़ा की तरफ भी बान्ध टूट गया, तो ऐसे काम करने से फायदा क्या ? जयपुर से देवली तक जो नेशनल हाई वे है छः बरस से मैं चिल्ला रहा हूं, मैंने करीब १०० चिट्ठीयां लिख डालीं चीफ इन्जीनियर महोदय को लेकिन किसी ने भी इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया।

(घंटी)

इसमें तो भारत सरकार का रुपया लगता है आपको खर्च करने में क्या दिक्कत है, अभी थोडा सा काम शुरु हुआ है चार वर्ष के बाद थोडा ध्यान दिया गया है।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक टाइम का सवाल मैं करीब आठ महिने के बाद तो बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं इस पर भी इतना ही समय दिया जाता है, कम से कम पच्चीस मिनिट तो और मिलने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप दस मिनिट में समाप्त कर दिजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : समय घटाइये नहीं उपाध्यक्ष महोदय, महरबानी रखिये।

माननीय उपाध्यक्ष, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उसमें इस बात का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है कि चपरासी, क्लर्क्स आदि जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में किसी प्रकार की बढोत्तरी की गई है। राज्यपाल महोदय को यह देखना चाहिये कि यह राजस्थान अब 'ए' क्लास स्टेट में हो गया है कम से कम यहां लोगों की तनख्वाहें भी ए क्लास स्टेट के बराबर तो होनी चाहिये। आज जितना भी काम होता है क्लर्क बेचारा करता है, मिनिस्टर साहब तो केवल दस्तखत करते हैं। ऑफिस

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

में क्लर्क जो कुछ बनाकर देता है उस पर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जितने भी लोग होते हैं सब दस्तखत करते जाते हैं, इसलिये क्लर्क को जब तक आप पूरी तनख्वाह नहीं देंगे तब तक उससे आप पूरा काम नहीं ले सकते । जब उनका पूरा पेट भरने लग जायगा तो वे काम भी पूरा करेंगे । इस बारे में राज्यपाल महोदय ने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला ।

एक बात में जागीरदारों के लिये कहना चाहूंगा जिनकी जागीरें आपने ली हैं, जागीरें लेने के बाद उस कानून के अन्दर कमी रख दी गई है उनके पास काफी बिल्डिंगें पड़ी हैं, जो जनता के पैसे से उन्होंने खड़ी की थीं, मैंने देखा है कि मेरे इलाके में जितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो पचास पचास हजार, तीस हजार की उनको पांच-पांच हजार में बेच रहे हैं । इस कानून में यह करना चाहिये कि जब जागीर उन्मूलन कानून बना उसके अन्दर यह करना चाहिये था गांवों में जगह-जगह ऐसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उन बिल्डिंगज़ को सरकार को लेना चाहिये ताकि जो गांवों में स्कूलों की इमारतों की दिक्कत है, अस्पताल के लिये बिल्डिंग की दिक्कत है, पंचायत भवन के लिये मकान चाहिये तो इन मकानों का उपयोग किया जा सकता है, चूंकि यहां जागीरदारों को थोड़ा टुकड़ा डालकर उनको सरकार ने अपने कब्जे में कसने का उपाय निकाल लिया है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ये जो बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं उनको जरूर लेना चाहिये । इसके लिये एक साल का और मुआवजा बढ़ा दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कुछ शब्द आपत्ति जनक हैं जैसे 'टुकड़ा डालना' ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं इन शब्दों को वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सम्माननीय शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने अपनी गलती मान ली, महाराज ।

श्री उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष को महाराज से संबोधित नहीं किया जाता ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : हमारे यहां बड़े आदमियों को महाराज कहा करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह संसदीय शब्द नहीं है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी रखते हुए) ट्रान्सपोर्ट महकमे के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, जो भी मोटरें चलायी जाती हैं वे रद्दी मोटरें होते हुए भी पर्मिट मिल जाता है । मेरा इस बारे में यह कहना है कि खामखा इस तरह क्यों किया जाता है, मोटरें रद्दी हैं और फिर पर्मिट की प्रणाली यह बहुत खराब है, मैंने पहले भी यह कहा था कि पर्मिट सिस्टम जो रखा है उसकी जरूरत क्या है, इससे भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है और बसें भी खराब चलायी जाती हैं । मैं तो यह मानकर चलता हूं कि पर्मिट सिस्टम जो है उसको हटा दिया जाय, इसमें दो चार पांच लाख रुपये भी सरकार के खत्म हो जाते हैं अफसरों का भी समय बरबाद होता है, यदि पर्मिट सिस्टम हटा देते हैं तो सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होगा और न सरकारी अफसरों का समय ही बरबाद होगा । मेरा ऐसा मानना है कि

(श्री मुक्तीलाल मोदी)

ट्रान्सपोर्ट महकमें में जो आमदनी होती है वह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंन्ट को दी जानी चाहिये। पहले जयपुर राज्य के समय यह ट्रान्सपोर्ट का डिपार्टमेंन्ट म्युनिसिपेलिटीज़ के पास था, यह बात राजाओं के जमाने की है। ट्रान्सपोर्ट का महकमा ही गलत है, उसको तो सिटीज़ में म्युनिसिपेलिटीज़ के पसा होना चाहिये। और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के पास पैसा अगर उसका जाता है तो उससे सड़कों का काम हो सकता है, सड़कों की हालत सुधर सकती है।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे १५ मिनिट और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप समाप्त करिये। देखिये मैं आजीजी कर रहा हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं भी तो हाथ जोड़ रहा हूं महाराज। मुझे १५ मिनिट तो और दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ट्रान्सपोर्ट के बारे में अभी अर्ज किया।

यह जरूर मानूंगा कि राजस्थान में सुखाड़ियाजी ने शिक्षा को जरूर बढ़ाया, काफी स्कूलें खोल दीं। पर इसका जो स्तर होना चाहिये अभी उस स्तर तक उन स्कूलों को पहुंचाना बाकी है। उनकी खामियों को दूर करना है। इन्जीनियरी पढ़े लड़कों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने पर भी वहां नौकरी नहीं मिलती है तो यह अफसोस की बात है। फर्स्ट डिविजन में पास है तो ऐसों को भी नौकरी न मिले तो फिर वे कहां के तो बिजली घर और कहां के बोर्ड ?

(हंसी)

वे लड़के, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आये, मैं मन्त्रीजी के पास उनको लेकर गया था

(हंसी)

इसमें बेईमानी नहीं है। इन्जीनियरी पास है इतना ही कहा जाता था कि इनको नौकरी दे दो।

(हंसी)

तो माननीय उपाध्यक्षजी,...

एक माननीय सदस्य : और तो कुछ नहीं कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, एक वेटरनरी के अन्दर १०० लड़के हैं वे ६ महीने से इधर उधर डोल रहे हैं, कोई इन्टर पास है, कोई बी. ए., उनको ट्रेनिंग सरकार ने दो साल की दी, इसमें लडकों का काफी पैसा खर्च हुआ, कइयों ने तो कर्जा लिया इसके लिये, तो जब उनको ट्रेनिंग दी तो पहले ही उनकी नौकरी का इन्तजाम करना था सरकार को। इतना ही नहीं और भी सौ लड़कों को सरकार ने भरती कर लिया। ये क्या गवर्नमेन्ट चलाते हैं या कोई मजाक करते हैं ?

(हंसी)

वे लड़के मेरे पास आये थे। मेरे भी दो तीन दिन खराब हुए पर काम नहीं हुआ। तो अब वे लड़के कहीं लोअर डिविज़न क्लर्क हैं, कोई घर बैठा है, कोई कर्जा मांग रहा है। वे विचारे कहां कहां से कर्जा मांग मांग कर लाये थे।

(घंटी)

तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो नई नई बातें बता रहा हूं, कोई पुरानी बात थोड़े ही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी

(हंसी)

तो कितने दिन यह इस तरह का ढांचा पार पडेगा ।

और इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैं डवेलपमेन्ट की बात बता रहा हूं, आप से । आज इसके लिये सरकार रुपया रुपया चिल्लाती है । मांगती है । पर मैं बताऊं, जनता रुपया देने के लिये तैयार है, पर आज सरकार जो कागजों को निकालने में बारह महीने और छ: महीने लगाती है इसके लिये लोग डेलने को तैयार नहीं, नहीं तो लोग अस्पतालों में और स्कूलों में जितना चाहिये उतना रुपया लगाने को तैयार हैं ।

आज सरकार पंचायतों को अधिकार देने की बात करती है, पर देर लगा रही है । आप अधिकार दे दें उनको ।

श्री उपाध्यक्ष : रूस में इसकी क्या व्यवस्था है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां, रूस की बतलाता हूं मैं ।

(हंसी)

रूस में डेवलपमेन्ट का तो काम नहीं होता । ब्लॉक का काम जरूर होता है । वहां के प्लानिंग कमीशन से हम मिले थे और उन्होंने मीटिंग बुलाई थी । वे कह रहे थे कि हम फर्स्ट फाइव इयर प्लान में स्कूलें खोल रहे थे उसी ढांचे पर जिस पर अमेरिका ने बनाई थीं । इस लिये हमारा फर्स्ट फाइव इयर प्लान अनसक्सैस्फुल रही । क्योंकि जो स्कीम थी वह ऊपर से चलती थी नीचे से नहीं । परन्तु अब जो स्कीम सेकन्ड फाइव इयर प्लान की हम चलाना चाहते हैं उसमें हमने वह स्कीम नीचे से ली है और पंचायतों के द्वारा....

श्री उपाध्यक्ष : यह किसने कहा ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे उसने कहा ।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : चेयरमैन ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, चाय-वाय भी हमें पिलाई थी, हम तो उनके ही गेस्ट थे ।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : चाय पिलाई थी, नाटक तो नहीं दिखाया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जारी रखिये, इधर उधर के हस्तक्षेपों में न पड़िये ।

श्री मुक्तिलाल : इसके लिए मैंने भी एक फॉर्म छपाया था कि आपके यहां जो खामियां हों वे आप इसमें लिख दें जिससे हम अपने यहां उन खामियों को दूर कर सकें । तो अब यहां के ब्लॉक में, हमारे यहां तो ब्लॉक खुला नहीं, इसलिये इन ब्लॉकों के काम की तो क्या अर्ज करूं ।

(घंटी तथा अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

अभी खतम कहां किया है मैंने ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी आसन ग्रहण करें । अध्यक्ष अपने पैरों पर खड़े हैं ।

श्री मुक्तिलालमोदी : एक मिनिट अभी तो बाकी है और सरकार ने हमको आश्वासन दिया था उपाध्यक्ष महोदय, कि शाहपुरा में एस. डी. ओ. का ओफिस हटा दिया था उसके लिये । अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि शाहपुरा में इसे वापिस कायम करें जिससे जनता को सुविधा

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

मिल सके। वहां मकान भी ठिकाने का है वे एक्वायर कर लें। तो ऐसी हालत में राज्यपाल ने जो भाषण दिया उसमें मैं एक बात और भूल गया।

(हंसी)

उद्योगों के बारे दो में करोड़, ढाई करोड़ रुपया पूंजीपतियों में सरकार का बाकी है और उनमें सरकार को एक पैसे का भी फायदा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप अग्रवालजी से कह दें; वे फरमा देंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अग्रवालजी ने तो मुझको दे दिया महाराज।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : यह सरकार का फायदा करना चाहते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो ये बड़ी बड़ी फैक्टरियों में, मिलों में सरकार ने पैसा लगाया, लाखों रुपया लगाया ५) का भी फायदा नहीं है। ब्याज का भी एक पैसा नहीं आता है और शेयरों के बारे में भी सरकार को कहा था कि वह रिपोर्ट सदन के सामने रक्खी जानी चाहिये कि किन किन में कितने कितने शेयर हैं और नफे-नुकसान का भी हिसाब उसमें होना चाहिये। पर यह जानते हुए भी कि पहले कोई फायदा किसी से नहीं मिला हमारे राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि खाद का कारखाना बनाया जावेगा तो वह भी दूसरे ही पूंजीपति बनावेंगे, मैं इस पर सरकार को यह कहने को तैयार हूं कि सरकार आज अपने पास पैसा नहीं होने की वजह से दूसरों को बनाने दे रहा है पर अगर इसे नेशनेलाइज़ करने का भरोसा सरकार दे तो जनता काफी पैसा इसमें लगाने को तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री होतीलाल।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के पक्ष और विपक्ष में इस सदन में काफी विचार रखे जा चुके हैं। अगर आम तौर से देखा जाय तो तादाद ऐसे सदस्यों की ज्यादा मिलेगी,

३. ३२. म. प.

(डाक्टर चन्द्रकला, सभानेत्री, पदासीन)

(करतल-ध्वनि)

जिन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण से असहमति प्रकट की है। लेकिन जिस समय डिवीज़न का समय आयेगा तो एक व्हिप का डर ऐसा है कि सब ही इसके पक्ष में चले जायेंगे और यह पास तो होगा ही। लेकिन इस भाषण के जरिये सरकार की जो शोर्ट कमिंग्ज़ हैं, जो कमियां हैं वह सामने आती हैं। ऐसा इसलिये किया जाता है कि उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को सचेत और सजग रहना चाहिए।

लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने कहा है उसके बारे में मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। भरतपुर के बारे में मैं कम से कम कह सकता हूं कि बीसियों साल से डकैती नाम की चीज सुनी नहीं जाती थी, धौलपुर का हिस्सा छोड़ दिया जाय, लेकिन भरतपुर में कहीं भी डकैती नाम की चीज नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अभी कुछ ही महीनों के अन्दर, वह भी ऐसी जगह कि जहां थाने मौजूद हैं वहां चालीस-चालीस और तीस-तीस हजार की

(श्री होतीलाल)

डकैतियां हुई। इतना ही नहीं उच्चैन में जो चालीस हजार की डकैती हुई उसमें पार्टी कन्सर्न्ड ने ही स्वयं यह दरख्वास्त की कि इस चोरी में पुलिस का हाथ है (शेम, शेम की आवाजें) उन्होंने स्वयं ने इस बात की शहादत दी और इसके बावजूद भी पुलिस आज भी चुपचाप बैठी है और किसी भी बरामदगी की बात तो अलग रही उसमें कौन कौन मुलजिमान हो सकते हैं वह अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इसके अलावा दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि भुसावर में ३० हजार रुपये की चोरी हुई। तो इतनी बड़ी बड़ी चोरी अपने इलाके में मैंने तो कभी नहीं सुनीं। इस चोरी के लिए सरकार जवाब दे सकती है कि हमने माल की बरामदगी कर ली है, लेकिन देखना यह है कि उसमें पुलिस की तरफ से कितना प्रयत्न हुआ। वह बरामदगी हुई भी तो किस तरीके से इसके बारे में मैं आपको बताऊं। वह जो चोरी हुई उसका माल चोरी से एक सुनार को बेचा और वह सुनार इतनी हैसियत का नहीं था कि सारे की कीमत चुका दे। तो इसके बाद वह एक बड़े सुनार और सर्राफ के पास पहुंचे और वह सर्राफा जिसकी चोरी हुई थी उनका रिश्तेदार था और जब माल उसके पास आया तो उसने पहचान लिया और इस तरह से यह माल पकड़ा गया। तो इस बरामदगी के लिए पुलिस यह नहीं कह सकती कि यह श्रेय उनके लिए जाता है। इस बात के अलावा एक चीज तो ऐसी हुई कि एक गैंग उच्चैन के पास गया। उसने उस गांव में, जहां कि पुलिस चौकी भी है, वहां पर गांव वालों के सारे लोगों को इकट्ठा किया, लूट की और गोलियां चलाईं और इसके बाद फिर दूसरी जगह वही आते हैं जहां सेवर का थाना था वहां उन्होंने गोलियां चलाईं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। यह सब तो वहीं हुआ जहां कि पुलिस के थाने हैं और पुलिस रहती है और दूसरी जगह ऐसी चोरियों और डकैतियों के बारे में रिपोर्ट भी दर्ज करते हैं या नहीं, पता नहीं। तो जहां थाने हैं और वहां ऐसी घटनायें हो जाती हैं तो यह इस बात को साबित करते हैं कि पुलिस का इस तरह की हरकतों में हाथ रहता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि धौलपुर में तो पहले ऐसी चीजें हुआ करती थीं लेकिन शहरों में इस तरह की चीजें नहीं होती थीं और दिन में नहीं होती थीं। अब तो वहां पर दिन में वारदातें होती हैं और शहर में भी होती हैं। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि कौनसी शांति और व्यवस्था सरकार हमारे लिए दे पाई है। अगर जोधपुर और बीकानेर के उधर के इलाके में बहुत ही अराजकता हो और वहां शांति स्थापित की हो तो वह बात अलग है। लेकिन जहां तक राजस्थान के पूर्वी इलाके का प्रश्न हैं वहां शांति कायम करना तो अलग बात है वहां तो अराजकता ही फैल रही है।

भ्रष्टाचार के बारे में भी कुछ कहा गया कि एक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। स्पेशल आई० जी० पी० आये हैं। इसकी घोषणा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली दफा ही करदी थी कि साल भर के लिए नये आई० जी० आयेंगे। उनको यहां आये आज करीब ६ महिने तो हो गए और अभी तक उनका दफ्तर भी ठीक तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है और अब वह तीन महिने बाद चले जायेंगे। सारा रुपया खर्च हो गया और हुआ क्या? इसके

Page No.84

(श्री होतीलाल)

अलावा उनको रिपोर्ट भी की जाती हैं और रिपोर्ट करने के बाद भी जैसा उनका नाम सुना था कि बहुत ही जोरदार आदमी हैं, बहुत काम करने वाले हैं। तो उनको जब किसी चीज की रिपोर्ट की जाती है तो वह जवाब दे देते हैं कि आपको जो कुछ भी करना है वह सरकार के जरिये करें। अगर किसी प्राइवेट आदमी की रिपोर्ट होती है तो शायद वह कह देते कि हम तो इन्टरफियर ही नहीं कर सकते। वह रिपोर्ट करने वाले ऐसे आदमी हैं कि जो चलते-फिरते नहीं हैं। वह एक जनता के चुने हुए नुमाइन्दे भरतपुर के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, पचासों शिकायतें स्पेशल आई० जी० को कीं लेकिन उन पर उन्होंने कुछ नहीं किया। भरतपुर की म्युनिसिपल कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट जो कि म्युनिसिपल कमेटी के खर्चों के बारे में है उसका कुछ एक्सट्रेक्ट मैं सामने रखना चाहता हूं जिसके पढ़ने से आपको यह मालूम होगा कि प्राइमाफेसी फैक्ट क्या है। कुछ कपड़े वगैरहा और कुछ सामान म्युनिसिपल कमेटी ने खरीदा और उसके बाद में उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ और उसकी जांच करने के लिये एक कमेटी अपॉइन्ट की। ऑडिट के जो रिमार्क्स हैं उनका रिलेवेन्ट पोर्शन ही मैं सदन के सामने रखूंगा :—

"The Chairman of the Special Committee, Shri Kanhaiya Lal made the enquiry at Bharatpur and also by going to Delhi for two times. He purchased some material from the shopkeeper at Delhi on lower rates. He submitted his reports on 9/2/1957 that the case should be handed over to police or Anti-Corruption Department."

इसके बाद ऑडिट की ओपीनियन है :

"In the opinion of the Committee, Rs. 1,576/- approximately were embezzled as per details(following details.)" यानी कहने का मतलब यह है कि यह तो वहां की म्युनिसिपल कमेटी का हाल है और इस तरह का एक केस नहीं है। कम से कम सैकड़ों ऑब्जेक्शन्स इस तरह के होंगे और उसकी कम्पलेन्ट भेजी गई स्पेशल आई० जी० को। उसके ऊपर कुछ करना तो दूर रहा वह कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं करना चाहते, आप सरकार के जरिये इस काम को करो। फिर हम क्या उम्मीद करें उन स्पेशल आई० जी० से और एन्टी-करप्शन बोर्ड से कि वह कुछ कर सकते हैं ?

दूसरी चीज इसी तरीके की है और उसी ऑडिट रिपोर्ट का पैरा आपके सामने रखना चाहता हूं :–

"As the employee concerned also embezzled Rs. 357/12/- and the collections made by him should be examined by the authorities concerned." यानी इस तरीके के सैकड़ों ऑब्जेकशन्स हैं जो प्राइमाफेसी यह बताते हैं कि वहां गड़बड़ियें हुई हैं। मिनिस्टर साहब के यहां भी सैकड़ों इसके बारे में दरख्वास्तें भेजी गई और इन्क्वायरी भी की और इन्क्वायरी करने के बाद न तो मिनिस्टर साहब ने ही कुछ किया और न एन्टी-करप्शन बोर्ड ने ही कुछ किया और न स्पेशल आई० जी० ने कुछ किया। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी की हालत तो वहां इतनी खराब है कि एक चिट्ठी मेरे पास एक म्युनिसिपल,

(श्री होतीलाल)

कमिश्नर की है और उसको मैं सदन की मेज पर ही रखूंगा। वह इतनी ऑब्सीन है कि उसका इस हाउस में पढ़ना बहुत ही शर्म की चीज होगी। एक इतने रेस्पोन्सीबल आदमी किस तरीके से अपनी पाशविक मनोवृत्ति का बोर्ड की मीटिंग्स में प्रदर्शन करते हैं उसकी एक कम्पलेन्ट की गई, इन्क्वायरी हुई। कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट के बारे में भी जो रिलेवेन्ट रिमार्क्स कलेक्टर साहब के हैं, वह पढ़ूंगा:—

"I am absolutely sure that the writer of this letter is devoid of all sense of decency, responsibility, good morals and gentlemenly conduct. The Government will in my opinion be correct if they serve notice on Shri Laxman Chandu's 14 of the two Municipalities Act and to remove from office of membership for disgraceful conduct. If he cannot explain his conduct, I am sure, it is not possible for him to give any satisfactory explanation of this mis conduct except denying this act, which further shows his falseness and depravity."

अगर यह रिपोर्ट लोकल सेल्फ मिनिस्ट्री को कलेक्टर ने भेजी है तो इसका भी नतीजा क्या हुआ कि कम्प्लेनेन्ट को नोटिस दिये बगैर, जिसने कम्प्लेन्ट की थी कि इस तरह की हरकतें एक जिम्मेदार कमिश्नर महोदय ने की हैं, उसको बगैर सुने ही इस कम्प्लेन्ट को रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने स्वयं ने एक दरख्वास्त इस तरीके की दी कि कम से कम कम्प्लेनेन्ट को सुन ही लिया जाय। इसके बाद अगर आप उसको खारिज करना चाहते हैं तो आपका डिसीज़न फाइनल होगा और जैसा आप करना चाहे करें। उस दरख्वास्त को दिये हुए ५ महीने हो गये हैं, लेकिन न तो कम्प्लेनेन्ट को और न मुझे ही यह इत्तिला अभी तक हुई कि इसका क्या फैसला हुआ और कम्प्लेनेन्ट के पास भी आज तक कोई इत्तिला नहीं गई। उसको बुलाकर एक दफा तो सुन लेते। जब इस तरह की सरकार की नीति है, इस तरह का ढीलापन हर चीज़ में है तो इनएफिशियेन्सी और कर्पशन को दूर करने की हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा, कर्पशन के सिलसिले में तो मैं एक दूसरा उदाहरण और आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर एक पुलिस के डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट हैं श्री नवल किशोर दूबे। वे वहाँ २ साल से हैं। वहां कोई भी एस. पी. जाता है तो वे चूंकि अपने आपको डी. आई. जी. का रिश्तेदार बताते हैं तो एस. पी. की हिम्मत पस्त हो जाती है और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनसे भी अपनी जानकारी दिखाते हैं। तो एस. पी. की हिम्मत नहीं होती है कि उन पर हाथ डाले। उनके खिलाफ कर्पशन के एलीगेशन्स इस तरीके से आये कि उन्होंने भरतपुर पुलिस लाइन्स के एक कॉन्स्टेबल को अपने घर जयपुर में रख छोड़ा है। एक साल तक कान्स्टेबल को घर रखा और तनख्वाह दी गई भरतपुर पुलिस लाइन से। इसकी एन्क्वायरी हुई। उसमें साबित हुआ और साबित होने का नतीजा क्या निकला कि एक साल का उनका इन्क्रीमेंट रोक दिया। एक सिपाही की तनख्वाह लगाई जाय तो ५०० या ६०० रु०

(श्री होतीलाल)

बैठेंगे। अगर कोई छोटा अफसर इस तरह से ५०० या ६०० रु० खर्च करता तो बरखास्त तो वह जरूर होता और इसके बाद उसके ऊपर और इस तरीके के केसेज़ चल जाते वह बात अलग थी। दूसरी ओर मैं यह कहूंगा अगर यह गबन का केस होते हुए भी उसका एक साल का इन्क्रीमेंट रोक दिया और चुप चाप बैठ गये—

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो मैं यह कहूंगा कि इस तरह की चीज़ सामने आती है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कर्पशन दूर हो सकेगा। उधर के पक्ष ने बहुत कुछ कहा कि कर्पशन को रोकने के लिए सरकार सजग है, बहुत सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं होता। आखिर इन प्रक्रियाओं पर विश्वास कैसे और कब तक करेंगे लेकिन यह किसी भी सदस्य ने नहीं कहा कि इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कर्पशन घटा या बढ़ा है। इसके ऊपर सब खामोश रहे और खामोश इसी स्थिति में रहे कि कर्पशन घटा नहीं पर बढ़ा है। यह एक ऐसा एडमिटेड फेक्ट है कि जिसको यह नहीं कहा जा सकता है कि बढ़ा नहीं है। इसलिए बढ़ने की ताईद कैसे कर दें और यह कैसे कहें कि कर्पशन हमारी सरकार के जमाने में बढ़ रहा है। यह कहते हुए भी नहीं बनता। ऐसी सूरत में सरकार को कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिएं और कुछ आदमियों की तैनाती भी देख देख कर करना चाहिए। गवर्नर के भाषण में हमने देखा कि विभागीय जांच के लिए एक कमिश्नर बना दिया। उनसे खुद से मेरा वास्ता पड़ा है, मेरे ऊपर केस चला और उन्हीं की महरबानी से और उन्हीं के यहां चला। तो मैं उनके चरित्र के बारे में कहता हूं कि गवाह आये मेरे खिलाफ पुलिस के कर्मचारियों के जैसा कि पुलिस का आम तौर से रवैया होता है कि जिस पर चाहें आरोप लगा दें और केस बनाना तो उनके बायें हाथ का खेल है। मेरे खिलाफ ही नहीं और भी ५, १० अखबार वाले हैं जिनका कि काम है दुनिया को खबरें देना और जिनसे सब डरते भी रहते हैं कि वे दुनिया भर में अखबारों के जरिये सब खबरें कर देते हैं और दुनिया को बता देते हैं, वे तो उनके ऊपर भी हाथ साफ करे बगैर नहीं मानते, उन पर केस बनाये बगैर नहीं मानते। मेरे स्वयं के खिलाफ जो केस था उसमें शहादत देने एक आदमी आया उसे विभागीय जांच कमिश्नर साहब खुली अदालत में कहते हैं कि तुमको किस ने नौकर कर दिया तुमको तो शहादत देना तक नहीं आता। एक आदमी सही बयान करता है तो उसको कहा जाता है कि तुमको शहादत देना नहीं आता और अगर वह फंसा दे तो जरूर अच्छा होता। इसलिए मैं उनके हाथ में सारे ऑफिसरों के भाग्य का फैसला देना उचित नहीं समझता।

इसके अलावा जहां तक पॉलिसी का सवाल है;

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपने टाइम का प्रतिबन्ध तो लगा दिया है लेकिन पॉलिसी के बारे में जरूर दो शब्द कहना चाहूंगा।

सरकार की जो पॉलिसी हमारे सामने आती है····

श्रीमती सभानेत्री (डा० चन्द्रकला) : माननीय सदस्य अपना भाषण दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री होतीलाल : २ मिनिट में नहीं ५ मिनिट में समाप्त कर सकूंगा।

श्रीमती सभानेत्री (डा० चन्द्रकला) : अच्छी बात है आप जारी रखें।

श्री होतीलाल : तो मैं यह कहना चाहता था कि तीन चीजें हमने इस भाषण में देखीं। एक तो यह देखी कि अनाज यानी एग्रीकलचर प्रोड्यूस की कीमतें गिरी हैं। दूसरी चीज है सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है और तीसरी चीज है जिसका जिक्र इस साल भर के अन्दर ३–४ दफा आया कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड के इलेक्शन्स पोस्ट-पोन किये गये हैं और इस दफा भी उन्हें कैन्सिल सा ही समझा जाय, क्योंकि पोस्ट पोन होने के साथ साथ जो र्युमर थी वह इस तरह की थी कि वह चीज़ रहेगी ही नहीं। मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ रही है उस पर विचार किया जायगा और डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल्स या जो कुछ भी फार्म होगा वह बनेगीं।

इन तीनों चीजों के बारे में मैं जो कुछ समझा हूं वह यह है कि कांग्रेसी किसानों की बात करते हैं लेकिन किसानों के मायने में मैं यह जरूर समझा हूं कि सरकार रूरल एरिया को पॉवर दिये जाने में घबराती है और उनकी इकोनॉमिक कन्डीशन्स धीरे धीरे खराब करना चाहते है। आज अनाज के भाव गिर गये हैं, लेकिन कपड़े के भाव नहीं गिराये गये। वह कपड़ा खरीदे तो इधर उसका ज्यादा पैसा दे और उसकी प्रोड्यूस पर कम पैसा मिलना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति गिरती चली जायगी और आज का जो सिस्टम है प्रजातन्त्रवाद का है, इसलिए आगे वे ग्रामीण–क्षेत्रों के रहने वाले आदमी किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते।

दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को केन्सिल करने या पोस्टपोन करने का जो सवाल है, यह भी उसी तरह का है, उसी पॉलिसी के प्रतिपादन का दूसरा कदम है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनते हैं और ग्रामीण लोगों में आपस में कॉन्टेक्ट बनता है तो उनमें कुछ राजनैतिक चेतना आती है। इसका नतीजा यह होता है कि जिस तरह के लोगों के हाथ में हुकूमत है, उनके हाथ में हुकूमत जाने का खतरा हो सकता है।

तीसरी चीज़ देखी है सीलिंग की। सीलिंग्स के बारे में यह जरूर हो सकता है कि राजस्थान के और हिस्सों में बहुत ज्यादा बड़े होल्डिंग्ज़ हों। इतने बड़े होल्डिंग्ज़ हों कि वहां पर सीलिंग्स फायदा कर सकें लेकिन जहां तक मैंने अपनी तरफ का इलाका देखा है, वहां पर जो होल्डिंग्ज़ हैं, मैं समझता हूं उन होल्डिंग्स के हिसाब से succession itself is a celling for them; इतने छोटे छोटे होल्डिंग्ज़ रह गये हैं।

इतनी छोटी होल्डिंग रह गई है घटते घटते कि यदि उनको और भी छोटा करने का इरादा है तो वह भी वही चीज होगी जो वहां के गांवों की आर्थिक स्थिति को और भी खराब करदे। जैसा मैंने कहा पोलिटिकली और आर्थिक दृष्टि से उनको नुकसान होगा वह तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आगे चल कर क्या चीज़ होगी कि आज के राजनीतिज्ञ जमीन और जमीन वालों से खेलेंगे और आगे चल कर यह कहेंगे कि होल्डिंग्ज़ बहुत छोटी हो गई हैं, कि वह अनइकोनोमिकल हैं इसलिये उसकी मालिक

(श्री होतीलाल)

सरकार बनती है। इसलिये मैं कहता हूं कि ग्रामीणों की प्रोपर्टी को तो सरकार अपनी ओर खींचती है लेकिन बड़ी बड़ी आमदनी वालों पर कोई सीलिंग नहीं हुआ है, केपिटेलिस्टों पर कोई सीलिंग नहीं हुआ है। यदि उन पर सीलिंग हुआ तो सबको बड़ा गहरा फायदा होगा।

श्रीमती सभानेत्री (डा० चन्द्रकला) : माननीय सदस्य श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : सभानेत्री महोदया, गत तीन दिनों के वाद-विवाद के बाद जो महत्वपूर्ण बातें सदन के सम्मुख आई हैं, मैं समझता हूं उनमें से एक बात में हम लोग करीब करीब सभी सहमत हैं और वह यह कि जो भ्रष्टाचार हमारे यहां प्रान्त में फैला हुआ है उसे रोका जाना चाहिये। यह दूसरी बात है कि कुछ लोग केवल यह कह कर ही संतोष कर लें कि भ्रष्टाचार हमारे यहां अधिक है। मेरे विचार से लेकिन यही पर्याप्त नहीं है, जहां तक उसके उन्मूलन के लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं सुझाया जाता, मैं समझता हूं भ्रष्टाचार की बात करने से और भाषण देने से कोई फायदा नहीं होगा। आज गवर्नरमहोदय के भाषण में जो कुछ हम देखते हैं उससे यह ज्ञात होता है कि बहुत ऊपर के लेवल पर एक बोर्ड बना दिया गया है और उसके जरिये भ्रष्टाचार को मिटाने की बात सोची जाती है। मेरे विचार से इस तरह का कोई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सफल नहीं हो सकता क्योंकि एक मात्र बोर्ड से यह अभियान पूरा नहीं होगा। गांवों के स्तर पर भी भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा कायम किया जाना चाहिये। उसी तरह तहसील और जिला स्तर पर भी मोर्चा बनना चाहिये। क्योंकि आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार रोकने के शिकार होते हैं वे इतने कमजोर होते हैं कि उनसे इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसे सत्ता सम्पन्न अधिकारी के विरुद्ध खुल कर शिकायत कर सकें। अतः मेरा सुझाव है कि तहसील और जिला स्तर पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और समाज सेवी व्यक्तियों को सम्मिलित कर यदि हम समितियां बनाते हैं और सरकार उनको मान्यता देती है तो हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में सफल होंगे। सार्वजनिक कार्य कर्त्ता और समाज सेवी व्यक्ति न तो पुलिस से घबराते हैं और न राज्य कर्मचारियों से घबराते हैं, बल्कि वे इस तरह की समितियों के जरिये सरकार के पास या ऊपर का जो बोर्ड गठित हुआ है उसके सामने शिकायत रखने में सफल होंगे और इस प्रकार, मैं समझता हूं, हमारे देश में भ्रष्टाचार से, जो भयंकर राष्ट्रीय कलंक है, हम मोर्चा ले सकते हैं और अपने अभियान में सफल हो सकते हैं।

इसके अलावा एक और बात विचारणीय है। वह यह है कि हमारे देश में कई स्थानों पर चरित्र निर्माण के आन्दोलन चल रहे हैं। उसी प्रकार हमारे प्रान्त में भी इस बात की आवश्यकता है कि हम इस प्रकार का वातावरण बनावें कि जिसके जरिये हमारे मानव चरित्र और मानव जाति के सामूहिक चरित्र की अवनति को रोकने का प्रयत्न करें और राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान में सक्रिय सहयोग दे सकें। स्कूलों जैसे सार्वजनिक स्थानों में प्रचार प्रयोग के द्वारा हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में यदि कोई सूक्ष्म कदम उठाना आवश्यक समझते हैं तो उठाना

(श्री मनोहर कोठारी)

चाहिये, यह आवश्यक बात है । समाज शिक्षण भी इस दिशा में महत्वपूर्ण साधन हो सकता है ।

पुलिस के संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के जरिये यह बात बताई गई है कि लोगों में अपेक्षाकृत शान्ति और सुरक्षा की भावना पैदा हुई है और राजस्थान में शान्ति प्रशस्त हुई है । मैं समझता हूं हम इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे राजस्थान में इन वर्षों में जितना आतंक पहले था वह कम हुआ है । मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में एक डाकू का बड़ा आतंक रहा । हमारे यहां सामुदायिक विकास क्षेत्र की स्थापना हुई । आधे क्षेत्र में ही सामुदायिक विकास का काम चल सकता था क्योंकि शेष आधे क्षेत्र में उस दुर्दान्त डाकू का राज्य जमा हुआ था । वहां पर हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते थे और जो पटवारी गांवों में नियुक्त थे वे अपने हलके में नहीं ठहर सकते थे । आपने खाखारमाल का नाम सुना होगा । वह बीहड़ प्रान्त है । वहां पर रणजीता और मेवला जैसे नाम के डाकुओं ने, जिन्होंने अरावली पर्वत माला पर अधिकार जमा रखा था, अपनी क्रिया स्थली बनाई । लेकिन आखिर में जनता के सहयोग से उन डाकुओं का सफाया हुआ और आज डेढ़ साल से उस बीहड़ क्षेत्र में, जहां पहले पहुंचने का साधन नहीं था, वहां आज आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां पर किस प्रकार का विकास हुआ है । मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जो लोग हमारे यहां डाकुओं के आतंक से दबे हुए थे उन लोगों के श्रम के कारण उनके गांवों में अपेक्षाकृत अधिक विकास का कार्य हुआ है । हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि डाकुओं का आतंक पहले से अपेक्षाकृत कम हुआ है । लेकिन मैं एक बात निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि जिन क्षेत्रों में डाकुओं को पकड़ने के सिलसिले में पुलिस का आवागमन रहा है और उस समय जनता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ करता था वही व्यवहार आज भी उनके साथ होता है, इस संबन्ध में पुलिस अधिकारियों को रोका जाना चाहिये । क्योंकि डाकुओं का आंतक समाप्त हो गया है इसलिये पुलिस को भी लोगों के साथ जोर जबर्दस्ती करने की आदत छोड़ देनी चाहिये ।

जागीर उन्मूलन के कारण बहुत बड़ी राहत का कार्य हमारे प्रान्त में शुरू हुआ है । अभी हमने कुछ समय पूर्व प्रकट या परोक्ष में, इस बात का उल्लेख किया था कि देवस्थान के नाम पर महन्तों के पास जो ठिकाने जागीरों के रूप में हैं उनको मिटाने का प्रयत्न किया जायगा । जैसी जागीरों को समाप्त करने के लिये कानून भी हमने बनाया और उस कानून पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र जिनका चार्ज सरकार शीघ्र लेने वाली है, उन क्षेत्रों की ऐसी बिल नाम जमीन जो जब्त की जाने वाली है, वह जमीन आज बेची जा रही है । इससे भविष्य में सरकार को नुकसान होगा । यदि माफीदार स्वयं ऐसी जमीन बेचे तो समझ में आ सकता है कि स्वार्थ के कारण वे ऐसा कर रहे हैं । लेकिन जब देवस्थान, जिनके अन्तर्गत जागीर हैं, वे अनियमित भूमि बेचने लगें तब तो आश्चर्य आवश्य होता है । कहना न होगा कि जिस प्रकार हिन्दुस्तान में गोवा का प्रशासन

(श्री मनोहर कोठारी)

कोढ़ रूप में हैं उसी तरह ये जागीरें देवस्थान के आधीन गोवा की तरह है। उनके यहां राजस्थान के कानून नहीं चलते, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं देवस्थान मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इसके लिये कदम उठावें। आज उन किसानों को कि जिनके पास जमीन नहीं है, वर्तमान पद्धति से जमीन नहीं मिल पाती। रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत किसानों को जो जमीन मिलनी चाहिये वह देवस्थान की जागीरों में रहने वाले किसानों को भी मिलनी चाहिये तथा यह उनका अधिकार भी है।

इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि ऐसी जागीरों में रहने वाले लोगों की आज बड़ी ही निराशाजनक स्थिति है और उन पर काफी जोर ज्यादतियां होती हैं। धर्म के नाम पर और देवताओं के नाम पर मंदिरों में जो पुजापा भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है उसका मूर्ति और मंदिरों के लिये कोई उपयोग नहीं होता बल्कि वह पुजारी अपने घर ले जाते हैं। देवस्थान–विभाग की किताब में उनका कोई इन्द्राज नहीं होता। जो पुजापा चढ़ाया जाता है चाहे वह आभूषण के रूप में हो या नकदी के रूप में वह पुजारियों की संपत्ति हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह ऐसी चीज है जिसके बारे में विस्तार से सोचना चाहिए। इस सम्बन्ध में आज तक विचार नहीं किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हमारे राजस्थान में हैं, जिनकी रक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि चेरीटेबल एन्डॉव्मेंट जैसा बिल बनाया जाय। जैसा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसा महत्वपूर्ण बिल, जिसका मैंने निर्देश किया है, इस सदन के सामने आना चाहिये जिससे सार्वजनिक स्थानों में, जो किसी की बापोती नहीं और जिसमें सार्वजनिक का उपयोग होता है, ऐसे स्थानों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इस आशय का बिल इस सदन के सामने आना चाहिए।

(तालियां)

इससे सार्वजनिक सम्पत्ति का ह्रास रोकने में मदद मिलेगी।

४.१ म. प.

जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सड़क बनाने के सम्बन्ध में इंगित मिलता है कि ७०० मील लम्बी नई सड़कें बन सकेंगी। जहां श्रमदान के जरिये, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिये सड़के बनी हैं उनकी मरम्मत करने वाला आज कोई नहीं, वे ऊबड़ खाबड़ हालत में पड़ी हुई हैं। उनको मेन्टेन करने वाला कोई नहीं है। पंचायतें उनकी रक्षा नहीं कर सकतीं, पी. डब्ल्यू. डी. उनको अपने अधिकार में नहीं लेता और न ही उसे स्वीकार है, आखिर मैं नहीं समझता कि इन सड़कों पर जो पैसा और श्रम व्यय किया गया है उनकी क्या दशा होगी? जो सड़कें श्रमदान से और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई हैं, वे काफी अच्छी हैं, किन्तु आज प्रश्न यह है कि उनकी निगरानी कौन करे? इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ सरकार को अविलम्ब विचार करना चाहिये।

एक बात और मैं डेवलपमेंट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि कई स्थानों पर, जिस वर्ष डेवलमेंट का कार्य शुरू हुआ, सामुदायिक विकास योजना

(श्री मनोहर कोठारी)

के अधीन कई बड़ी-बड़ी विकास योजनायें शुरू कीं। उस वक्त कोई सीमा नहीं थी कि इर्रिगेशन का काम १० हजार से ज्यादा शुरू नहीं किया जा सकता। यह सीमा उस समय इर्रिगेशन प्रोजेक्ट के लिए नहीं थी। उस वक्त बड़े बड़े काम हाथ में ले लिये गये। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समय बाद एक नया नोटीफिकेशन निकला कि १० हजार से ज्यादा के प्रोजेक्ट, इर्रिगेशन प्रोजेक्ट, एग्रीकलचर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ब्लॉक के द्वारा शुरू नहीं किये जा सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनका काम शुरू होते समय ऐसी सीमा होती, तो उनका काम उस समय शुरु नहीं किया जाता किन्तु जब उनको शुरू कर दिया गया है तो आज नये नोटीफिकेशन के अनुसार उनका काम दुबारा शुरू नहीं होता है तो उनकी क्या स्थिति होगी और जो श्रम व धन व्यय हुआ है उसका क्या होगा? मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र की बात कहता हूं। वहां पर आठ बड़े तालाबों की शुरुआत की और वे तालाब आज इस हालत में हैं कि अगर थोड़ा पैसा और लगाया जा सके तो वे तालाब इर्रिगेशन के अच्छे प्रोजेक्ट के रूप में काम में आ सकते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि वह सामुदायिक विकास खंड नॉरमलाइज़ेशन की स्थिति में आ गया है। इस कारण जो तालाब अधूरे हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस नोटीफिकेशन के सम्बन्ध में सरकार को चाहिए कि पहले जो प्रोजेक्ट या तालाब का काम शुरू कर दिया गया था, उन तालाबों और प्रोजेक्ट के ऊपर यह नोटीफिकेशन असर नहीं करे, ऐसी स्थिति पैदा की जानी चाहिए।

एक बात जो मुझे इस अभिभाषण में बड़े ताज्जुब की लगी, वह यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ट्रान्सपोर्ट आदि के राष्ट्रीयकरण का कहीं भी संकेत नहीं है। मैं आपकी सूचना के लिए बताये देता हूँ कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो डूंगरपुर और टोंक जैसी छोटी रियासतों में मोटरों का, यातायात के साधनों का, परिवहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण था, वे बसें नुकसान में चलाई, ऐसा सुना जाता है। लेकिन यह बात कुछ समझ में नहीं आती क्यों कि आज टोंक से जयपुर तक ६० बसें प्राइवेट आपरेटर चलाते हैं, वे नुकसान में बस नहीं चलाते। इसी तरह डूंगरपुर में जो बसें थीं, वह सरकार चलाती थी। उसके बजाय वहां पर प्राइवेट आपरेटर्स को पर्मिट्स दे दिये गये हैं। यह समझ में नहीं आता। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर कई महत्वपूर्ण खाने हैं। उनमें से खास तौर पर पन्ने की खान हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आज मैसूर में आप देखते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड को बावजूद इसके कि भारत सरकार नहीं चाहती थी, स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनेलाइज़ कर दिया। उससे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बडा लाभ हुआ है। मैं समझता हूं यह हमारे लिए मार्ग दर्शन है इस दिशा में कि हमारे यहां जो पन्ने की खाने हैं, वह बहुत बहुमूल्य खानें हैं, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और अगर राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो इससे एक ओर जहां श्रमिकों की समस्या हल होगी वहां दूसरी तरफ सरकार को भी लाभ होना चाहिए।

(घंटी)

चिकित्सा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल ने जो विचार

(श्री मनोहर कोठारी)

व्यक्त किये हैं, उनमें संतोष व्यक्त किया गया है, लेकिन एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ और वह यह है कि आज हमारे इस राजस्थान प्रान्त के एक बहुत बड़े हिस्से में एक बीमारी विशेष तौर से है, जो हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में नहीं है। उसे हम बाला या नेहरू कहते हैं। यह बीमारी हमारे प्रान्त के एक बहुत बड़े हिस्से में, पहाड़ी इलाके में फैली हुई है जिससे कई लोग बेकार हो जाते हैं, उनके हाथ-पांव सड़ जाते हैं। यह बीमारी, उस इलाके में, १०० घरों में से ८० घरों में पाई जाती है। इस सम्बन्ध में समय समय पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है लेकिन समझ में नहीं आता, इस बीमारी को उन्मूलन करने की दृष्टि से कदम क्यों नहीं उठाया जाता ? मुझे मालूम है कि एक डाक्टर ने इस बीमारी के उन्मूलन के लिये कोई सुझाव राज्य सरकार के सामने रखा। उसे यह कह कर कि तुम इस तरह की बात कहते हो, दूसरी जगह भेज दिया गया। वे जयपुर में थे उन्हें किसी और जगह भेज दिया गया है। मैं नहीं समझ पाता कि आखिर यह बीमारी जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में चलती है, उसकी रोक थाम के लिए कदम क्यों नहीं उठाया जाता। मलेरिया के लिए कहा जाता है कि मलेरिया के उन्मूलन के लिये मलेरिया का उन्मूलन करने की दृष्टि से जोरदार कदम उठाये जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मलेरिया की गाड़ियां कुछ लोगों को लेकर इधर से उधर दौड़ती हुई मिलती हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए उन गाड़ियों का उपभोग किया गया हो, यह दिखाई नहीं देगा। इसके लिए सरकार को रोक थाम करनी चाहिए कि जो साधन जिस उपयोग के लिए निश्चित हैं उनका उसी काम के लिए उपयोग किया जाय। मलेरिया की गाड़ियों का मलेरिया की रोक थाम के लिए उपयोग किया जाय। मैं ऐसे स्थान का रहने वाला हूं जहां पर अक्सर मलेरिया की गाड़ियां दौड़ा करती हैं। वे किसी विशेष व्यक्ति को लेकर वहां मन्दिर के दर्शन कराने के लिए पहुंच जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी साधनों का उपयोग या दुरुपयोग जो इस प्रकार होता है, उसको रोकने की आवश्यकता है।

(घंटी)

मैं दो मिनट के लिए और समय चाहता हूं, अब मैं अपने भाषण को कन्कल्यूड कर रहा हूं।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लघु आय वालों के लिए इस अभिभाषण में एक संकेत मिलता है कि उनके मकानों के लिए सरकार ने काफी राशि व्यय की है। मैं जानता हूं कि बड़े बड़े शहरों तक ही उक्त धन राशि का व्यय सीमित है। छोटे कस्बों के लघु आय वालों को इसका फायदा नहीं मिला है। उनको इस साधन का, जो सरकार देना चाहती है, फायदा नहीं मिलता। इस दृष्टि से जिन व्यक्तियों की कम आय है, उनको सुविधा देनी चाहिए, वे लोग उस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाये हैं। छोटे छोटे गांवों में भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस सुविधा का वे अधिकाधिक उपयोग कर सकें।

अभिभाषण में पंचायतों और तहसीलों के पुनर्गठन का उल्लेख न देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं आपको बताऊं कि कई प्रदेशों में हमारे सामने ऐसी अनेक पंचायतें हैं, जिनमें तीन

(श्री मनोहर कोठारी)

तीन तहसीलों के गांव मिले हुए हैं। यह पता नहीं लगता कि तहसील पंचायत कौन सी है जो कि ऐसी पंचायतों की अपील सुने। यह बड़ी बिडम्बना की बात है कि इतना समय हो गया, बड़े समय से राज्य सरकार के पास प्रस्ताव पड़ा हुआ है कि तहसील व पंचायतों का इस तरह से पुनर्गठन किया जाना चाहिए कि जिससे वहां के लोगों को राहत मिले।

एक और बड़े ताज्जुब की बात है कि बाबा आदम के जमाने से चली आने वाली शासन व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि जहां पुलिस का थाना है, वहां से एक मील दूर किसी गांव में कोई झगड़ा होता है या चोरी होती है, तो उसकी रिपोर्ट उक्त थाने में दर्ज नहीं की जाती, लोगों को राहत नहीं पहुंचाई जाती। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि देवगढ़ के पास चारणिया एक छोटा सा गांव है, उस गांव में चोरी हो जाती है, तो देवगढ़ का थाना जो एक मील दूर है, उसकी इन्क्वायरी नहीं कर सकता, उन लोगों को राहत नहीं दे सकता और उन लोगों को २० मील की दूरी पर रायपुर के थाने में राहत लेनी पड़ेगी। इसी तरह बरार····

(घण्टी)

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्रीमती सभानेत्री : आप लोग सब बैठ जायं, क्योंकि मैं खड़ी हूं।

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि समय निर्धारण का ख्याल करके ज्यादा बोलने के प्रलोभन को रोके तथा अन्य सदस्यों को भी समय दें। आप कृपा कर ख्याल रखें और समय से ज्यादा बोलने का प्रयत्न न करें।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपना भाषण कन्क्लूड कर रहा था, एक सेन्टेन्स और बोलना रह गया था।

श्रीमती सभानेत्री : आप बैठ जाइये।

(विराम)

माननीय शिवसिंह जी।

(विराम)

माननीय सदस्य शिवचरणदासजी।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : माननीय सभानेत्री महोदय, आज तीन दिन से राज्यपाल महोदय के भाषण पर चल रहे वाद-विवाद से यह तो स्पष्ट है कि यह सदन उनके भाषण से सन्तुष्ट नहीं है। इस संबंध में मैं भी अपने विचार प्रकट करता हूं वह यह कि सबसे पहले उन्होंने यह कहा है कि शान्ति और सुव्यवस्था विकास के लिये परम आवश्यक है। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं किन्तु उन्होंने आगे जाकर यह कहा है कि मैं इस पर संक्षेप में प्रकाश डालता हूं। उन बातों पर हम सोचते हैं तो वास्तव में शान्ति और सुव्यवस्था ही मूल आधार क्यों है, इस पर विचारते हैं तो मैं समझता हूं आज के नागरिक का सबसे पहला मूल आधार उसकी रोटी और रोजी है। मुझे दुःख है सभानेत्री जी, कि आज हमारी सरकार इस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है और कहीं ध्यान देती भी है तो शहरों में और पूंजीपतियों की तरफ ध्यान देती है। मैंने गत साल के प्रारम्भिक सेशन में भी संकेत किया था कि आज बताया यह जाता है कि देश में हमारे आधार भूत किसान हैं, पर किसानों की दयनीय दशा की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, आज

Page No.94

(श्री शिवचरण दास)

से दस वर्ष पूर्व गरीब किसानों की जो हालत थी आज भी देहातों में किसानों की वही हालत है । मैं आप से निवेदन करूं सभानेत्री जी, अपने क्षेत्र रायपुर तहसील के बारे में । सरकार इससे इन्कार नहीं कर सकती कि रायपुर तहसील राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई तहसील है, वहां अन्न का अभाव तो है ही पर वहां पानी की यह दशा है कि यदि एक आदमी सुबह ८ बजे से पहले पानी भर ले तो ठीक है नहीं तो ठीक २४ घंटे से पानी मिल सकता है । मैंने रायपुर तहसील का दौरा किया, मोरणिया, पीथा का खेड़ा इत्यादि गांवों की हालत देखते हुए मुझे बड़ा दुःख हुआ । इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि उनकी काफी दरख्वास्तें होने पर भी वहां के तहसीलदार ने किसी प्रकार की भी रिपोर्ट करके सरकार का ध्यान उस ओर नहीं दिलाया कि वहां कार्य शुरू करना चाहिये ।

श्रीमती सभानेत्री (डा० चन्द्रकला) : माननीय सदस्य आपस में वार्तालाप न करें ।

श्री शिवचरणदास : तो उधर तो गरीब काश्तकारों की आज से १० वर्ष पहले जो हालत थी वही हालत आज भी है और इधर राजस्थान सरकार टैक्सों की भरमार कर के उन पर और ज्यादा भार डालती है । राजस्थान सरकार जो भी टैक्स लगाये उनका सीधा असर काश्तकारों पर पड़ता है तो इन टेक्सों के भार से और गरीबी से उन किसानों की बड़ी सोचनीय हालत हैं और फिर हम यह मानें कि किसान हमारा मूल आधार है । मुझे तो इसमें पूरा सन्देह है कि किसानों को इस दशा में रख कर हम किसी भी प्रकार की प्रगति कर सकेंगे या किसी भी प्रकार का विकास कर सकेंगे । दूसरे चाहे कितने ही वाद रखें, इज़्म की दुहाई दें, तब तक हम कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम काश्तकारों की हालत नहीं सुधार सकेंगे ।

५ साल पहले पानी की कमी की वजह से लोगों की आवाजें हुई, मुख्य मंत्री ने दौरा किया, उनके सामने प्रार्थनाएं रखीं, आज छटा, सातवां साल है कोई सुनवाई नहीं हुई । एक गांव या एक थोड़ा सा हिस्सा नहीं पर पूरी तहसील में पानी की कमी है । पानी के लिये आज भी लोग लालयित हैं । इसलिये मैंने खुद ने इस विषय में काफी प्रयत्न किये हैं, इर्रिगेशन में लिखा है, इर्रिगेशन इन्जीनियर को मौके पर भेजा, उन्होंने वहां का नक्शा बनाया, वहां की रिपोर्ट पेश की पर मुझे मालूम हुआ है सैंटर से किसी एतराज के साथ वापिस भेज दिया है । आज ६ सात साल के बाद मौके पर तीन तीन बार जांच होने के बावजूद भी कागजों में कमी रहती है, इसमें रहस्य है । लोगों में प्रोपेगेन्डा, प्रचार किया जाता है कि पिछले ५ साल में हिन्दू महासभा का उम्मीदवार वहां से विजयी हुआ था और अब राम-राज्य-परिषद् का उम्मीदवार विजयी हुआ है, इसलिये वहां कुछ नहीं किया जाता । सरकार की यह धारणा हो सकती है, अगर हम उनके रुख को चीज को देखते हैं तो विश्वास किया जा सकता है कि वास्तव में यह सही है क्योंकि किसी के पास जहां आवश्यकता नहीं है, जहां काफी तादाद में पानी है वहां बड़े बड़े बांध बंध रहे हैं । चाहे वहां बांध के भरने के लिये पर्याप्त पानी की आय नहीं हो पर वहां दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका सीधा सम्बन्ध सरकार से है और उनकी सिफारिश पर सरकार का कितना पैसा व्यय कर

(श्री शिवचरणदास)

दिया गया है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर वह बांध उस तहसील में बांध दिया जाता जहां पानी की आय है तो सारी तहसील को पानी सप्लाई हो सकता था। आवाज उठाते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मेजा बांध बंधा हुआ है, अगर यह बांध बांध देते हैं तो उसकी पूर्ति नहीं होती।

मैं निवेदन करूंगा सभानेत्रीजी, कि आज के प्रजातन्त्र के युग में एक भूखा प्यासा बैठा है और दूसरी तरफ पूंजीपति लोग और जहां पानी की इफरात है वे लोग ऐशो-आराम में मस्त रहें, उससे भी अधिक अपने लिये और सुख सुविधाएं प्राप्त करते रहें, यह प्रजातन्त्र का उसूल नहीं कहा जा सकता।

आप सुव्यवस्था और शान्ति की बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि एक भूखा और गरीब आदमी इस तरह की कठिनाइयों को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा और उसे उन परिस्थितियों में रख कर सुरक्षा और शान्ति की आशा हम कर सकते हैं, मुझे तो यह बड़ा विचित्र लगता है। ७ साल बाद अभी मैंने वहां का दौरा किया तो लोगों की धारणा थी कि सरकार नहीं सुनती है तो हमें जबरदस्ती लगान बन्दी की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। मैंने उन लोगों को रोका है, उन्हें संतोष दिया है। सरकार के पास भी वह प्रार्थना आई होगी, जब तक हम उनकी मांग को पूरा नहीं करते तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता।

आगे बताया गया है कि अपराधों में कमी और जांच पड़ताल में सुधार पुलिस में हुआ है। उसका थोड़ा सा नमूना मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे क्षेत्र में एक गांव है गंगापुर, बड़ा कस्बा है, सन् ५७ की बात है। वहां पानी की कमी है। पानी की कमी को लेकर ढूंढिया नाम का जो तालाब है उसको भरा रखने के लिए स्थानीय जनता की ओर से, चूंकि उस पर नगरपालिका का ताल्लुक है, यह वहां निवेदन किया गया कि यह तालाब सदैव से भरा रहता है, लेकिन उस साल वहां झगड़ा पैदा हो गया; उसमें एक राजनैतिक रहस्य है। जब गत साल यहां सेशन चल रहा था इस सम्बन्ध में उस चीज को लेकर वहां ५-६ आदमियों ने भूख हड़ताल की इसलिए कि कुछ ही लोग चाहते थे कि इसको आबपाशी के काम में लिया जाय लेकिन जनता की यह मांग थी कि इससे आबपाशी करना है तो इसको बड़ा बना कर कहीं से इसमें पानी की आय लाकर काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे गुजर के लिए पानी के और साधन नहीं हैं यदि इसको आप निकाल देंगे तो हमारा निर्वाह नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी हुआ उसके विपरीत। इसके लिए बहुत बड़ा झगड़ा पैदा हो गया। आगे जाकर उसमें नगरपालिका की ओर से स्टे ऑर्डर हुए, उस काम को रोका गया। उसमें कुछ काम कराने के लिए १हजार रुपया अनाधिकार चेष्टा से कुछ लोग ले आये। उसके लिये फिर जनता ने दरख्वास्तें दीं और उस पर कुछ लोगों ने ४०६ का खयानत का मुकदमा दर्ज करवाया। इसकी एक विचित्र कहानी है। वहां पर कुछ सीढ़ियां बनने को थीं। १० सीढ़ियां बनाने के लिए एस्टीमेट्स तैयार किये और दो हजार के एस्टीमेट्स तय हुए लेकिन उसमें से एक हजार रुपये का स्थानीय जनता का श्रमदान था। एक हजार रुपया सरकार ने दिया। जब ठेका दिया गया तो १० सीढ़ियां बनाने के लिए एक ठेकेदार

Page No.96

(श्री शिवचरणदास)

ने ७५०) में ठेका लिया, लेकिन उसको ठेका न देकर कुछ लोगों ने अपने अख्तियारात से ही काम कराया और दो हजार रुपया ले लिया। १० सीढ़ी का हिसाब पेश कर दिया, दो हजार के खर्चे का हिसाब बना दिया जबकि वहां पर पांच सीढ़ियां ही बनी थीं। ७५०) रुपये में दस सीढ़ियों की जिस ठेकेदार ने दरख्वास्त पेश की थी उसको न देकर दो हजार रुपया इस काम में ले लिया। स्थानीय जनता ने जब मांग की कि जब तक इसकी जांच न हो जाय तब तक आगे काम न कराया जावे। एस० पी० और मजिस्ट्रेट को जब मौके पर भेजा गया तो सरकार नहीं चाहती थी कि इस हिसाब की जांच कराई

(घण्टी)

जाय और समय बढ़ा दिया जाय ताकि जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें हैं वे साबित नहीं कर पायें क्योंकि इस सम्बन्ध में जनता का एक ठोस कदम था। मैं स्वयम् मिनिस्टर साहब के पास गया, उन्होंने स्टे ऑर्डर तो कर दिया लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसको उठा कर एक वापिस झगड़ा करा दिया। जो पुलिस के अन्दर केस था उसको एक साल होने आया है, छोटा सा मामला है, ४०६ खयानात का मामला है उसको पुलिस की ओर से तकमील नहीं किया गया। जब उनसे उस सम्बन्ध में पूछते हैं तो कहते हैं कि इन्जीनियर साहब को मौके पर बुला रहे हैं। कभी कहते हैं कि इन्जीनियर साहब नहीं आये, एस्टीमेट्स बना रहे हैं। मैंने प्रश्न किया कि जो ठेकेदार ७५०) में बनाने के तैयार था तो फिर इन्जीनियर से एस्टीमेट्स मांगने का क्या सवाल रहता है। तो कहते हैं कि जल्दी कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा मुझे संकेत में यह बताया गया है कि काम क्या करें, इस मामले में कितना ही पूछ लें लेकिन हम नहीं समझते कि कोई असलियत निकाल सकेंगे।

(घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री (डा० चन्द्रकला) : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री शिवचरणदास : थोड़ा सा और निवेदन करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : दूसरे साथियों को भी मौका दें।

श्री शिवचरणदास : इसको समाप्त कर लूं इसलिए थोड़ा सा समय और दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : पीछे के लोगों का ख्याल रखें।

श्री शिवचरणदास : कल का और सारा दिन है। मुझे थोड़ा सा और मौका दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : बोलने वाले काफी हैं। अब आप समाप्त करें।

श्री शिवचरणदास : थोड़ा सा समय और दे दें।

श्रीमती सभानेत्री : अच्छा एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री शिवचरणदास : अच्छा साहब, दो मिनिट में समाप्त कर देता हूं।

(हंसी)

आज शान्ति और व्यवस्था का जो ढिंढोरा पीटा जाता है उसका यह हाल है। उस गांव में नगरपालिका के चुनाव हुए,

Page No.97

(श्री शिवचरणदास)

कुछ सदस्यों ने शपथ नहीं ली थी लेकिन फिर भी उनको अधिकार दे दिया गया। वहां पर ४०६ का खयानात केस चल रहा था, कानूनन अधिकार नहीं था लेकिन उनको अधिकार करना था, कर लिया, जो कि अनुचित था। जब उस नगरपालिका पर उनका कब्जा हो गया तो इस सिलसिले में डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ को प्रार्थना की गई कि जो स्टे ऑर्डर हो गया था उसमें हस्तक्षेप न किया जाय। अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध किया था, उसकी रिट पिटिशन हाईकोर्ट में दायर थी। इतना विरोध होते हुए भी इसी दस फरवरी की तारीख पेशी होते हुए भी जनवरी में ही यह ऑर्डर पहुंचता है कि उस अविश्वास के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। तो मेरा निवेदन है कि यह शान्ति किस तरह से हो सकती है कि राज्य सरकार इस प्रकार इसके अन्दर भी हस्तक्षेप करती है और इस प्रकार के अनुचित आदेश पहुंचाती रहे और इतना समय हो जाने के पश्चात् भी सही निर्णय लोगों को न दिया जाय ? अत: मैं निवेदन करूं कि....

(घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री : सदस्य महोदय समाप्त करें।

श्री शिवचरणदास : इसको पूरा कर दूं।

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : जब मैं खड़ी हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि सदस्य महोदय अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं।

श्री शिवचरण दास : इसी को पूरा कर दूं।

श्रीमती सभानेत्री : यह उचित नहीं होगा। सदस्य महोदय इसको समाप्त समझें। माननीय सदस्य, श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमती सभानेत्री जी....

श्री चन्दनमल वैद : आप सभानेत्री जी नहीं हैं।

श्रीमती सभानेत्री : सभानेत्रीजी नहीं कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमती चेयरमेन ,....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया कहिये।

श्रीमती सभानेत्री : सभापति नहीं अध्यक्ष कहिये।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल : अध्यक्ष नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : चेयरमेन साहिबा कहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जैसे भी चाहें सम्बोधन करें। जितने नाम से सम्बोधन करना था आप कर चुके।

सवाल यह था कि राज्यपाल ने १६ पृष्ठों में परिष्कृत और परिमार्जित हिन्दी भाषा में पंजाबी उच्चारण में भाषण दिया। उस समय भाषण दिया जब कि दुनिया चन्द्रलोक में पहुंचना चाहती है, उस समय भाषण दिया जब कि रोकेट अपना काम कर रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से चल रही है और उस तेजी और रफ्तार के साथ साथ उस भाषण

(श्री मूलचन्द डागा)

की भी तुलना करनी होगी। चूंकि जमाने के साथ में चलना है इसीलिए तो हमारे माननीय सदस्य जो देश भक्ति से ओतप्रोत हैं, जिनके शरीर का रोम रोम राजस्थान को समृद्धिशाली और शक्तिशाली देखना चाहता है; वे सदस्य इस भाषण को कल्पना की उड़ान के साथ देखना चाहते हैं और राजस्थान के युवक यह चाहते हैं कि देश समृद्धिशाली बने, लहलहाता बने, यहां पर अन्धेरा नहीं रहे । इस प्रकार जो युवकों की कल्पना है और माननीय सदस्यों की जो उड़ान है वह वास्तव में वांछनीय हैं। मैं मानता हूं, अगर इस समय हमें जीर्ण शीर्ण ढांचे को नये सिरे से पैदा करना है, इसको नई पौध देने के लिये हमारे नवयुवक और सरकार इस काबिल नहीं होती, इसमें असमर्थ होती है तो उस सरकार को बुझते हुए दीपक की तरह हटाया जा सकता है और हटाया जाना भी चाहिये, इसमें दो राय हो नहीं सकती। सरकार अगर वह काम नहीं कर सकती, हमारी भावनाओं को मूर्त रूप नहीं दे सकती तो वैसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिये।

दो चुनाव लड़े गये, चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि जनता आज की सरकार पर विश्वास करती है वैसी हालत में मजबूत हाथों से और दृढ़ता के साथ आज जो करप्शन शासन में व्याप्त है उसको दूर करना चाहिये। जनता की भावनाओं को मूर्त रूप देना सरकार का ध्येय है। सरकार पर जनता ने विश्वास किया है; विश्वास पैदा नहीं होता, विश्वास तो पैदा किया जाता है । हमने, कांग्रेस ने राजस्थान की जनता में किसानों में विश्वास पैदा किया उसका परिणाम देखते हैं कि आज जो सरकार है वह कांग्रेस की सरकार है। चुनौती आज उसको इस बात की है, चुनौती को वे अब किस रूप में लेते हैं आलोचनायें होती हैं, ताने कसे जाते हैं, फब्तियां कसी जाती हैं, धज्जियां उडायी जाती हैं जिसके लिये आज सब जनता चिन्तित है उसके लिये मानना होगा, उस सरकार को मानना होगा जिसको जनता ने मूर्त रूप दिया, उनको देखना होगा कि हम किस जगह थे, गुलाम थे, गुलामों के भी हम गुलाम थे; राजाओं के, जागीरदारों के गुलाम थे और वे ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे । उस गुलामी को दूर किया उसका यहां नामोनिशान मिटा दिया यह किसने किया ? कांग्रेसने किया। आप उसकी आलोचना करते हैं, मैं यह नहीं कहता कि मेरे जो विरोधी भाई कहते हैं उसमें सत्यता नहीं है, उनका कहना भी काफी हद तक सही है। उस पर सरकार को परदा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिये । उनकी तर्कों से आप आंखें मून्द नहीं सकते, अगर यहां आकर कोई भी कुछ बात कहता है तो उस चीज को गौर से सुनना चाहिये, वे सब चीजें आपको जगाने के लिये कही जा रही हैं। हम जानते हैं दुनिया में भ्रष्टाचार है, समय की कमी है इसलिये मैं केवल भ्रष्टाचार पर ही कुछ कहना चाहूंगा । मुझे दुख है, अगर हम अपनी कमजोरी को मान लेते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है ? अगर सरकार अपनी कमजोरी को मान लेती है तो भ्रष्टाचार मिनटों में खत्म हो सकता है। आप भी राणा प्रताप की भूमि में बैठे हैं, राणा प्रताप की तरह आप भी प्रतिज्ञा करें, अगर आप इरादा करते हैं और मजबूत इरादा करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, यह तभी हो सकता है जब आप में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प हो। आज आप यह सोचते हैं कि हमें करप्शन व्हाइप आउट करना है तो कौन सी ताकत है जो

(श्री मूलचन्द डागा)

आपको इस इरादे से रोक सके; चाहिये दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प।

आपके सामने भी ऐसे उदाहरण हैं। बंगाल के एक युवक मन्त्री ने डाक्टर के घर पर पहुंच कर उसको गिरफ्तार करवाया। आप भी इसी तरह करते हैं तो भ्रष्टाचार मिटने में क्या देरी लग सकती है?

आप कहीं जाते हैं तो आप पहले प्रोग्राम अपना देते हैं। आपको प्रोग्राम देने की क्या जरूरत? मन्त्रियों को क्या आवश्यकता कि अपने साथ गार्ड ले जावें, कलेक्टर को ले जावें? क्या आप रफी अहमद किदवई के कार्य को नहीं जानते? उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जाकर लिफाफा खरीदा है; उन्होंने एक आदर्श रखा है, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है? कौन कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार को दूर करना आप और हमारा कर्तव्य है। हमें देखना यह भी है कि आपकी और हमारी छाया शासन पर पड़ती है और उन्हीं के द्वारा शासन चलता है। आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं तो कौन सी ऐसी ताकत है, क्या डिप्टी सेक्रेटरी, क्या सेक्रेटरी, क्या असिस्टेन्ट सेक्रेटरी उन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी छाया उन पर पड़ती है, अगर आप सन्देश से परे होंगे, आप गंगा के जल की तरह पवित्र होते हैं, आप स्फटिक मणि की तरह चमकते हुए होते हैं तो क्या मजाल कि करप्शन आप मिटा नहीं सकते।

आपमें से किसी ने डॉ० हेवर्ड को देखा है, मेरे खयाल से नाथूरामजी ने देखा होगा। हैवर्ड जब जोधपुर में पी० एम० ओ० थे, डाक्टर की क्या मजाल कि वह समय पर न आये। जमाना झुकता है झुकाने वाला चाहिये।

सुखाड़ियाजी उसी भूमि से आये हैं जहां राणा प्रताप जैसे साहसी प्रतापी राणा हुए। वे अगर भ्रष्टाचार को नष्ट करना चाहते हों, राजस्थान विधान सभा के १७६ सदस्य भ्रष्टाचार को नष्ट करना चाहते हों तो क्या मजाल कि राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार का नामोनिशान भी रहने पाये! चारों ओर से करप्शन-करप्शन चिल्लाया जा रहा है, अगर आपमें विश्वास है, काबलियत है, ईमानदारी है, आपके मजबूत इरादे हैं तो क्या करप्शन व्हाइप आउट नहीं हो सकता? आज हमारे राजस्थान में डेढ़ करोड़ जनता निवास करती है, उनमें से कुछ तो पिछड़े हुए भी हैं, ऐसे लोग भी मुझे राजस्थान में देखने को मिले हैं जो सिगरेट न सुलगने पर सूरज को दोष देते देखे गये हैं। ऐसे लोगों को कहते हुए भी सुना है कि आप जो पानी से बिजली पैदा करते हैं इसलिए पानी में वह ताकत नहीं रही, पानी निकम्मा हो गया, पानी कमजोर हो गया, इसलिये धान की पैदावार भी कम हो गई। दाढ़ी लगाने से कोई सरदार नहीं बन जाता, ग्रामीण वेशभूषा धारण कर लेने से कोई सरदार नहीं बन सकता, चांदी का गोल टुकड़ा सिक्का नहीं बनता, छाप उस पर लगती है तभी वह सिक्का माना जाता है। केवल दाढ़ी बढ़ाने मात्र से आप ग्रामीण नहीं बन जाते। हजारों गीता के बिक जाने से कोई हिन्दू धर्म सम्पन्न नहीं माना जा सकता, सदियों से चली आरही सामाजिक-प्रथा पर जिसकी आपने नींव डाल दी है उसको दूर

(श्री मूलचन्द डागा)

करना बड़ा मुश्किल है । फिर भी इन्सान अपने आपको बनाता है । हो सकता है कांग्रेस में खराबियां हों लेकिन आप उसके सिद्धान्तों को देखिये । आज उसी सिद्धान्त के अनुसार इसमें हम नया रक्त ला रहे हैं । यह माना कि विरोधी भाई जो कहते हैं कि शासन में आते ही स्कूलें बनीं, बंगले बने जैसा कि हम सारे राजस्थान में देख रहे हैं; मालूम होता है स्कूलों की बाढ़ आ गई है । अब चाहे कुछ भी हो, स्कूलें बनी हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । एक जमाना था जब गांवों में रहने वाले लोग शिक्षा का मुंह देख नहीं सकते थे । मैं इससे यह नहीं कहना चाहता कि आपने जो कमजोरियां बताईं, जिन चीजों की धज्जियां उड़ाईं उनको मैं चैलेन्ज करने जा रहा हूँ । पर मैं कहूंगा कि समाजवाद जो हम लाना चाहते हैं उसकी एक भावपूर्ण व्याख्या राज्यपाल के भाषण में है । उसमें इसके लिये मार्ग बताया गया है और वह अर्थपूर्ण है, निराशाजनक नहीं है । मैंने राजस्थान में जो काम हुआ है, हिन्दुस्तान में जो काम हुआ है देखा है । मैंने राजस्थान में कुएं देखे हैं । हजारों टन सीमेन्ट उनमें लगा है, किसानों के मकानों में लगा है, उनके मकान ठीक बन रहे हैं. सरपंच बन रहे हैं और इसका नमूना है राजस्थान में अभी हुआ सरपंचों का सम्मेलन । यह युग जागृति का सन्देश है । आप एक तरफ से देखते हैं, मैं दूसरी तरफ से भी दिखाना चाहता हूँ, अब और चाहे कुछ भी हो, .र सरपंच सम्मेलन होता है । देश में खराबियां हैं, इनमें भी हैं, कौन इन्कार कर सकता है ? मैं कब कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में खराबी नहीं हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने भविष्य में विश्वास रखिये । देश में जब परिवर्तन आता है उस परिवर्तन के युग में उस सैकड़ों वर्षों की शताब्दियों की गुलामी से निकले हुए घर में जिसमें मानसिक गुलामी घर कर गई हो, उसमें इन्कलाब आते समय कई खराबियां आती हैं । उन खराबियों को मिटाना आपका और मेरा सब का कर्तव्य है ।

मैं कहता हूं अपने उन मन्त्री महोदयों से कि वे अपनी गलतियों को हिम्मत से कुबूल करें, अगर वास्तव में गलती की है। गलती करना इन्सान का काम है, उस को नहीं मानना और उस गलती का समर्थन करना शैतान का काम है । आप शैतान का काम न करें; करिये गलतियों को कबूल सही खुले शब्दों में । कौन सी बात है ? आप हमारे ही बीच के हैं । हम आपसे दूर नहीं हैं । हमारे आपके बीच में कोई फासला नहीं है । फासला व्यवहार और अन्तःआत्मा में फर्क-अगर हो तो वह फासला है । अगर व्यवहार और आत्मा में अन्तर है तो यह एक आडम्बर है और यह आडम्बर अगर आप नहीं करते हैं तो हमारे और आपमें कोई भेद नहीं । क्या बात है ? आप हैं कौन चीज, आप हम से ही बनाये हुए हैं । क्या आप अपने आपको अलग समझते हैं ? आप अपने साथियों को कहिए कि हमने गलतियां की हैं, हम उन्हें मिटाने की कोशिश करेंगे । मैंने नहीं देखा आपके सेक्रेटरी को जो आपको प्रश्नों के उत्तर बना कर देते हैं । आपके कई प्रश्नों के उत्तर आते हैं और मैं सुनता हूं । उनके गलत उत्तर सुन कर कभी कभी मुझे शर्म के मारे गरदन झुका लेनी पड़ती है, शर्म के मारे गड़ जाना पड़ता है जब प्रश्नों के उत्तर आप की ओर से आते हैं । क्यों आप साहस खो देते हैं ? गलतियों को क्यों नहीं साहस और हिम्मत के साथ, मन्जूर कर लेते हैं । आप में भी कमी होगी, नहीं तो क्यों

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं आ सकते प्रश्नों के सही उत्तर। अगर आपका विभाग गलत बातें बताता है तो गलत जवाब दिलाता है, हिम्मत से उसे ठीक कर दीजिए। आखिर तो आप में भी कमी है। मैं 'सी' स्कीम में देखता हूं इन आपके अफसरों और सेक्रेटरियों की हरकतें। उनके घूमने, खाने-पीने, बैठने, देखने जाने करने के प्रोग्राम होते हैं। पर कागज उनके पास पड़े रहते हैं, उनके लिये उनको नींद आती है। राजस्थान का काम करने में, जनता का काम करने में उनको आलस्य आता है। उनमें वह जीवित लगन नहीं कि राजस्थान का फायदा कहां है, किसमें हैं, कैसे है? अगर ये सेक्रेटरी इमानदारी से काम करते हैं तो कोई कागज क्या, कोई फाइल क्या, सारे के सारे मसले मिनटों में तय हो सकते हैं। मैंने देखा है आदमी की ताकत और ईमानदारी का काम। जोधपुर में महाराजसिंह का समय मैंने देखा है। उसने बताया था कि किस प्रकार से शासन किया जाता है, विभागों का संचालन किस तरह से किया जाता है? क्यों नहीं हमारे ये साथी उनसे सबक लेते हैं? यह तो हमारी कमजोरी है कि हम इसी तरह चल रहे हैं। अगर सेक्रेटरी समझता है कि देश में काम करना, देश के भले में काम करना, लगन से काम करना उनका फर्ज है तो उसके लिए काम करना आसान है। पर और कामों के लिए उसे बहुत फुरसत मिल जावेगी, देश-हित के काम के लिए उसको समय नहीं मिलता। मैं उदाहरण दूं उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेवाराना बातों का। पाली की बात कहता हूं। प्रोविन्शियल एडल्टरेशन एक्ट निकला। इस एक्ट में यह कहीं नहीं कि आप गांव से आने वाली एक ग्वालिन के दूध पर या उसके छोटे-मोटे सामान के बेचने पर, उस पर लाइसेन्स की पाबन्दी लगावें। पर आप सुनें, किन किन पर पाबन्दी का हुक्म यहां दिया गया है। सभापति का लेटर है छपा हुआ।

लाइसेन्स लेना होगा इन इन चीजों के बेचनें वालों को:–सोडा, लेमन, शरबत, पकौड़ी, कचौड़ी, बड़े, नमकीन सेव, बर्फ

(भाषण अनुमोदित हो कर प्राप्त नहीं हुआ)

कहां आपको इजाजत है? पर वे हैं इन लोगों के काम करने के दिमाग। यह सभापतिजी की आज्ञा है। अगर कोई लाइसेन्स नहीं लेता है तो जुर्माना करते हैं। पर मैं पूछता हूँ, यह सब कहां है प्रोविंशियल एडल्टरेशन एक्ट में।

तो कानून देखने के पहले आत्मा को पहचानना जरूरी है। कह दिया एक पकौड़ी बनाने वाले को लाइसैंस के रुपये दो, लाइसैंस लो। यह क्या तमाशा है? रुपया दो रुपया मुश्किल से दिन भर में कमायेगा और आपके लाइसैंस का बारह रुपया वह कहां से देगा। मैं कहां तक ये उदाहरण बताऊं,......मैं तो इन रिपोर्टों को पढ़ने को तैयार हूँ जो मैं साथ लाया हूं। आप समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं! लीजिये आप उसका एक नमूना।

श्रीमती सभानेत्री (डॉ० चंद्रकला): टाइम हो चुका है और मेरे ख्याल से एक मिनिट की यह वार्निंग होगी।

श्री मूलचन्द डागा: अगर आपकी आज्ञा है तो मैं बताऊं। उनकी ही निकाली हुई बातें हैं वही मैं उनको बताता हूँ। मेरे पास कई पोथियां हैं।

श्रीमती सभानेत्री: पोथियां रहने दीजिये। आप तो अपनी बात कहिये।

Page No.102

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता, उनकी कही हुई बातें ही बताना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : पोथियां आपका समय ले लेंगीं।

श्री मूलचन्द डागा : तो ठीक है। मैं एक बात बताता हूं। आप अब देखिये। एक ट्रेन्ड टीचर मैट्रीकुलेट को आप देते हैं १३०) इन्टर ट्रेन्ड टीचर को देते हैं १४०) और बी.ए. को देते हैं २२५)। आप मेट्रिक, इन्टर में तो फर्क रखते हैं १०) का और ज्योंही बी. ए. हो गया वह अन्तर आ गया ६५) का, यह है आपका फर्क। आप समाजवाद की बात करते हैं !!

आप और भी किसी चीज को ले लीजिये। मैं लेबर की बात कहता हूं। इसका अफसर ईमानदर मालूम होता है। साफ–साफ बात कही है उसने। वे लेबर ऑफीसर साहब फरमाते हैं :

"From the examination of the officers of the Department, the Committee could gather that suitably trained personnel was lacking in the Department. It is really unfortunate that such an important department which can be called the back-bone for the development of industries in the State is callously ignored by the Government. He says, "During the Course of the statement by the Labour Commissioner it was revealed that he does fully posses the knowledge of the laws which he has got to administer for the amelioration of labour in various fields. This is perhaps because he is not certain that he would stick to this job for a long time. The same condition was discovered with regard to other officers also who were called before the committee and this state of affairs gave a very gloomy picture about the department."

एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट है, यह लेबर डिपार्टमेन्ट के बारे में। अब बताइये जब कि वे खुद कहते हैं कि लेबर-लाज़ के वे जानकार नहीं हैं। मैं बताऊं आपको अपने पाली मिल की हालत, दो-दो साल से लेबर काम कर रहा है, सांचे पर, मशीन का सांचा चलाता है, पर उसको परमानेन्ट नहीं बनाया जाता।

महाराजा उम्मेद मिल्स की यह हालत है, बांगड़ सेठ का मिल चल रहा है वहां। वहां मजदूर की क्या हालत है, यह क्या जाने ये लेबर विभाग के अधिकारी ? आज मजदूर संघर्ष में उतरे हैं, पर कौन सुनता है उनकी।

और सुनिये आगे क्या कहते हैं :

"The Department has no legal adviser. The Committe was told that the public prosecutors generally do not consider prosecution under the various labour laws as a part of their normal duty."

आप मजदूरों की हुकूमत कायम करने के पहले उनकी हालत पर गौर फरमाइये। अगर मुझे समय मिले तो बताऊं, मैने काफी जगह रैड मार्क कर रक्खी हैं। एक चीज। दूसरी पढ़िये, ऑडिट रिपोर्ट।

श्रीमती सभानेत्री : मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्य अपना भाषण निश्चित समय में समाप्त कर देंगे।

श्री चन्दनमल वैद : अब तो आप इनको बताने दीजिये ५ बजे तक। दस मिनिट ही बाकी रहे हैं। दूसरा भी क्या बोलेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : आप सुनिये। मैं रेवेन्यु विभाग के बारे में बताना चाहता हूं।

अब मैं रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य यह पुस्तक सभी को मिल चुकी है और यह जानकारी देना आवश्यक नहीं है। आप अपने भाषण को जल्दी से जल्दी समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छी बात है, किताब को रहने दीजिए। मुझे जो याद है वही बता दूंगा।

अब मैं आपके सामने लेबर की प्रोब्लम को रखूं। मैंने सदन को अभी यह बतलाने की कोशिश की थी कि लेबरर्स की समस्या राजस्थान में किस प्रकार की है। मैंने अभी आपके सामने महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली का नक्शा खींचा और यह बतलाने की कोशिश की कि वहां २७०० लेबरर्स काम करते हैं। इन लेबरर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिन मकानों में वे रहते हैं उन मकानों की हालत यह है कि मकान टीन के बने हुए हैं। यह राजस्थान की गर्मी और उसके ऊपर से फिर टीन के मकान और थका हुआ मजदूर जब आठ घन्टे मेहनत करके मकान में आता है तो उसकी क्या हालत होगी, आप सोच सकते हो ! मैं तो यहां तक कहूंगा कि असेम्बली में भी हमारी धारा सभा के सदस्य हैं वे जिस गवर्नमेन्ट होस्टल में रहते हैं, जिस राजकीय प्रवास में रहते हैं वहां भी न तो सर्दी में धूप आती है और न गर्मी में हवा। इस तरह के मकान बने हुए हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मुझे तो राजकीय प्रवास में भी रहने में आपत्ति है। हमें जिन भवनों में तीन-तीन महीने निकालने पड़ते हैं उन भवनों की ही हालत देखिये, जहां कि न तो सर्दियों में धूप है और न गर्मियों में हवा है। मैं समझता हूं कि वह माननीय सदस्य जो राजस्थान की असेम्बली में बैठ कर और बड़े बड़े मसलों पर विचार करते हैं, वे ऐसी जगह रहें ! वहां भोजन की व्यवस्था देखो तो भी ऐसी ही है। इसलिए ही तो मैं वहां पर नहीं रहता। (हंसी व करतल-ध्वनि) इसलिए ही मैंने वहां पर रहना पसन्द नहीं किया और 'सी' स्कीम में वहीं रहा जहां कि ठीक हवा मिल सके। आप बता सकते हैं कि हमारी शासन की व्यवस्था कैसी है। जब मकानों के बारे में प्रश्न किया तो बताया कि लेबरर्स की जो पोज़ीशन है वह रीढ़ की हड्डी है। देश में आप सही और मजबूत मजदूर पैदा करो।

अब आप लीजिए मैडिकल डिपार्टमेन्ट। मेरे ख्याल से मालूम होता है कि जो मेडिकल अफसरान हैं या तो वे गोया कि लिखने करने के आदि हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि मैं मंत्री महोदय पर इस सब का दोष नहीं देना चाहता लेकिन मैंने पढ़ा है रिपोर्ट को, और मालूम हुआ है कि मेडिकल डिपार्टमेन्ट में हजारों रुपयों की चीजें खरीदी गई हैं, वे भी बिना इजाजत के। उसके खरीद करने के लिए कोई ऑर्डर्स नहीं हैं, ऑर्डर के बिना ही खरीद ली गई हैं। बताया जाता है कि इस तरह से खरीदने पर सरकार को कितना

(श्री मूलचन्द डागा)

नुकसान हुआ। अगर सही तरीके से ये चीजें खरीदी जातीं तो लाखों रुपयों का गवर्नमेन्ट को फायदा होता। लेकिन जिस तरीके से सामान खरीदा गया है, वह सारी की सारी रिपोर्ट बताती है कि इस प्रकार मेडिकल डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों ने किस प्रकार जनता की गाढ़ी पसीने की पूंजी के साथ खिलवाड़ किया है, और उसका मतलब यह होता है कि आज हॉस्पीटल जगह-जगह एक प्याऊ के मुकाबिले की चीज बन गये हैं। (शेम, शेम) प्याऊ जहां पानी तो मिल जाता है, मगर मेरे ख्याल से यहां तो मीठा पानी भी नहीं मिलता होगा। इसीलिए लोग चिल्लाते हैं। यह है मेडिकल डिपार्टमेन्ट की हालत!

अब रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट आता है। रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में दो बातें हैं--सस्पेन्शन और रेमीशन। आप क्या चाहते हैं? सस्पेन्शन करना चाहते हैं या रेमीशन करना चाहते हैं? एक आपने डोरी बांध दी गले में। फसल खराब हुई, आप सस्पेन्शन करते हैं; तो वह कब तक चलेगा? लेकिन एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है। आप एक ही चीज का निर्णय दे दीजिए। आप टीनेन्सी-एक्ट में निर्णय दीजिए कि कब रेमीशन करना है। आप सस्पेन्शन के ऑर्डर्स को हटा दीजिए। यह जो सस्पेन्शन और रेमीशन के तरीके हैं उनको हमें मिटाना है।

आप पंचायत-एक्ट की धाराओं को लीजिए। आप विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। एक आदमी है और पंचायत ने उसके केस में कोई फैसला कर दिया तो बताओ वह उस पंचायत के ऑर्डर्स के रिवीज़न के लिए कहां जा सकता है। न तो उसके पास कोई गुंजाइश है। वह कलेक्टर के पास नहीं जा सकता, एस० डी० ओ० के पास नहीं जा सकता, चीफ पंचायत ऑफिसर के पास नहीं जा सकता है जब तक कि वह इस एक्ट की धारा ७५ को पूरी तरह से अमल में नहीं लाता। बताइये यह तो हालत है आपके पंचायत डिपार्टमेन्ट की।

आपके रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में टीनेन्सी-एक्ट में पशुओं की वृद्धि करना चाहते हैं और पशुओं की हालत सुधारना चाहते हैं। क्यों, क्या बात है? क्या गायों ने दूध देना कम कर दिया है या बैलों में ज्यादा ताकत आ गई है?

(हंसी)

यह हालत हो रही है कि आपने जो जानवरों को चराने के लिए भूमि में अधिकार दिए हैं, टीनेन्सी रूल्स के अन्तर्गत, उसमें आपने कहीं आधे बीघे के लिए कह दिया कि भेड़ें और बकरियां चर सकती हैं। अभी ही कल एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने ऐसा कहा। लेकिन मान लीजिए कि किसी गांव में ४० गायें हैं और १० हजार बकरियां हैं तो आप ही बतायें कि इसके लिए आपकी क्या आज्ञा है! अब अगर खाली भेड़, बकरियों के लिए ही चरने की जमीन दी तो गायें कहां जायेंगी? अगर किसी ने कह दिया कि हमारे यहां १० बैल हैं, उसको कह दिया गया कि आपको २० बीघा जमीन दी गई, तो जब बैलों के लिए जमीन दे दी गई तो रेवड़ के लिए कुछ नहीं, घोड़ों के लिए कुछ नहीं, सांडों के लिए कुछ नहीं। इसका कारण यह है कि हमारे यहां या तो जो 'एफिशियेन्सी आनी चाहिए वह नहीं

(श्री मूलचन्द्र डागा)

आई है। जो प्रशासन में कमियां हैं वे हमें भी नजर आती हैं। प्रशासन में कमजोरी होने के कारण सभी इसका फायदा उठाते हैं। जब कोई जयपुर आता है तो राजस्थान के गांवों में कहते हैं :-

(भाषण अनुमोदित हो कर प्राप्त नहीं हुआ) क्यों कहते हैं ? आपको और हम सबको दुख होगा। यह तो हम और आपके विचारने की बात है । साथ ही मैं अपको बताऊं कि समय की पाबन्दी का कभी पालन नहीं किया जाता। समय पर भी आना मंत्री महोदयों ने कभीं नहीं सीखा। १० बजे का टाइम देकर ५ बजे तक नहीं गये तो फिर समय की पाबन्दी क्या हुई, कलेक्टर्स साहेबान को देख लीजिए कभी समय पर नहीं आते। मुझे दुख है कि हमारे किसी भी अधिकारी को किसी बात का डर ही नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें सबसे पहले भ्रष्टाचारी मिटाने होंगे। मैं देखता हूं कि आपके किसी अधिकारी को डर ही नहीं है। अब यह समझते हैं कि हम तो सारा काम डंडे की चोट पर कर सकते हैं। मिनिस्टर्स का सेक्रेट्रीज़ को कोई डर ही नहीं है या तो यह मालूम होता है कि सेक्रेट्रीज़ ज्यादा काबिल हैं या फिर उनको आपका डर नहीं है।

तो मैं अपील करूंगा कि राज्यपाल महोदय का जो भाषण है, मुझे उसके ऊपर जो कुछ कहना था वह कहा। मैं साफ कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उसके प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करता हूं।

(हंसी)

मेरा मतलब आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने विचार जैसे भी थे आपके सामने रखे।

श्री सभापति : अब हम कल ११ बजे तक के लिए बिछुड़ते हैं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५-०० बजे, दिनांक १४ फरवरी, १९५८ के ११ बजे म० पू० तक के लिए स्थागित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, १३ फरवरी, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ४९८

तरुण अपराधी सुधारक जेल विद्यालय।

तस्कर व्यापार।

पंचायत भवन निर्माण ।

यातायात नियन्त्रण योजना।

पंचायत द्वारा किये गये ग्रामोत्थान कार्य।

बांध निर्माण।

सड़क निर्माण ।

मोरेल बांध।

शिकार योग्य स्थानों की व्यवस्था ।

डकैतों को मारने वाले अधिकारियों की पदवृद्धि।

अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड।

अस्पताल की स्थापना।

गोसंवर्धन।

डकैतियां ।

बीजों का क्रय तथा विवरण।

बांधों में दरार पड़ने सम्बन्धी।

जनाना अस्पताल जालोर।

लेबर कन्ट्रेक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़।

अधिक अन्न उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था ।

अरवाड़ डेम, शाहपुरा।

डाक्टर की नियुक्ति।

फसल को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों व रोगों की रोक थाम।

संचालक जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा अनधिकृत रूप से बिल पास करना ।

कुण्ड निर्माण।

लालसोट हाई-स्कूल के कमरों का निर्माण।

इन्सपेक्टर्स का वेतन ।

बस स्टोपेज, जालौर।

झुंझुनू जिले में चोरियां ।

पंचायत केन्द्र ।

बस सर्विस।

कोटा सिंचाई बांध ।

निर्माण संबन्धी योजनायें।

धौलपुर सड़क निर्माण ।

नहर योजना।

रोगियों की दैनिक औसत संख्या ।

भीम सागर (झालावाड़) योजना ।

नगरपालिकाओं को कर्ज व सहायता ।

सभापति तालिका ६५३

(Panel of Chairmen)

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह सूचित किया कि सभापति तालिका के लिये निम्न-सदस्य मनोनीत किये गये हैं:—

१. श्री सज्जनसिंह
२. श्री रामचन्द्र
३. श्री सतीशचन्द्र
४. डा० चन्द्रकला

स्कम्भ

५६३

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

नाम
अनुपस्थित रहने की तिथियां

१. श्री दयाकृष्ण विजय....
१० से २० फरवरी, १९५८

२. श्री शंकरलाल....
११ से १५ फरवरी, १९५८

५६४

विधायी कार्य

विधेयकों की पुरःस्थापना

(१) निम्नलिखित विधेयक, जिन्हें नियम ६६ के अन्तर्गत राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करने की आज्ञा दी जा चुकी थी, पुरः स्थापित किये गये :—

(क) राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५८।

(ख) राजस्थान अभ्रक विधेयक, १९५८

(२) निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :—

(क) राजस्थान भूमि संक्षिप्त बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, १९५८।

(ख) राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५८।

स्कम्भ

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ५६६

निम्नांकित धन्यवाद के प्रस्ताव तथा उस पर दिये गये संशोधन पर अग्रेतर वाद-विवाद:—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये

जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
२. श्री मोहब्बतसिंह
३. श्री टीकाराम पालीवाल
४. श्री लक्ष्मीचन्द
५. श्री रामचन्द्र
६. श्री रामेश्वरदयाल
७. श्री भोगजी भाई
८. श्री मोहरसिंह
९. डा. चन्द्रकला
१०. श्री नारायणसिंह मसूदा
११. श्री मुक्तिलाल मोदी
१२. श्री मोतीलाल
१३. श्री मनोहर कोठारी
१४. श्री शिवचरणदास
१५. श्री मूलचन्द डागा

गुरुवार, दिनांक १४ फरवरी, १९५८, की कार्य-सूची

अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं धन्यवाद- प्रस्ताव पारित ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर देखिए)

निरीक्षण पंचायत बनेठा दिनांक–१४–१०–५५.

(१) आज पंचायत का निरीक्षण किया गया। इस पंचायत का चुनाव ८–६–५५ को हुआ है। इस पंचायत में १४ पंच हैं। आज श्री घासी लाल जी सरपंच व ६ पंच मुंशी व चपरासी हाजिर मिले।

(२) बैठक रजिस्टर मिला। इस साल में २८ बैठकें हुईं जिनमें एक दिन ताला टूट जाने की वजह से बैठक नहीं हुई। २७ में कोरम पूरा रहा।

(१) इन्तजामी दायर फैसले चालू है।			
	१०३	७८	२५
(२) फौजदारी	६६	५०	१६
(३) दीवानी	३६	३४	५
(४) एकरसी	२०	१२	८
	२३१	१३४	५७

(३) रोकड़ रजिस्टर देखा गया १२८५=)॥ है, जिसमें से ६००) रू० सेविंग बैंक में ३००) रू० ट्रेजरी तहसील उनियारे मे और ३८४=)॥ पंचायत में कुल १२८५=)॥ है।

(४) रजिस्टर मुकदमात देखे गए। १ अप्रेल ५५ से:

(५) फाईन हाउस में अप्रेल ५५ के बाद रजिस्टर दाखिल नं० ८२ है, इसकी आमदनी ४०६॥) हुई है।

(६) दरख्वास्त रजिस्टर देखा गया तो यहां अप्रेल ५५ से ५८२ दरख्वास्तें आदि पंचायत में आईं।

(७) तारीख पेशी रजिस्टर देखा गया तो यहां पंच–मण्डल हर माह में ४ मीटिंग करता है। मुकदमात का नं० हर पेशी पर औसत ४० रहता है।

नोटः—

१. पंचायत का काम अच्छे ढंग से चालू है। पंच व सरपंच आदि का पंचायत के काम में पूरा सहयोग है।

२. पंचायत ने जनता के सहयोग से बड़े तालाब व राम तलाई टूट जाने पर इसके पानी को रोकने के लिए सराहनीय कार्य किया है।

३. निरीक्षण के समय पंचायत में धारा २२८ के मुकदमे और १७४ आदि के मुकदमे चालू हैं–ऐसी धारा को पंचायत हर जगह काम में न लावे। २२८ की धारा हर जगह काम में न लाई जावे। बैठक के समय अदालत के समय के लिए है। उस समय भी बहुत सोच समझ कर काम में लावे।

४. इस पंचायत का बजट स्वीकृत हो चुका है। मुंशी का ४०) रू० २ चपरासी को १५) रू० और फाईन हाउस के ५) रू० दिये जाते हैं। ३ फाईन हाउस चौकीदार ७) रू० दिया जाता है। चपरासी को तनख्वाह बजट माफिक दी जावे फाईन हाउस का अलाउन्स बन्द किया जावे। पंचायत क्षेत्र के बाहर व ५ मील के बाहर जाने पर खर्चा भत्ता आदि दिया जावे।

निरीक्षण पंचायत बनैठा दिनांक २८-१-५६

आज ग्राम-पंचायत बनैठा तहसील उनियारा जिला टोंक का निरीक्षण किया गया। श्री सरपंच घासी लाल जी उप सरपंच शिव विलास जी व श्री घासीलाल जी पंच मय लेखक, चपरासी मौजूद मिले। पंचायत पुनः निर्माण दि० ८-६-५४ को हुआ है। गत निरीक्षण श्रीमान खण्ड पंचायत अधिकारी जी ने १४-१०-५५ को किया है। निरीक्षण के अनुसार पंचायत कार्य सन्तोषजनक है। किन्तु ग्राम में कुछ पार्टीबाजी चल रही है। इसी कारण पंचायत के खिलाफ तथा पंचायत कार्यों में रुकावट पैदा होना प्रकट होता है। इस पंचायत के अधीनस्थ ८ ग्राम हैं। सदस्यों की सं० १४ है। एक पंच का स्थान रिक्त है, जिसका उप-चुनाव अभी होना पाया गया।

बैठक रजिस्टर देखा गया तो इस वर्ष ४२ बैठक हुई, जिसमें ३७ में कोरम पूरा रहा। पंचायत की बैठक रविवार को होती है। पंचायत के कार्यालय के बाहर बोर्ड लगा है। पंचायत की बैठक का मकान ५) रू० मासिक पर लिया हुआ है। जब तक पंचायत भवन न बन सके, उपयुक्त है। पंच साहबान बैठक के दिन समय पर उपस्थित होना सरपंच सा० ने बताया तथा पन्चो का करीब करीब जनता के साथ ठीक व्यवहार ही होना पाया गया, किन्तु कुछ पंचों के साथ जनता का व्यवहार निन्दनीय है, जिसके लिये पंच साहबान को समझाया गया कि वे अपना व्यवहार सुधारने का प्रयत्न करें। विभाग से भेजी हुई व अन्य सहकारी आज्ञाओं को समय पर पाबन्दी होना पाया गया। बैठक रजिस्टर समय पर उचित तरीके से भरा जाता है तथा बैठक रजिस्टर में आय व व्यय का व्योरा भी अंकित किया जाता है। गत वर्ष का बजट स्वीकृत होकर खर्चा स्वीकृत अनुसार ही होना बताया गया। इस वर्ष का बजट स्वीकृत हो चुका है और स्वीकृत बजट के अनुसार ही खर्चा किया जाना बताया गया। स्वीकृति बजट के अनुसार उसकी कोरम में सम्मति लिया जाना नहीं पाया गया, इसके लिए हिदायत की गई थी, उसके लिए सम्मति कोरम में ली जाया करें। रोकड़ रजिस्टर देखा गया तो २७-१-५७ में श्री रोकड़ पोते २०१॥)॥ है जो श्री सरपंच सा० की तहवील में होना पाया गया, नियम के विरुद्ध सरपंच साहब के पास रोकड़ नहीं है। रोकड़ी मासिक गोशमारा भी निकाला जाना पाया गया तथा मासिक गोश्वारे के हिसाब पंचों को समझाना पाया गया। पंचायत की रकम लेन देन खाता सेविंग बैंक उनियारे में है जिसमें १०००) रु० होना सरपंच सा० ने बताया। इस पंचायत में श्री हनुमानप्रसाद लेखक ४०) रु० मासिक व श्री भगवतीलाल चपरासी २०) रु० मा० पर नियुक्त है। चपरासी की जमानत सरपंच सा० ने ले ली है, लेकिन लेखक की जमानत नहीं ली गई, जिसके लिए जमानत लेने की हिदायत दी गई। पंचायत में जमा होने वाली रकम की रसीद दी जाती है, लेकिन कोर्ट फीस की रसीद दी जाना नहीं पाया गया जिसके लिए हिदायत दी गई कि कोई फीस की रसीद भी दी जावे।

दीवानी	गत वर्ष के पोते	४६	दायर	१५१	योग	१९७	फैसल	१३८	पोते	५९
फौजदारी	,,	२७	,,	३१०	,,	३३७	,,	२८६	,,	५१
इन्तजामी	,,	१७२	,,	४३७	,,	६०९	,,	२६५	,,	३४४
हकरसी	,,	१८	,,	५८	,,	६६	,,	६५	,,	११

रजिस्टारों में मासिक गोरवारे निकाले जाते हैं। मिसलों में बिना कारण तारीखें नहीं दी जाती हैं। कोर्ट फीस व तलवाना नियमानुसार वसूल होकर दर्ज होना पाया गया, जिन जिन मिसलों में दण्ड किया जाता है वह समय पर रजिस्टर दण्ड में दर्ज किया जाता है। सरपंच साहबान व पंचों से निजी मुकदमात् नहीं चल रहे हैं। फैसल मिसलों में जिनमें राजीनामे अधिकतर होना पाया गया। रोशनी की व्यवस्था पंचायत क्षेत्र में ४० व उपक्षेत्र में २० योग ६० हैं। इन पर मासिक खर्चे की व्यवस्था ३०) रु० है व रोशनी लगाने वाले को मासिक एलाउन्स १००) रु० दिया जाता है। सफाई की व्यवस्था केवल पंचायत क्षेत्र में है, जिस पर ६) रु० मासिक खर्चा होना पाया गया। पानी पीने के जल की हालत ठीक है। पंचायत ने इस वर्ष एक कुए व बावड़ी की सफाई कराई है। पंचायत ने औषधियां मंगवाई हैं, जिससे बर्सात के दिनों में सैकड़ों लोगों ने फायदे उठाये। पंचायत ने रास्ते दुरुस्ती मवैशी प्याऊ कुए तलाई की मरम्मत कराई है। जन्म व मृत्यु का रजिस्टर व विवाह रजिस्टर है, किन्तु समय पर भरा नहीं जाता है, इसके लिए मालूम हुआ है कि पंच साहबान उदासीन हैं। पंचायत के कार्य में रुचि न लेना पंचों का व्यवहार निन्दनीय है। अब सरपंच साहबान पंच साहबान को पाबन्द कर देवें कि इस कार्य में पूर्ण सहयोग देकर पूरा करावें।

फाइन हाऊस केवल पंचायत क्षेत्र में है, जिसका मकान १५) रु० मासिक पर है; मवेशी की घास-पानी की व्यवस्था ठीक होना पाया गया तथा मवेशियों के ७ दिन रहने के पश्चात् नीलाम की कार्यवाही होना पाया गया। मवेशी के दण्ड की रकम नियमानुसार वसूल होकर रसीद दी जाती है। दण्ड की रकम ४५७) रु० बकाया है। बकाया रहने का कारण तहसील पंचायत में अपीलें चल रही हैं और स्टे ऑर्डर दिए हुए हैं।

वारन्ट की तामील सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा होना पाया गया। स्टॉक रजि० पंचायत में नहीं है। हिदायत दी गई कि पंचायत शीघ्र ही रजिस्टर खोलें। कर पंचायत ने अभी तक किसी के नहीं लगाए गए हैं इसके लिए हिदायत दी गई कि पंचायत की आर्थिक दशा सुधारने के लिये विभागीय आदेश के अनुसार कार्यवाही करने वाले शीघ्र करो की स्वीकृति प्राप्त की जावे। पंच साहबान अपने अधिकारों से बाहर कार्य नहीं करते। पंचायत का लेखक समय पर कार्य करता है तथा जनता के साथ सन्तोषप्रद व्यवहार है। पंचों के काम में भी अनुचित दखल नहीं देता है। पंचो को आपस में मेलजोल रखकर पंचायत का कार्य सहानुभूति पूर्वक करना चाहिए। पंचायत की कार्यवाही देखने से मालूम हुआ कि पंचायत की स्थापना का आशय पूरा हो रहा है। पक्षकारों को कम समय व कम खर्च में न्याय मिलता है, पुस्तकालय नहीं है और न पंचायत में दैनिक पत्र आता है, इसके लिए भी सरपंच साहब को समझाया गया कि एक दो समाचार पत्र पंचायत को अवश्य मंगवाना चाहिए। सरपंच साहबान द्वारा पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है जो प्रशंसनीय है।

दि० २८–१–५७

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८३ का उत्तर देखिये)

LIST OF SHOOTING BLOCKS AS SHOWN IN THE ATTACHED MAP OF RAJASTHAN.

Division.	Range.	Shooting blocks.	Remarks.
Bhartapur	Karauli	Kailadevi	
	,,	Sapotra	
		Karanpur	
		Utgir	
		Rudai	
		Mandrail	
	Dholpur	Sir mathura	
		Gurja	
		Ramsagar	Game Sanctuary
		Van Vihar	Game Sanctuary
		Jhiri	
	Bharatpur	Ghanna	-do-
	Alwar	Silisedh	
		Akabarpur	
	Siraska	Siraska	-do-
		Narainpur	
		Rampur	
	Rajgarh	Khoh	
		Ajabgarh	
Jaipur	Bairath	Bairath	
	Jamwa Ramgarh	Ramgarh	
		Digota	
	Sawai Madhopur	Shampura	
		Ranthambhor	
		Sawai Madhopur	-do-
	Khandar	Khandar	
	Kishangarh	Roopangarh	
Tonk	Uniara	Uniara	
	Jahazpur	Malpura	
		Jahazpur	
		Ulelah	
	Tonk	Raj Mahal	
Bundi	Bundi	Khatkar	
	Nainwa	Talwas	
	Kapren	Karwar	
	Barundhan	Barundhan	

Division	Range.	Shooting blocks.	Remarks.
Kotah	Ladpura	Damna	
		Borabas	
	Kanwas	Darra	-do-
		Gangori	
		Sunda Phulet	
Baran	Kishanganj	Relawan	
	Chhipabrod	Sarthal	
	Jalwara	Jalwara	
	Chhaara	Uchawad	
Jhalawar	Jhalawar	Balgarh	
	Asnawar	Asnawar	
	Khanpur	Harigarh	
	Eklera	Delanpur	
	Manoharthana	Manoharthana	
	Bakani	Konwara	
	Pirawa	Awar	
		Dag	
Ajmer.	Ajmer (West)	Pachkund	
	(East)	Shrinagar	
Chittorgarh	Mandalgarh	Mandalgarh	
	Bijolia	Bijolia	
	Kuakhera	Kuakhera	
	Bhensrorgarh	Bhensrorgarh	
		Andheri	
	Begun	Begun	
	Bijepur	Bijepur	
	Chittorgarh	Chittorgarh	
		Ganghar	
	Bansi	Dhanwarmata	
	Dariwad	Dariwad	
Banswara	Ghatol	Pipalkund	
	Banswara	Anand Sagar	
		Bhewa	
	Dungarpur	Rakhat Rajdhani	
		Ratanpur	
Udaipur	Jadhol	Pipli	
		Madri	
	Prashad	Prashad	
	Kotra	Daiya Ambasa	

Division	Range.	Shooting blocks.	Remarks.
Udaipur.	Kotra	Panarwa	
		Jarga	
	Govinda	Nal Mokhi	
		Jura	
	Kamalgarh	Kamalgarh	
	Bhim	Umarwas, Berat-garh	
		Bhim	
	Salumber	Jagat	
		Keora	
		Arnua	
		Jai Samand	National Park
Sirohi.	Sirohi	Padar	
		Matarmata	
	Abu	Abu	
	Pindwara	Pindwara	
		Arnua	
	Padli	Chotila	
		Vadakhera	
Jodhpur.	Jaswantpura	Jaswantpura	
	Jalore	Jalore	
	Sadri	Sadri	
		Desuri	
		Sandheri	
		Jor Bir Bikaner	

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम समिति	स्थान	क्या कार्य करती है	सरकार से किस किस कार्य की मांग की	सरकार ने कौन २ से कार्य किये	सदस्य संख्या	सरकार द्वारा ऋण जो दिया गया
१	२	३	४	५	६	७	८
१	झोटवाड़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	झोटवाड़ा	निर्माण कार्य का ठेका लेने का	निर्माण कार्य दिलवाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया था जो एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग को सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा दिनांक ५–२–५८ को पठाया जा चुका है।	अभी कोई नहीं।	२१	कोई ऋण नहीं दिया गया
२	सांगानेर ,, ,,	सांगानेर	,,	निर्माण कार्य दिलाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसे सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा दिनांक २१-१-५८ को अध्यक्ष, खनिज एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर के पास पठाया जा चुका है।	,,	१५	—
३	श्री लक्ष्मी कुम्हावत सहकारी समिति लि०	सांभर	कोई नहीं	कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।	प्रश्न ही नहीं उठता	१६	—

१	२	३	४	५	६	७	८
४	चूरू लेबर कोन्ट्रक्ट कोपरेटिव सोसाइटी लि०	चूरू	अभी नई बनी है अतः कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया ।	,,	,,	२१ —	,,
५	सरदार शहर श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	सरदार शहर	,,	,,	,,	,,	,,
६	मजदूर सहकारी समिति लि०	नगर	,,	,,	,,	२५	,,
७	बसेड़ी श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	बसेड़ी	,,	,,	,,	१५	,,
८	करौली श्रमिक सहकारी समिति लि०	करौली	ठेके के कार्य करना	सड़क निर्माण के लिए मांग की	करौली-मण्डराल रोड का निर्माण कार्य (१,४६,०००)	३७	,,
९	करौली श्रमिक पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लि०	करौली	,,	,,		११	,,
१०	बारां बवेरी लेबर कोन्ट्रेक्ट सहकारी समिति	लक्ष्मणगढ़	पत्थर की खानों से पत्थर निकाल कर चक्की, कूंडी, चकले ऊखल की वस्तुए तैयार कर के बेचती है तथा पटि्टयां भी बेचती है ।	पहाड़, छिलौड़ी डोराली एवं बूंटोली की खानों को ठेके पर देने की मांग की	विकास कार्यालय, करौली के निर्माण का कार्य(रु.१५०००)का समिति की मांग स्वीकार की जाकर १० वर्ष के लिए उक्त खानोंका ठेका १०.४.५३ को स्वीकृत किया गया ।	१९८	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
११	त्रिलवाड़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	लक्ष्मणगढ़	सड़क एवं अन्य निर्माण कार्य करना	सड़क निर्माण कार्य के लिये	रामगढ़ की सड़क पर मिट्टी डालने का कार्य दिया गया	३०	,,
१२	बहरोड़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	बहरोड़	,,	सड़क तथा निर्माण-कार्य के लिये	बीज गोदाम बहरोड़ का निर्माण कार्य दिया गया।	२६	,,
१३	मुण्डावर श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	मुण्डावर	अभी नई बनी है अतः कार्य प्रारंभ नहीं किया।	—	कोई प्रश्न ही नहीं उठता	३५	,,
१४	मन्डोर पब्लिक वर्क्स को० लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी	जोधपुर	निर्माण कार्य एवं खान से पत्थर निकालना	खानें दिलवाने के लिये मांग की है और भी दूसरे निर्माण कार्यों के लिये।	जोधपुर कमिश्नर व कलेक्टर के दफ्तर की मरम्मत का काम दिया गया	८४	,, (रु० ५,००० सेन्ट्रल कोप० बैंक, जोधपुर द्वारा)
१५	पुन्दला पब्लिक वर्क्स को० लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी	जोधपुर	,, से पत्थर निकालना।	पी० डब्ल्यू० डी० से निर्माण के लिये	—	११	कोई नहीं।
१६	सूरसागर को० लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी	जोधपुर	खान से पत्थर-निकालना	खान मिलने के लिये	खान दे दी गई	१०	,,
१७	युनाइटेड को० लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी	जोधपुर	निर्माण कार्य	—	—	३०	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
१८	फिदूसर कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी	जोधपुर	खान से पत्थर निकालना	खान मिलने के लिये	खान दे दी गई है	४७	,,
१६	जवाहर लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी	जोधपुर	खान से पत्थर निकालना	खान मिलने के लिये	खान दे दी गई है	१५	,,
२०	जोधपुर लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी	जोधपुर	खान से पत्थर निकालना	,,	,,	१५	,,
२१	सिटी लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी	जोधपुर	निर्माण कार्य एवं लकडी का सामान बनाना	कोई मांग नहीं की	प्रश्न ही नहीं उठता	१३	,,
२२	महालक्ष्मी लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी	पाली	निर्माण कार्य	निर्माण कार्य के ठेके लेने के लिये।	बीज भंडार सादडी के निर्माण का ठेका	६४	,,
२३	बाली तहसील वेलफेयर कोआपरेटिव सोसाइटी	बाली	बल्दा गाडियों का सामान बनाना	—	—	१७	,,
२४	मकराना मारबल आरटीज़न लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी	मकराना	संगमरमर के पत्थर का कार्य	संगमरमर के पत्थर की खान के लिये	दो वर्ष के लिये खान दी गई है।	१८	,,
२५	बड़ी खाटू कोआपरेटिव लेबर सोसाइटी	बड़ी खाटू	खान का कार्य।	—	—	१४	रु० ७५००) उद्योग विभाग द्वारा

१	२	३	४	५	६	७	८
२६.	लाडनूं स्टोन लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी	लाडनूं	निर्माण कार्य	निर्माण कार्य के ठेके के लिए	ब्लोक द्वारा ठेके का कार्य दिया गया	३६	उद्योग– विभाग सरकार द्वारा ७,५००)
२७.	नेशनल लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी	नागौर	,,	—	—	१५	सरकार द्वारा कोई नहीं
२८.	रामदेवड़ लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी	लाडनूं	,,	—	—	१५	,,
२९.	डीड़वाना मजदूर मल्टीपर्पज़ सोसाइटी	डीड़वाना	सड़कें बनाना	सडकें बनाना	ब्लोक द्वारा कार्य दिया गया	११	,,
३०.	राजपूताना साल्ट सोरसेज कोआपरेटिव लेबर एण्ड सेविंग सोसाइटी	सांभर	नमक निकालना	नमक निकालने की स्वीकृति की मांग की	समिति की मांग स्वीकृत की गई	४४५	,,
३१.	सिलौरा सिलावटान सहकारी समिति लि०	सिलौरा	मकान आदि निर्माण कार्य करना	निर्माण कार्य के ठेके लेने की मांग की	—	१८	,,
३२.	बड़ली श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	बडली	,,	अभी समिति नई बनी है।	प्रश्न ही नहीं उठता	२५	,,
३३.	नागोला श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	नागोला	,,	,,	,,	२५	,,
३४.	श्रीनगर श्रमिक व निर्माण ठेका सहकारी समिति लि०	श्रीनगर	,,	,,	,,	१५	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
३५.	विश्वकर्मा कोआपरेटिव कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०	बांसवाड़ा	ठेके के कार्य करना	सहकारी विभाग के द्वारा कार्य दिलवाने के लिए कोई मांग नहीं की गई।	—	१७	सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं
३६.	बागड़ श्रमिक सहकारी समिति लि०	बागड़ डूंगरपुर	,,	,,	—	४४	,,
३७.	भींडर लेबर कन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	भींडर उदयपुर	,,	,,	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भींडर हाई स्कूल के दो कमरे बनाने का काम ८७३९) रुपयों में दिया गया।	५०	,,
३८.	पाषाण उद्योग सहकारी समिति लि०	राजसमंद उदयपुर	,,	,,	—	११	,,
३९.	लेबर कोन्ट्रेक्ट सहकारी समिति लि०	भूपाल सागर	,,	,,	—	१७	,,
४०.	खांडी ओवरी लेबर' कोन्ट्रेक्ट सहकारी समिति लि०	खैरवाड़ा उदयपुर	,,	,,	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस समिति को जावर माइन्स के एक मन्दिर के खंडहर की मरम्मत का कार्य ३,५५०) रुपयों में दिया गया	३३	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
४१.	लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	देवगढ़ उदयपुर	,,	,,	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस भमिति को हाई स्कूल देवगढ़ के दो कमरे बनाने का कार्य १०,५४६) में दिया गया।	१४	,,
४२.	सनवाड़ गृह–निर्माण सहकारी समिति लि०	सनवाड़	,,	,,	—	४०	,,
४३.	चारभुजा लेबर कोंट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	गढ़बोर	,,	,,	—	१७	,,
४४.	विजय श्रमिक कोआपरेटिव लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०	उदयपुर	,,	,,	—	१८	,,
४५.	युवक श्रमिक सहकारी समिति लि०	बेदला	,,	,,	—	३१	,,
४६.	सोम श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	प्रतापनगर	,,	,,	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस समिति को उदयपुर सलूम्बर रोड़ की सरफेश पेन्टिंग का कार्य ६६६२) में दिया गया।	१७	,,
४७.	लक्ष्मी लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	कानोर	,,	,,	—	११	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
४८.	जवाहर कोआपरेटिव लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०	नाथद्वारा	,,	,,	सिटी इम्प्रूवमेंट विभाग द्वारा इस समिति को दो बार कार्य १०,३२२) रुपयों के दिये गये ।	३२	,,
४९.	आजाद लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	उदयपुर	,,	,,	इस समिति को सिटी इम्प्रूवमेंट विभाग द्वारा ६५५) रु० का कार्य दिया गया ।	१५	,,
५०.	चमनपुरा लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०	चमनपुरा	,,	,,	—	११	,,
५१.	आदर्श नव निर्माण लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी	उदयपुर	,,	,,	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो कार्य १४,६२४) रुपयों में दिये गए । सिंचाई विभाग द्वारा ४ कार्य प्रत्येक ५,०००) में दिये गये ।	१४	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
५२.	आमेट कोआपरेटिव लेबर कोन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०	आमेट	,,	,,	सार्वजनिक विभाग द्वारा इस समिति को चार कार्य १,१६,०००) में दिये गये। सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र आमेट से १० कार्य २०,४६२) के दिये गए। एक कार्य कोटड़ा ब्लॉक द्वारा ३०००) में दिया गया।	४३	,,
५३.	भवन निर्माण लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	राजसमन्द	,,	,,	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस समिति को ४२ ठेके २,८६१०० रुपयों में दिये गए, १३ ठेके सिंचाई विभाग द्वारा २६२२०) रुपयों में दिये गये। २६ ठेके के सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र में	३४	,,

			५	६	७	८
५४. नाथद्वारा जवाहर श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०	नाथद्वारा	”	”	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड नाथद्वारा द्वारा इस समिति को एक कार्य २७००) में दिया गया।	२२	”
५५. बिचड़ी लेबर कान्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	बिचड़ी	”	”	—	१६	”
५६. बड़च कांटा विश्कर्मा सहकारी समिति लि०	डबोक	”	”	—	१५	”
५७. विश्वकर्मा मजदूर कान्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०	भटवेर	”	”	—	१५	”
५८. भवन निर्माण श्रमिक ठेका कोआपरेटिव सोसाइटी लि०	उदयपुर	”	”	—	११	”

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर देखिये)

जयपुर जिले के तालाब व नहरें जिन पर सन् १६५७–५८ में मरम्मत कराई गई।

क्रमसंख्या	नाम तालाब	नाम तहसील	विशेष विवरण
१.	कानोलाव	फागी	
२.	गंगासागर	दूदू	
३.	लाम्बा	चाकसू	
४.	बन्ध बुचारा	बैराठ	
५.	बन्ध बैराठ	बैराठ कोटपूतली	
६.	लालगढ़	जयपुर	
७.	खरेड़	जमवा रामगढ़	
८.	संहतल	"	
६.	हरीपुरा	दौसा	
१०.	पाटन	"	
११.	झिलमिली	"	
१२.	चूरात	"	
१३.	गोटोलाब	"	
१४.	काला श्री	"	
१५.	मुही	बान्दीकुई	
१६.	उपरेदा	"	
१७.	माधो सागर	सिकराय	
१८.	भंडारी	"	
१६.	बनोली सागर	"	
२०.	दखन सागर	"	

उपरोक्त सूची के अतिरिक्त पिछले वर्षों में से बहुत अन्य तालाबों व नहरों पर भी मरम्मत की गयी थी।

सूची जो बंध जिला जयपुर में स्थित हैं ।

क्रम सं० नाम बांध व तहसील	बनाने का वर्ष	नहरों की लम्बाई जो पहिले थी मील चे	जो अब है मी चे	सिल्ट आदि से केपेसिटी को क्षति
१. नेवटा सांगानेर	१८७६	४ मी०	५	कोई विशेष नहीं
२. कादेडा चाकसू	१९०६	२	२	
३. भोजाडा		१/२	१/२	
४. सिल की डूंगरी	१९००	३/३०	३/३०	कोई विशेष नहीं
५. शिव डूंगरी चाकसू	१९००	२/२३	२/२३	,,
६. हालोलाड चाकसू	१९०३	१/१२	१/१२	,,
७. लाम्बीया चाकसू	१८७६	१/५	१/५	,,
८. रामसागर चन्दलाई	१८७२	२	२	,,
९. माधोसिंहपुरा चाकसू	१८९०	३/२५	४/२५	,,
१०. रावतवाला चाकसू	१८७४	१/१२	१/१२	,,
१. धोवोलाय फूलेरा	१८७६	१/२३	१/२३	,,
चूलिया वासू ,,	१८९८	१	१	,,
भौडोलाव ,,	१८७२	३/१२	३/१२	,,
जैतपुरा ,,	१८७२	२	२	,,
कालक ,,	१८८३	३४	३४	,,
नयासागर दूदू	१८७२	२	२	,,
. काला तालाब जैकब्पुरा	१८७१	१	१	,,
१८. बारसो लिखियान दूदू	१८९१	आधामील	आधामील	,,
१९. मानपुरा ,,	१८९९	,,	,,	,,
२०. छापरवाडा ,,	१८९४	६४	६४	,,
२१. घमाना	१८९६	१	१	,,
२२. हनुमान सागर ,,	१९०६	१	१	,,
२३. जोहरा का ढंढ	१८७१	/२५	/२५	,,
२४. ढिगोंनिया फागी	१९००	३	३	,,
२५. कानोलाव ,,	१८७२	१/१५	१/१५	,,
२६. बुनायली ,,	१८७२	२/२८	२/२८	,,
२७. डीलोलाव ,,	१८७६	२/५	२/५	,,
२८. राम सागर फागी	१८७२	१/४२	१/४२	,,
२९. राम सागर माधोराजपुरा	१८७३	२/५	२/५	,,

१	२	३	४	५	५
३०.	भोजपुरा फागी	जागीर से पाया	१	१	,,
३१.	केरिया फागी	१६०१	१/१	१/१	,,
३२.	गोकुलपुरा फागी	१६४७	१	१	,,
३३.	बाकिया	१८७४	१	१	,,
३४.	चूरू सागर फागी	१८७२	४	४	,,
३५.	राम सागर चूरू	१८७४	१/३१	१/३१	,,
३६.	नैनसिया फागी	१८७२	४	४	,,
३७.	रानी सागर		२	२	,,
३८.	मोती सागर	१८६०	आधामील	आधामील	,,
३९.	नया सागर	१७८७	१	१	,,
४०.	धोलाई फागी	१६०१	आधामील	आधामील	,,
४१.	बाला सागर	१८६४	१/३७	१/३७	,,
४२.	बडया	१६०१	आधामील	आधामील	,,
४३.	घेटियाली	१८६८	१	१	,,
४४.	लालसागर आमेर	१६४६	५.१०	नहीं	कोई विशेष नहीं
४५.	कूकस आमेर	१६०७	४.२५	४.२५	कोई विशेष नहीं
४६.	तलावटेंक	—	१.१७	१.१७	,,
४७.	छोराटेंक जयपुर	१६४६	नहीं है	—	,,
४८.	फूटा टेंक	१६४०	—	—	,,
४९.	सालगढ़	—	—.५	—.५	,,
५०.	गुड़हा नला	—	—	—	,,
५१.	कंथारा टेंक जयपुर	—	—	—	,,
५२.	जमवारामगढ़ जमवारामगढ़	१६०१	१४४.२५	१४४.२५	,,
५३.	विरासना बंध ,,	१८७३	१.५	१.५	,,
५४.	रांया वाला बंध ,,	१८७४	३.२५	३.२५	,,
५५.	खरद बंध ,,	—	८.०	८.०	,,
५६.	नीमला बंध ,,	—	१.०	१.०	,,
५७.	राम्या वाला ,,	१८६३	.२३	.२३	,,
५८.	भैरू सागर ,,	१६०२	१.०	१.०	,,
५९.	संथल सागर ,,	१८६८	२१.२०	२१.२०	,,
६०.	हरीपुरा दौसा ,,	१८६१	२.४०	२.४०	,,
६१.	हाजवाड़ा ,,	—	—	—	,,
६२.	पाटन	१६०८	१४.०	१४.०	,,
६३.	झिलमिली	१६४६	५.०	५.०	,,

१	२	३	४	५	६
६४.	चूरास	–	१.२२	१.४२	,,
६५.	नाभोलाव	–	–	–	,,
६६.	गैटीलाव	१८७१	–	–	,,
६७.	रूपसागर	१८७६	६.२३	६.२८	,,
६८.	काला खौ	१९५४	१४.२५	१५.७५	,,
६९.	मूही चान्दीकुई	–	३.०	४	,,
७०.	धावावान ,,	–	–	–	,,
७१.	वरियल टैंक	–	–	–	,,
७२.	विजय सागर	१८७६	–	–	,,
७३.	घाटी दीपपुरा	–	–	–	,,
७४.	ऊपरेदा	–	–	–	,,
७५.	हरेरा खोरा शिकराय	–	–	–	,,
७६.	माधो सागर	३८७८	१६.२५	१६.२५	,,
७७.	भंडारी	१८५	५.२०	५.२०	,,
७८.	मोरोली	–	१०.२५	१०.२५	,,
७९.	बीनोली सागर	१८७२	८.०	८.०	,,
८०.	दलन सागर	–	४.५	४.५	,,
८१.	बुचारा बंध बैराठ	१८८६	१८	२३	,,

(राज्यपाल के अभिभाषण सम्बन्धी श्री मोहरसिंह द्वारा सदन की मेज पर प्रस्तुत पत्र)

प्रधान कार्यालय स्पेशल आई. जी. पी. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग

राजस्थान, जयपुर

पत्र सं० ६४३४ दिनांक २१–८–५७

सेवा में,

श्री हीरालाल स्वम श्री चरतलाल जी मसालची

मंत्री जिला चूरू किसान सभा एच.श्रो. राजगढ पी. श्रो. सादुलपुर

प्रसंग—आप के पत्र सं० शून्य दिनांक १४–८–४७ ई०

उपरोक्त प्रसंग प्रत्युत्तर निम्नांकित है :—

हम अफीमचियों को कृतार्थ कराना नहीं चाहते। अगर अफीमची अफीम खाना या पीना छोड देंवे तो न उनका न और किसी का नुकसान होगा।

दस्तखत अंग्रेजी

२१–८–५७

स्पेशल आई. जी. पी. पुलिस भ्रष्टाचार

निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर

इनीशियल अंग्रेजी

११–८–५७

नाम अंग्रेजी में जो साफ

पढ़ा नहीं जाता

ऑथन्टीकेटेड

मोहरसिंह

१४–२–५८

सही प्रतिलिपि

मोहरसिंह १४–२–५८

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १३ फरवरी, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५१२-५१३	शीर्ष पंक्ति	१२ फरवरी ५८	१३ फरवरी, ५८
५१२	२	शूटिंग पर्मिठ	शूटिंग पर्मिट
५४२	१२	(श्री रमकिशोर व्यास)	(श्री रामकिशोर व्यास)
५६३	१४	सभापति तालिका का मनोनयन	सभापति तालिका के लिये मनोनयन
५६७	१२-१३	15 minutes, limit	15 minutes, limit
५७३	८	स्टेम्पूड है ओर -	स्टाम्प्ड है और
५८४	अन्तिम से तृतीय	Patients की संख्या	(Patients) की संख्या
६३१	२०	हमारे यहाँ भ्रष्टचार क्यों होता	हमारे यहां अशान्ति और अव्यवस्था क्यों होती है, हमारे यहां भ्रष्टाचार क्यों होता
६४१	२	की ओर प्रवृत होने से	की ओर प्रवृत्त होने से
,,	२७	जिन चिजों को लोन	जिन चीजों को लोन
६४८	१४	जनता में होती नहीं तो	जनता में होती, नहीं तो
६५६	६	म्युनिसिपेलिटीज़ के पसा	म्युनिसिपेलिटीज़ के पास
६६०	८	उद्योगों के बारे दो में	उद्योगों के बारे में दो
६६४	१५	म्यनिसिपल कमिश्नर	म्युनिसिपल कमिश्नर
६८०	अन्तिम से दस	क्यों नहीं उठाया जाता ।	क्यों नहीं उठाया जाता ?
७०६	२	(श्री मूलचन्द्र डागा)	(श्री मूलचन्द डागा)
,,	,,	मैं अपको बताऊ	मैं आपको बताऊं
७०६	सभापति तालिक के सम्मुख पृष्ट संख्या १	६५३	५६३
७१४		मासिक गौरवारे निकाले	मासिक गोश्वारे निकाले